

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2022-23



उच्च तकनीकी
उपकरणों से
निःशुल्क
पैथोलॉजी जांचें

टेलीकंसल्टेशन द्वारा
अब ग्रामीण क्षेत्रों तक
नागरिकों के लिए
विशेषज्ञ चिकित्सीय परामर्श
स्वस्थ प्रदेश की ओर बढ़ते कदम...



लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश



मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना

पंजीकृत असंगठित श्रमिक कर्मकार परिवारों के लिए प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 16,000 रुपये की राशि दो किशतों में दी जावेगी।

गर्भावस्था का पंजीयन प्रथम त्रैमास में करवाये जाने पर 4000 रुपये तथा प्रसूति के बाद 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जावेगी।

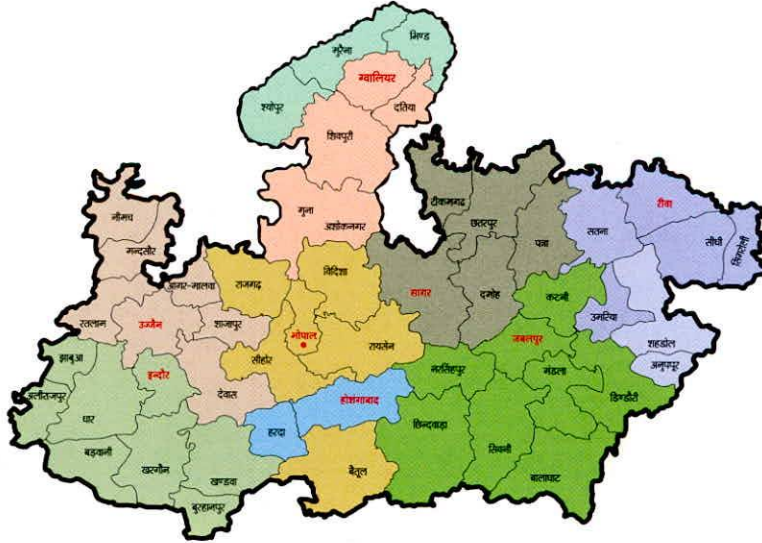
शर्तें एवं प्राप्त होने वाला लाभ

प्रथम किशत गर्भावस्था का पंजीयन प्रथम त्रैमास में करवाये जाने पर	राशि रुपये 4000/-	<ul style="list-style-type: none"> प्रथम गर्भावस्था वाली महिलाओं को मातृ वंदना योजना अंतर्गत राशि रुपये 3000/- (महिला एवं बाल विकास विभाग) एवं रुपये 1000/- की राशि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जावेगी। द्वितीय गर्भावस्था वाली महिलाओं को प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत राशि रुपये 4000/- स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदाय किये जावेंगे।
द्वितीय किशत <ul style="list-style-type: none"> शासकीय चिकित्सालय अथवा आयुष्मान भारत निरामयम कार्यक्रम अंतर्गत गर्भावस्था एवं प्रसव संबंधी हाई रिस्क पैकेज हेतु प्रदेश के चिन्हित जिलों के अधिकृत अशासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर। नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरान्त पंजीयन कराने पर। शिशु को शीघ्र स्तनपान कराने पर। शिशु को 0 डोज बीसीजी, ओपीव्ही व हेपेटाइटिस बी टीकाकरण कराने पर। 	राशि रुपये 12,000/-	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण क्षेत्र की महिला को जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत रुपये 1400/- प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत रुपये 10,600/- की राशि प्रदान की जायेगी एवं शहरी क्षेत्र की महिला को जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत रुपये 1000/- व प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत रुपये 11,000/- की राशि प्रदान की जायेगी। यदि स्वास्थ्य कारणों से नवजात शिशु को शीघ्र स्तनपान कराया जाना अथवा 0 डोज, BCG, OPV व Hep B का टीकाकरण संभव न हो उस स्थिति में भी महिला द्वितीय किशत प्राप्त करने हेतु पात्र होगी। योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला अपना बैंक खाता नम्बर एवं समग्र आईडी साथ लेकर आयें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश



प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2022-23



लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

प्रमुख स्वास्थ्य दिवस

दिनांक	स्वास्थ्य दिवस
30 जनवरी	विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस
4 फरवरी	विश्व कैंसर दिवस
8 मार्च	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
24 मार्च	विश्व क्षय दिवस
7 अप्रैल	विश्व स्वास्थ्य दिवस
25 अप्रैल	विश्व मलेरिया दिवस
11 मई	विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस
31 मई	विश्व तंबाकू निषेध दिवस
11 जुलाई	विश्व जनसंख्या दिवस
29 जुलाई	ओआरएस दिवस
1-7 अगस्त	विश्व स्तनपान सप्ताह
1-7 सितम्बर	राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह
28 सितम्बर	विश्व हृदय दिवस
10 अक्टूबर	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
12 अक्टूबर	विश्व दृष्टि दिवस
21 अक्टूबर	विश्व आयोडीन अल्पता निवारण दिवस
2 नवम्बर	विश्व निमोनिया दिवस
14 नवम्बर	मधुमेह दिवस
15-21 नवम्बर	नवजात शिशु देखभाल सप्ताह
1 दिसम्बर	विश्व एड्स दिवस

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
भाग-एक		
1.	विभागीय संरचना	8
2.	विभागीय संगठन	9
3.	विभाग के दायित्व एवं विभाग के तहत विभिन्न केन्द्रीय व राज्य अधिनियम एवं नियम	10-12
3.1	विनियमन एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम	13-15
3.2	गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (एम.टी.पी. एक्ट) 1971	16-20
4.	महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांक	21
5.	स्वास्थ्य संस्थाओं की जानकारी	22-25
भाग-दो		
1.	बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)	28-30
भाग-तीन		
1.	राज्य योजनाएँ तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ	31
राज्य योजनाएँ		
1.	रोगी कल्याण समिति	32-34
2.	डायलिसिस योजना	35
3.	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)	36-39
4.	आपदा प्रबंधन	40-41
5.	सूचना शिक्षा संचार गतिविधियाँ	42-47
केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ / कार्यक्रम		
1	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	48
1.1	बजट (वित्तीय प्रावधान)	49
1.2	मानव संसाधन	50

1.3	मातृ स्वास्थ्य सेवाएँ	51—60
1.4	शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ	61—66
1.5	शिशु एवं बाल पोषण सेवाएँ	67—72
1.6	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	73
1.7	परिवार कल्याण सेवाएँ	74—76
1.8	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	77—79
1.9	आशा कार्यक्रम	80—88
1.10	एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट योजना	89—91
1.11	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	92—94
1.12	क्वालिटी एश्योरेन्स	95—96
1.13	कायाकल्प अभियान	97—98
2.	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम	99—102
3.	शीत-श्रृंखला	103—105
4.	राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	106—109
5.	राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम	110—111
6.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	112
7.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	113—115
8.	राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम	116—121
9.	राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम	122
10.	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम	123
11.	राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम	124
12.	राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम	125
13.	राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	126
14.	राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम	127—129
15.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	130—131
16.	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम	132
17.	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम	133—134

18.	आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश	135—139
19.	हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर्स मध्यप्रदेश "आरोग्यम"	140—142
20.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति	143—147
भाग—चार		
1.	मानव संसाधन	150
2.	मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2020	151—154
3.	स्वास्थ्य संस्थाओं की अधोसंरचना (भवन)	155—158
4.	नर्सिंग प्रशिक्षण	159—164
5.	विभागीय प्रशिक्षण	165—170
6.	उपकरण रखरखाव एवं मॉनिटरिंग तंत्र	171—172
7.	सी.टी. स्कैन जांच सुविधा	173—174
8.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	175—176
9.	राज्य रक्ताधान परिषद	177—186
10.	खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन	187—189

भाग—एक

1. विभागीय संरचना
2. विभागीय संगठन
3. विभाग के दायित्व एवं विभाग के तहत विभिन्न केन्द्रीय व राज्य अधिनियम एवं नियम
 - 3.1 विनियमन एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम
 - 3.2 गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (एम.टी.पी. एक्ट) 1971
4. महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांक
5. स्वास्थ्य संस्थाओं की जानकारी

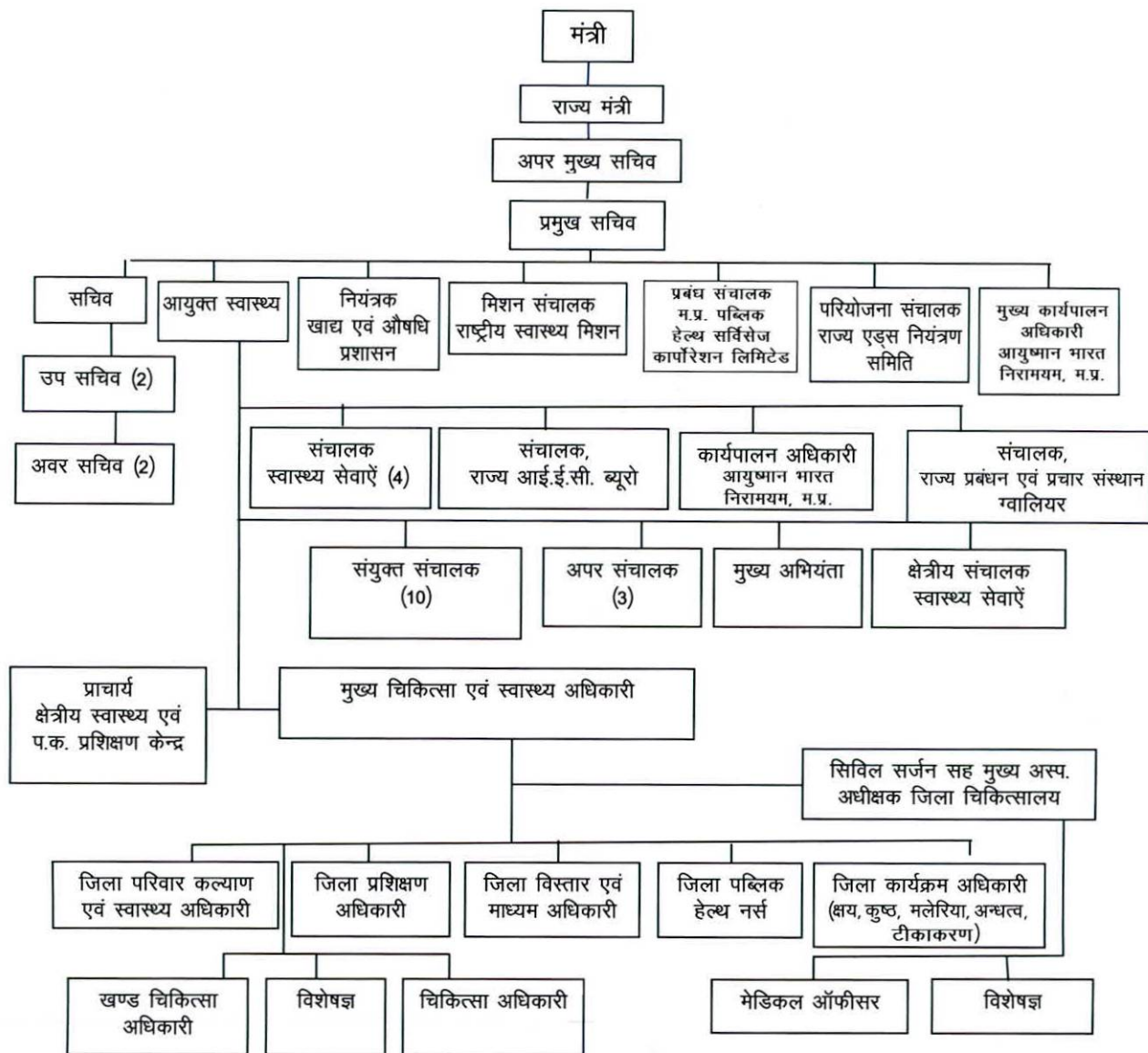
विभागीय संरचना

मध्य प्रदेश शासन

विभाग का नाम – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मंत्री	डॉ. प्रभुराम चौधरी
सचिवालय	
अपर मुख्य सचिव	श्री मोहम्मद सुलेमान
सचिव	डॉ. सुदाम पी खाड़े
अपर सचिव	राकेश कुमार श्रीवास्तव
अवर सचिव	श्रीमती सीमा डेहरिया
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ	
आयुक्त स्वास्थ्य एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	डॉ. सुदाम पी खाड़े
परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति	श्रीमती सुरभी गुप्ता
मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	श्रीमती प्रियंका दास
संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	श्री दिनेश श्रीवास्तव
संचालक, स्वास्थ्य सेवायें एवं प्रबंध संचालक MPPHSC	डॉ. पंकज जैन
संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान "निरामयम" मध्यप्रदेश	श्रीमती अदिति गर्ग
अपर संचालक, प्रशासन	श्रीमती मलिका निगम नागर
अपर संचालक	श्रीमती अजीजा सरशार जफर
अपर संचालक (वित्त)	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
अपर संचालक	डॉ. संतोष कुमार जैन
अपर संचालक	डॉ. प्रमोद कुमार पाठक

विभागीय संगठन



विभाग के दायित्व एवं विभाग के तहत विभिन्न केन्द्रीय व राज्य अधिनियम एवं नियम

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय –

1. चिकित्सालय और औषधालय (जिनके अंतर्गत महामारी औषधालय और चलित औषधालय आते हैं)।
2. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ।
3. जिला अस्पतालों सहित सभी सिविल अस्पताल।
4. लोक स्वास्थ्य प्रशासन जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-
 - (क) स्वच्छता संबंधी विधियाँ तथा विनियमन।
 - (ख) स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा कल्याणकारी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियाँ, अर्हताएं तथा कर्तव्य।
 - (ग) लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं।
 - (घ) वैक्सीन-संधारण।
5. खाद्यान्न तथा औषधियों में मिलावट रोकथाम।
6. संक्रामक तथा सांसर्गिक रोग तथा परजीवियों से होने वाले रोग।
7. महामारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण।
8. चलित औषधालय जिसमें मूल निवासियों और ग्रामोत्थान के लिए नियत औषधालय भी शामिल हैं।
9. टीकाकरण कार्य।
10. जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन।
11. सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान।
12. रेडक्रॉस तथा सेंट जांस एम्बुलेन्स एसोसिएशन।
13. विष संक्रमण उपचार व नियंत्रण।
14. परिवार कल्याण कार्यक्रम, प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षण के लिए विस्तृत कार्यक्रम परिवार नियोजन के लिए सामग्रियों की पूर्ति।
15. राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम।
16. राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम।
17. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम।
18. औषध निर्माण विज्ञान व्यवसाय तथा औषध निर्माण विज्ञान शिक्षा।
19. औषधि मानक।
20. शासकीय कर्मचारियों को राज्य के भीतर चिकित्सा सहायता तथा उपचार से संबंधित विषय।
21. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम।

22. एस.टी.डी. रोगों की रोकथाम।
23. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम।
24. राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम :-
 (क) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजनाएं।
 (ख) लोक स्वास्थ्य योजना।
 (ग) विभिन्न राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन तथा प्रगति की निगरानी।
25. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम।
26. महामारी संबंधी आपदाओं के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना।
27. प्रसविकी (मिडवाइफरी) सेवाएं।
28. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ – नियुक्तियां, पद स्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्त निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. फार्मसी अधिनियम, 1948
2. Food safety and standard's Act 2006
3. औषधि तथा श्रृंगार प्रसाधन अधिनियम, 1940 (केन्द्र शासन)
4. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के (विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003।
5. मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973
6. मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम, 1997
7. जैव चिकित्सीय अवशिष्ट (प्रबंधन तथा हस्तन) नियम, 1998
8. पर्सन्स विद डिस्पैबिलिटीज (इक्वल अपार्चुनिटीज, प्रोटेक्शन आफ राइट्स एण्ड फुल पार्टिसिपेशन) अधिनियम, 1995
9. गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 एवं नियम 1996
10. गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय

1. लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संचालनालय।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
3. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन।
4. मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति।

(ई) अन्य संस्थाएं तथा निकाय

- फार्मसी परिषद्
- मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(उ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो:

1. मध्यप्रदेश स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा।
2. मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय स्वास्थ्य सेवाएँ।
 - अ. अधिसूचना क्रं.एफ.ए.1-18/2001/एक(1), दिनांक 17 अक्टूबर 2002 द्वारा संशोधित।
 - ब. अधिसूचना क्रं.एफ.ए.1-15/2001/एक(1), दिनांक 8-5-2002 द्वारा संशोधित।
 - स. अधिसूचना क्रं.एफ.ए.1-1/2003/एक(1), दिनांक 21-5-2002 द्वारा संशोधित।

॥ मध्यप्रदेश ने ठाना है, हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है ॥

विनियमन एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विनियमित अधिनियमों एवं नियमों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न अधिनियमों, नियमों एवं अधिसूचनाओं के संबंध में आवश्यकतानुसार निम्नलिखित कार्यवाही विनियमन शाखा द्वारा संपादित की गई है :-

1. मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम, 1997 में आवासीय रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को एक बार में राज्य के केवल एक उपचर्यागृह में ही रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अनुज्ञात किये जाने संबंधी महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचना दिनांक 06/05/2022 द्वारा जारी की गई।
2. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 3(2ब) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मेडिकल बोर्ड (गर्भ का चिकित्सीय समापन) का संभागीय स्तर भोपाल, इंदौर, उज्जैन (इंदौर के अंतर्गत) ग्वालियर, सागर, जबलपुर, एवं रीवा, में अधिसूचना दिनांक 19/05/2022 द्वारा गठन किया गया।
3. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 एवं सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत ART Clinic Level-1, ART Clinic Level-2, ART Bank, एवं Surrogacy Clinic के विनियमन हेतु जिला स्तर पर जिला सक्षम एसिस्टेड रिप्रोडिक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगेसी प्राधिकारी का गठन अधिसूचना दिनांक 26/05/2022 द्वारा किया गया।
4. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 एवं सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राज्य सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड का गठन किया गया।
5. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 एवं सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत ART Clinic Level-1, ART Clinic Level-2, ART Bank, एवं Surrogacy Clinic के निरीक्षण हेतु चैकलिस्ट समस्त जिला कलेक्टर को प्रेषित की गई।
6. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 एवं सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत ART Clinic Level-1, ART Clinic Level-2, ART Bank, एवं Surrogacy Clinic के कुल 34 पंजीयन जिले स्तर से जारी किए गये हैं।
7. शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की चिकित्सा परिचर्या और उपचार को विनियमित करने हेतु मध्यप्रदेश. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 संबंधी अधिसूचना दिनांक 03/08/2022 को जारी की गई। जिसके द्वारा पूर्व के नियम 1953 को निरस्त करते हुये चिकित्सा परिचर्या का प्रासंगिक सरलीकरण किया गया है।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन

राज्य में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम एवं अधिनियम 1994 के अंतर्गत संचालित अल्ट्रा साउण्ड केन्द्रों, जैनेटिक क्लीनिक जैनेटिक लेबोरेटरी, एवं इमेजिंग

क्लीनिकों का विनियमन किया गया है। इसके अतिरिक्त आई.व्ही.एफ. केन्द्रों अथवा केन्द्र जिनके द्वारा Assisted Reproductive Technology की सेवायें देने वाले केन्द्रों का भी विनियमन किया जाता है।

वैज्ञानिक प्रगति के चलते गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव निदान के उन्नत तकनीकों की सुलभ उपलब्धता व दुरुपयोग, सामाजिक रूढ़िवादिता एवं प्रमुखतः पितृ-सत्तात्मक समाज में बेटे की चाह के कारण, समाज में शिशु लिंगानुपात में गिरावट परिलक्षित हुई है। पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. अधिनियम एवं नियम के क्रियान्वयन से संबंधित निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :-

1. पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम एवं नियम के सघन क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 14/03/2022 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपने अधीनस्थ जिलों में जिला समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक मॉनिटरिंग सुनिश्चित किए जाने हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी-1 को सक्षम अधिकारी को सहयोग किये जाने हेतु नामांकित किया गया है।
2. पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत कुल 2210 अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्रों, 03 जेनेटिक काउंसिल सेंटर, 11 जेनेटिक लेबोरेटरीज, 108 अन्य (आई.व्ही.एफ./इन्फर्टिलिटीकेयर सेंटर) पंजीकृत है। नवीन पंजीयन एवं पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु पी.सी.पी.एन.डी.टी. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा वर्ष 2016 से की गई है। जिसके माध्यम से राज्य में संचालित समस्त केन्द्रों, केन्द्रों में संचालित अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन एवं अल्ट्रासोनोग्राफी करने हेतु पात्र चिकित्सकों की जानकारी की समीक्षा जिले एवं राज्य स्तर पर निरंतर की जा रही है।
3. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत समय सीमा में पंजीयन, पंजीयन के नवीनीकरण एवं अपील की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु पदाहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम अधिसूचना दिनांक 26/05/2022 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।
4. वर्ष 2022-23 में जिला रीवा एवं भोपाल में किये गये स्टिंग ऑपरेशन हेतु पुनरीक्षित मुखबिर पुरुस्कार योजना के अंतर्गत मुखबिर, डिकॉय महिला, डिकॉय महिला के सहयोगी, जिला नोडल अधिकारी (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) एवं जिला अभियोजन अधिकारी को पुरस्कृत किया गया है।
5. राज्य सुपरवाईजर बोर्ड की बैठक दिनांक 02/05/2022 के अंतर्गत जन्म के समय लिंगानुपात में अत्याधिक कमी दर्ज कराने वाले (एन.एफ.एच.एस-5 के अनुसार) 13 जिले क्रमशः दतिया, सतना, ग्वालियर, रायसेन, सीधी, बुरहानपुर, सीहोर, गुना, देवास, सिंगरोली, पन्ना, हरदा एवं बड़वानी में सामाजिक जागरूकता हेतु केन्द्रित प्रयास किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अंतर्गत मुख्यतः पंजीयन/पंजीयन के नवीनीकरण हेतु प्राप्त राशि का उपयोग प्रचार-प्रसार गतिविधियों हेतु किया जाना है।

6. संचालनालय लोक अभियोजन के समन्वय से 104 अभियोजन अधिकारियों हेतु राज्य स्तर पर एक दिवसीय संवेदीकरण वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन दिनांक 24/07/2022 को किया गया। कार्यशाला हेतु रिसोर्स मेटेरियल (पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की पुस्तक) समस्त प्रतिभागियों को उपलब्ध कराई गई।
7. जिला सलाहकार समिति एवं जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के सदस्यों हेतु एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन संभागीय स्तर पर किया गया।
8. राज्य में अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के उत्पादकों/वितरकों/रिटेलर आदि को राज्य समुचित प्राधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. द्वारा ऑनलाईन पंजीयन जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिसके अंतर्गत आज दिनांक तक कुल 49 पंजीयन जारी किए गए हैं।
9. जेण्डर क्वालिटी, लिंग चयन आधारित गर्भपात एवं गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम के संबंध में 09 चिन्हित जिलों में Peer Educator हेतु कॉम्बिक्स का मुद्रण किया गया है।

॥ भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिंग चयन आधारित गर्भपात कानूनन अपराध है ॥

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 (एम.टी.पी. एक्ट)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सुरक्षित गर्भपात सेवायें विकसित किये जाने हेतु प्रशिक्षण की पहल की गयी है। मातृत्व स्वास्थ्य के लिये उपयुक्त महिला-केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं और प्रशिक्षकों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को मजबूत करने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप व्यापक गर्भपात देखभाल एवं सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों द्वारा इच्छित परिणाम की प्राप्ति के लिये मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। NFHS-5 2019-20 अनुसार मध्यप्रदेश में कुल गर्भपात का लगभग 72% चिकित्सीय गर्भपात हो रहे हैं जिनमें से 23% सर्जिकल विधि द्वारा हो रहे हैं। कुल गर्भपात का लगभग 48% प्राइवेट, 20% शासकीय फेसीलिटी एवं 32% घर पर हो रहे हैं, इस प्रकार गर्भपात हेतु संस्थागत पहुंच में सुधार हुआ है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राजपत्र “नई दिल्ली, मंगलवार 12 अक्टूबर 2021” गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 (1971 की 34) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम 2003 का संशोधन कर गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) नियम 2021 लागू हुआ है। इसमें :-

एमटीपी अधिनियम में संशोधन

- विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह।
- पर्याप्त भ्रूण विकृति के मामलों में गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भ समापन मेडिकल बोर्ड की अनुमति से मान्य।
- गर्भनिरोधक की विफलता की स्थिति में अविवाहित महिलाओं के लिए भी सेवाएं उपलब्ध।
- 20 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए केवल एक आरएमपी और 20-24 सप्ताह के लिए दो आरएमपी की राय जरूरी।
- सेवा प्राप्तकर्ता का नाम गोपनीय रखे जाने और कड़ाई से पालन पर जोर।

24 सप्ताह तक गर्भ समापन के लिए महिलाओं की विशेष श्रेणी

- (1) यौन हमले या बलात्कार या अनाचार की शिकार महिला
- (2) नाबालिग
- (3) गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन (विधवा और तलाक)
- (4) शारीरिक विकलांग महिलाएं (विकलांगता अधिनियम 2016)
- (5) मानसिक मंदता सहित मानसिक रूप से बीमार महिलाएं
- (6) पर्याप्त भ्रूण विकृति
- (7) आपदा या आपात कालीन स्थितियों में गर्भावस्था वाली महिलाएं, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है।

पर्याप्त भ्रूण विकृति की स्थिति में गर्भसमापन

- गर्भावस्था के दौरान कभी भी गर्भ समापन करवाया जा सकता है।

- परंतु ऐसा मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुमति के बाद ही किया जा सकता है।
- मेडिकल बोर्ड की संरचना:
 - ♦ स्त्री रोग विशेषज्ञ
 - ♦ शिशु रोग विशेषज्ञ
 - ♦ रेडियोलॉजिस्ट या
 - ♦ सोनोलॉजिस्ट
 - ♦ आवश्यकता अनुसार अन्य विशेषज्ञ को राज्य/केन्द्र शासित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

एमटीपी नियमों में संशोधन की प्रमुख विशेषतायें 2021

- केवल एमएमए प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और अनुभव आवश्यकताएं को परिभाषित किया गया है।
- आउटडोर क्लिनिक से एक आरएमपी, 9 सप्ताह तक एमएमए दे सकता है। पहले यह समय सीमा केवल 7 सप्ताह थी।
- विभिन्न गर्भावधि के गर्भ समापन के लिए विभिन्न श्रेणियों के अस्पतालों का निर्धारण।
- विभिन्न गर्भावधि में गर्भ समापन पर राय के लिए आरएमपी की पात्रता का निर्धारण।
- नए प्रारूप: Form-D, Form-E, Form (संशोधित)।

शासकीय फेसीलिटी में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता तथा डीएलसी द्वारा पंजीकृत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

कॉम्प्रीहेन्सिव अबॉर्शन केयर (CAC) के साथ ही मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन (MMA) प्रशिक्षण का विस्तार—

वर्तमान में 466 स्वास्थ्य संस्थाओं पर सुरक्षित गर्भपात सेवायें प्रदान की जा रही हैं, मार्च 2023 (वर्षांत तक) 484 स्वास्थ्य संस्थायें सुरक्षित गर्भपात सेवायें प्रदान करने में सक्षम हो जायेंगी। प्रदेश में 23 प्रशिक्षण केन्द्रों पर चिकित्सकों को कॉम्प्रीहेन्सिव अबॉर्शन केयर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष सुरक्षित गर्भपात सेवा प्रशिक्षण के अतिरिक्त एम.एम.ए. प्रशिक्षण प्रारंभ किये गये हैं। पी.एच.सी. जहां चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं किंतु वे किन्ही कारणों से एम.टी.पी. नहीं करना चाहते उन्हें प्रशिक्षित कर एम.एम.ए. औषधि द्वारा गर्भपात हेतु कौशल विकास किया जा रहा है। एम.एम.ए. प्रशिक्षण में भी परामर्श सेवाओं पर विस्तार से जानकारी दी जाती है इससे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित जरूरतमंदों को सटीक परामर्श एवं सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हुयी है।

सुरक्षित गर्भपात सेवायें एक्ट के अधीन हैं और एक्ट में दिये गये प्रावधान अनुसार ही प्रशिक्षण एवं सेवायें प्रदान की जा सकती हैं। इसका पालन करते हुये राज्य में वर्ष 2007-08 से निरंतर चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें कुल 1797 चिकित्सकों को कॉम्प्रीहेन्सिव अबॉर्शन केयर प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जा चुका है। साथ ही चिकित्सक को सहयोग करने तथा हितग्राहियों को पोस्ट अबॉर्शन परिवार कल्याण सेवायें से संबंधित परामर्श प्रदान करने हेतु 110 नर्सिंग स्टॉफ को इंफेक्शन प्रिवेन्शन, काउंसलिंग एवं डाक्यूमेंटेशन में प्रशिक्षित किया गया है।

शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता—

लगभग 466 शासकीय स्वास्थ्य संस्थायें सुरक्षित गर्भपात की सेवायें प्रदान कर रही हैं। सुरक्षित गर्भपात सेवा प्रदान करने में बेहतर गुणवत्ता हेतु 529 संस्थाओं में एम.व्ही.ए. किट तथा सुरक्षित गर्भपात सेवा हेतु आवश्यक औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही प्रचार—प्रसार के लिए पोस्टर, पैम्पलेट बनाये गये हैं ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक होकर सेवायें प्राप्त कर सकें।

जिला स्तरीय समिति (District Level Committee-DLC) का गठन तथा कार्य—

सुरक्षित गर्भ समापन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने हेतु MTP Act (MTP Rules, 2003) एवं MTP (संशोधित) एक्ट, 2021 के नियमानुसार निजी स्वास्थ्य केन्द्रों को गर्भ समापन सेवाएं प्रदान करने हेतु अनुमोदन देने की प्रक्रिया को जिला स्तरीय समिति (District Level Committee—डीएलसी) को अधिकार दिया गया है। सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों को ये सेवाएँ उपलब्ध कराने की स्वीकृति स्वतः ही मिली हुई है, उन्हें इसके लिए अलग से जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।



- ❖ **DLC का गठन :-** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) DLC के अध्यक्ष होते हैं। समिति में 3 से 5 सदस्य जिनमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन/निश्चेतना विशेषज्ञ होना अनिवार्य है। शेष सदस्य एक स्थानीय चिकित्सक (यथासंभव FOGSI/IMA/नर्सिंग होम एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष), पंचायती राज अथवा स्थानीय NGO से होते हैं। सदस्यों में कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। DLC की कार्यावधि दो वर्षों की होती है व स्थानीय NGO के सदस्य दो बार से ज्यादा DLC के सदस्य नहीं हो सकते हैं।

- ❖ **DLC की बैठक :-** DLC की बैठक आवश्यक रूप से प्रति त्रैमास में होना है। इसमें निजी एवं शासकीय दोनों ही स्वास्थ्य केन्द्रों पर दी जा रही CAC सेवाओं पर DLC की बैठक में चर्चा एवं निर्णय लिया जाता है। बैठक में समस्त शासकीय अथवा प्राइवेट चिकित्सालयों की निगरानी की गयी, उसका ब्यौरा प्रस्तुत होता है। बैठक में सर्वसम्मति/ बहुमत से निर्णय लिये जाकर आगामी तीन माह के लिये कार्ययोजना तैयार की जाती है।



- ❖ **DLC द्वारा मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग की गतिविधियाँ :-** शासकीय/निजी (Private) दोनों ही प्रकार के क्लीनिक/चिकित्सालय की निगरानी की जिम्मेदारी DLC की होती है। प्रतिमाह कम से कम 3 फेसीलिटी (1 शासकीय एवं 2 निजी चिकित्सालय) का औचक निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। MMA, MVA प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुरक्षित गर्भसमापन सेवायें दिये जाने की समीक्षा की जाती है।

❖ DLC द्वारा निजी स्वास्थ्य केन्द्रों को MTP सेवाएं प्रदान करने हेतु अनुमति/अनुमोदन के लिए शर्तें एवं प्रक्रिया MTP Act (MTP Rules, 2003) एवं MTP (संशोधित) एक्ट, 2021 के प्रावधानों के तहत DLC को निम्नलिखित श्रेणियों के तहत गर्भ समापन सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु निजी स्वास्थ्य केन्द्र को अनुमोदित करने का अधिकार दिया गया है—

1 वे निजी स्वास्थ्य केन्द्र जो गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान (9–12 सप्ताह तक) गर्भसमापन की सेवाएँ देते हैं। 12 सप्ताह तक गर्भसमापन सेवाओं हेतु इन स्वास्थ्य केन्द्रों में निम्नलिखित सुविधाएँ होना आवश्यक है

- स्त्री रोग परीक्षण (Examination) टेबल—प्रसूति (Labor) टेबल
- रिससिटेशन उपकरण (Resuscitation equipments)
- स्टेरीलाइजेशन उपकरण (sterilization equipments)
- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित आपातकालीन स्थितियों के लिए दवाएँ एवं नसों के माध्यम से दिए जाने वाले तरल (Parenteral fluids)
- शॉक के उपचार (management of shock) के लिए पूर्तिकर (बैकअप) सुविधाएँ
- परिवहन सुविधाएँ

2 वे निजी स्वास्थ्य केन्द्र जो गर्भावस्था की पहली और दूसरी दोनों तिमाहियों के दौरान (20–24 सप्ताह तक) गर्भसमापन की सेवाएँ देते हैं। दूसरी श्रेणी में (24 सप्ताह तक गर्भपात) उन स्थानों को अनुमोदित किया जा सकता है जिन स्वास्थ्य केन्द्रों में निम्नलिखित सुविधाएँ हो—

- 20–24 सप्ताह हेतु 2 प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ।
- पेट या गर्भाशय की (प्रसूति) शल्य—क्रिया हेतु शल्य—क्रिया टेबल (operation table)
- पेट या गर्भाशय की (प्रसूति) शल्य—क्रिया हेतु आवश्यक उपकरण (Gynecological or abdominal surgical instruments)
- एनेस्थेटिक उपकरण (anesthetic equipments)
- रिससिटेशन उपकरण (Resuscitation equipments)
- स्टेरीलाइजेशन उपकरण (sterilization equipment)
- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित आपातकालीन स्थितियों के लिए दवाएँ एवं नसों के माध्यम से दिए जाने वाले तरल (Parenteral fluids)

❖ पंजीकृत चिकित्सक द्वारा क्लीनिक से गर्भपात सेवा (केवल दवाइयों द्वारा)

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003) एवं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधित) एक्ट, 2021 के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक (Registered Medical Practitioner) को इस बात की अनुमति है कि वह अपने क्लीनिक पर गर्भधारण के 9 सप्ताह तक गोणियों (मिफेप्रिस्टोन तथा मिसोप्रोस्टोल अथवा कॉम्बी पैक) द्वारा गर्भसमापन की सलाह दे सकें, बशर्ते पंजीकृत चिकित्सक (RMP) किसी ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र से जुड़े हों जिसे गर्भपात सेवाएँ देने के लिए अनुमोदन प्राप्त है। इसके लिए उन्हें अनुमोदित स्वास्थ्य केन्द्र का सम्बद्धता प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एफिलिएशन) अपने क्लीनिक में चस्पा करना अनिवार्य होगा।

एम.टी.पी. हेतु स्थायी चिकित्सा बोर्ड

सुरक्षित गर्भपात सेवाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिकित्सीय गर्भ समापन नियम (एम.टी.पी. एक्ट) अधिनियम 1971 संशोधन कर एम.टी.पी. संशोधन अधिनियम, 2021 लागू किया गया है संशोधित अधिनियम में गर्भसमापन की अवधि 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह की गयी है। 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था का समापन एक्ट में अंकित विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।

विशेष श्रेणियों के लिये अधिकतम गर्भावधि सीमा महिलाओं की विशेष श्रेणियों (इसमें दुष्कर्म तथा अनाचार से पीड़ित महिलाओं तथा अन्य कमजोर महिलाओं जैसे—दिव्यांग महिलाएँ और नाबालिग आदि) के लिये गर्भकाल/गर्भावधि की सीमा को 24 सप्ताह से बढ़ाकर स्थायी चिकित्सा बोर्ड के निर्णय उपरांत अब कभी भी गर्भ का चिकित्सीय समापन करने का प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य

स्थायी चिकित्सा बोर्ड के गठन का मुख्य उद्देश्य गर्भपात हेतु प्राप्त आवेदनों में गर्भपात की अनुमति प्रदान करने में होने वाले विलंब को रोका जा सके। स्थायी चिकित्सा बोर्ड त्वरित चिकित्सीय अभिमत प्रदान कर अविलंब निर्णय की प्रक्रिया को संबल प्रदान करेंगे।

चिकित्सीय बोर्ड की कार्यविधि/भूमिका

चिकित्सीय बोर्ड स्थायी प्रकृति का होगा जिसमें पदेन सदस्य होंगे। चिकित्सीय बोर्ड का कार्य होगा कि 24 सप्ताह से अधिक अवधि के गर्भ में गर्भपात हेतु उचित चिकित्सीय सलाह दें। स्थायी चिकित्सा बोर्ड में निम्नानुसार विशेषज्ञों की टीम सदस्य के रूप में कार्य करेगी।

1. Obstetrics & Gynaecology (Ideally as team leader)
 2. Paediatrics/Neonatology
 3. Radiology/Sonology
 4. Specialist from any other departments may be included in the board as per the requirement of the case.
- किसी प्रकरण पर चर्चा के समय जो भी बोर्ड मेंबर उपलब्ध नहीं हो तो उनके उपयुक्त प्रतिनिधि को मेडिकल सुपरिटेण्डेंट अथवा संबंधित प्रशासकीय अधिकारी द्वारा नामित किया जाना होगा।
 - यदि कोई बलात्कार के कारण गर्भपात का प्रकरण आता है तो उक्त समिति में यथा संभव सोशल प्रोटेक्शन अधिकारी को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।
 - मेडिकल बोर्ड में कम से कम एक सदस्य महिला होना आवश्यक है।
 - प्रकरण प्राप्त होने के तत्काल बाद मेडिकल बोर्ड की बैठक आमंत्रित की जायेगी। धारा 3 की उपधारा (2ख) के अधीन गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिये आवेदन की तारीख से पांच दिनों के अंदर समुचित परामर्श के साथ सभी सुरक्षा व पूर्व सावधानियों के साथ की जाय। अर्थात् मेडिकल बोर्ड के पास आवेदन आने के 5 दिवस में प्रोसीजर तक की प्रक्रिया पूर्ण होना अनिवार्य है।

वर्तमान में एम.टी.पी. स्थायी चिकित्सा बोर्ड मध्यप्रदेश में छह शासकीय मेडिकल कॉलेज यथा—भोपाल, इंदौर (उज्जैन सम्मिलित), जबलपुर, ग्वालियर, रीवा एवं सागर में स्थायी मेडिकल बोर्ड बनाया गया है।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

मद	भारत	मध्यप्रदेश
क्षेत्रफल (हजार वर्ग किलोमीटर)	3287	308
जनसंख्या 2011 जनगणना (हजार में)		
कुल	1210854	72627
पुरुष	623270	37612
महिला	587584	35015
प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर (2001-2011)	17.7	20.3
अनुसूचित जाति (प्रतिशत)	16.6	15.6
अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत)	8.6	21.1
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर) .	382	236
लिंग अनुपात (महिला / 1000 पुरुष)	943	931
ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत)	68.9	72.4

स्त्रोत – भारत के जनगणना आयुक्त एवं महारजिस्ट्रार वर्ष 2011

महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांक

जन्म दर	24.5 प्रति हजार जनसंख्या (एएचएस 2010-11)
सकल मृत्यु दर	6.6 प्रति हजार जनसंख्या (एएचएस 2010-11)
मातृ मृत्यु दर	173 प्रति लाख जीवित जन्म (एसआरएस 2018-2020)
शिशु मृत्यु दर	41.3 प्रति हजार जीवित जन्म (एनएफएचएस 5)
सकल प्रजनन दर	2.0 (एनएफएचएस 5)

॥ सुरक्षित गर्भपात सेवायें चिन्हित संस्थाओं में निःशुल्क उपलब्ध हैं ॥

स्वास्थ्य संस्थाओं की जानकारी

क्र.	संस्था का नाम	31.12. 2022 की स्थिति में
1.	जिला चिकित्सालय बिस्तर संख्या	52 16650
2.	ट्रामा सेन्टर	51
3.	सिविल अस्पताल बिस्तर संख्या	135 9101
4.	30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिस्तर संख्या	353 10590
5.	06 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिस्तर संख्या	1445 8670
6.	उप स्वास्थ्य केन्द्र	10111
7.	1. सिविल डिस्पेन्सरी (शहरी) 2. शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	92 80
8.	पॉली क्लीनिक इंदौर (मल्हारगंज, हुकुमचंद), उज्जैन (पॉली क्लीनिक) ग्वालियर (पॉली क्लीनिक), जबलपुर (मोती नाला)	05
9.	क्षेत्रीय नैदानिक केन्द्र (गुना, छिंदवाड़ा, खण्डवा, होशंगाबाद, मुरैना, सतना, छतरपुर, धार, मण्डला एवं राजगढ़)	10

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना हेतु भारत शासन के प्रावधान आधारित मापदण्ड

क्र.	स्वास्थ्य संस्थाएँ	जनसंख्या आधारित मापदण्ड	
		आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	सामान्य क्षेत्र/अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र
1	उप स्वास्थ्य केन्द्र	एक प्रति 3,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर	एक प्रति 5,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	एक प्रति 20,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर	एक प्रति 30,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	एक प्रति 80,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर	एक प्रति 1.20 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर

॥ छोटा परिवार, सुखी परिवार ॥

जिलेवार चिकित्सा संस्थाओं की जानकारी 2022-23

क्र.	जिले का नाम	जिला चिकित्सालय		सिविल अस्पताल		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		उप स्वा. केन्द्र की संख्या	कुल स्वास्थ्य संस्थाएं	कुल स्वास्थ्य शैया
		संख्या	शैया	संख्या	शैया	संख्या	शैया	संख्या	शैया			
1	Agar-Malwa	1	200	2	100	1	30	9	54	75	88	384
2	Alirajpur	1	100	1	50	7	210	17	102	192	218	462
3	Anuppur	1	200	0	0	9	270	26	156	159	195	626
4	Ashoknagar	1	200	2	100	4	120	11	66	131	149	486
5	Barwani	1	400	2	150	12	360	29	174	328	372	1084
6	Balaghat	1	400	3	200	8	240	43	258	291	346	1098
7	Betul	1	300	1	50	10	300	37	222	318	367	872
8	Bhind	1	400	2	150	8	240	34	204	202	247	994
9	Bhopal	1	400	4	405	3	90	13	78	65	86	973
10	Burhanpur	1	200	0	0	4	120	17	102	99	121	422
11	Chhatarpur	1	300	2	100	10	300	40	240	236	289	940
12	Chhindwada	1	400	6	430	9	270	68	408	313	397	1508
13	Damoh	1	300	1	60	6	180	22	132	173	203	672
14	Datia	1	350	2	56	4	120	16	96	105	128	622
15	Dewas	1	500	4	136	5	150	30	180	205	245	966
16	Dhar	1	300	4	250	15	450	50	300	474	544	1300
17	Dindori	1	100	0	0	7	210	26	156	188	222	466
18	Guna	1	400	1	100	6	180	19	114	158	185	794
19	Gwalior	1	300	4	260	6	180	17	102	119	147	842
20	Harda	1	200	0	0	4	120	11	66	78	94	386
21	Hoshangabad	1	300	4	360	4	120	23	138	157	189	918
22	Indore	1	300	7	470	8	240	29	174	115	160	1184
23	Jabalpur	1	500	5	522	7	210	28	168	175	216	1400
24	Jhabua	1	200	2	200	8	240	21	126	291	323	766
25	Katni	1	350	2	110	6	180	25	150	163	197	790
26	Khandwa	1	400	2	120	8	240	31	186	182	224	946
27	Khargone	1	300	4	240	10	300	58	348	316	389	1188

28	Mandla	1	300	1	100	11	330	34	204	273	320	934
29	Mandsour	1	500	3	149	7	210	40	240	179	230	1099
30	Morena	1	600	6	350	5	150	26	156	236	274	1256
31	Narsingpur	1	300	3	180	6	180	23	138	138	171	798
32	Neemuch	1	200	3	185	2	60	20	120	102	128	565
33	Panna	1	300	1	50	5	150	20	120	154	181	620
34	Raisen	1	350	6	370	6	180	32	192	181	226	1092
35	Rajgarh	1	500	5	400	5	150	32	192	214	257	1242
36	Ratlam	1	500	2	130	8	240	28	168	194	233	1038
37	Rewa	1	100	5	300	9	270	45	270	316	376	940
38	Sagar	1	300	5	300	9	270	46	276	256	317	1146
39	Satna	1	400	6	510	10	300	48	288	303	368	1498
40	Sehore	1	300	3	250	9	270	25	150	157	195	970
41	Seoni	1	400	3	200	5	150	37	222	283	329	972
42	Shahdol	1	300	2	150	8	240	32	192	228	271	882
43	Shajapur	1	300	3	138	5	150	20	120	115	144	708
44	Sheopur	1	200	0	0	5	150	13	78	104	123	428
45	Shivpuri	1	400	0	0	9	270	22	132	245	277	802
46	Singroli	1	200	0	0	7	210	21	126	202	231	536
47	Sidhi	1	300	0	0	7	210	31	186	191	230	696
48	Niwari	1	100	1	50	2	60	10	60	60	74	270
49	Tikamgarh	1	300	1	50	7	210	16	96	144	169	656
50	Ujjain	1	700	6	360	6	180	29	174	206	248	1414
51	Umaria	1	200	0	0	5	150	15	90	124	145	440
52	Vidisha	1	300	3	260	6	180	30	180	198	238	920
TOTAL		52	16650	135	9101	353	10590	1445	8670	10111	12096	45011

॥ छोटा परिवार, सुखी परिवार ॥

भाग – दो

1. बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)

॥ प्रदेश के समग्र विकास के लिए रखें सीमित परिवार ॥

राज्य बजट में स्वास्थ्य सेक्टर के लिये उपलब्ध राशि वर्षवार बजट प्रावधान एवं व्यय

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत
2017-18	567300.34	567300.34	522385.85	92.08%
2018-19	661678.56	661678.56	549850.78	83.10%
2019-20	761234.04	761234.04	672753.66	88.38%
2020-21	751613.34	751613.34	717577.72	95.47%
2021-22	1062772.76	1062772.76	967798.68	91.06%
2022-23	1033162.65	1033162.65	645326.9773	62.46%

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

1. 2211 परिवार कल्याण

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत
2017-2018	48356.83	40381.07	83.51%
2018-2019	55574.13	49026.76	88.22%
2019-2020	54532.69	53152.80	97.47%
2020-2021	57918.50	51523.99	88.96%
2021-2022	60072.46	54341.72	90.46%
2022-2023	57992.01	46458.73	80.11%

2. 9922-15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत
2021-2022	92279.92	62324.00	67.54%
2022-2023	92300.00	29955.92	32.45%

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना

1. 5724—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत
2017-2018	237253.05	237253.03	100.00%
2018-2019	197500.06	159600.64	80.81%
2019-2020	288553.06	288552.94	100.0%
2020-2021	311563.05	302594.33	97.12%
2021-2022	449227.09	449208.95	100.00%
2022-2023	360000.06	253294.13	70.36%

2. 9923—प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत
2021-2022	12625.00	3157.00	25.01%
2022-2023	10090.00	5190.00	51.44%

3. 2315 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (आयुष्मान भारत)

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत
2018-2019	42500.00	8650.44	20.35%
2019-2020	37500.00	11823.01	31.53%
2020-2021	46391.80	46391.80	100.00%
2021-2022	40000.00	40000.00	100.00%
2022-2023	83333.00	21332.21	25.60%

राज्य सहायता योजना

1. 2366—मुख्यमंत्री श्रमिक प्रसूति सहायता योजना

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत
2018-2019	60000.00	23610.00	39.35%
2019-2020	51685.94	36064.85	69.78%
2020-2021	39574.38	39574.38	100.00%
2021-2022	40300.00	40300.00	100.00%
2022-2023	30000.00	19200.00	64.00%

2. 9569—आयुष्मान भारत (नॉन एस.ई.सी.सी.)

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत
2022-2023	10200.00	6528.00	64.00%

3. 9548—आशा कार्यकर्ता को अतिरिक्त प्रोत्साहन

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत
2022-2023	9010.00	6088.60	67.58%

नोट :- वित्तीय वर्ष 2022-23 संबंधित आंकड़े 01.04.2022 से 27.12.2022 तक की स्थिति में है।

॥ कोरोना से बचने के लिये जरूरी –
मास्क पहनें, धोते रहे हाथ, रखें दो गज की दूरी॥

भाग-तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

राज्य योजनाएं

1. रोगी कल्याण समिति
2. डायलिसिस योजना
3. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)
4. आपदा प्रबंधन
5. सूचना शिक्षा संचार गतिविधियाँ

रोगी कल्याण समिति

देश में सर्वप्रथम जनसहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की पहल अक्टूबर 1994 में एम.व्हाय अस्पताल, इंदौर से की गई थी तथा इसी उद्देश्य से रोगी कल्याण समिति गठित कर उसके माध्यम से धनराशि एकत्र की गई थी। रोगी कल्याण समिति को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से फरवरी 1995 में प्रारंभिक तौर पर अस्पताल द्वारा दी जा रही कुछ सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित किये गये थे। इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए अप्रैल 1995 में राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्वरूप देने का निर्णय लिया गया है। एम.व्हाय अस्पताल इंदौर में रोगी कल्याण समिति के रूप में किये गये अभिनव प्रयास की सफलता से प्रेरित होकर प्रदेश के अन्य जिलों में भी रोगी कल्याण समिति का गठन कर अस्पतालों में दी जा रही सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

राज्य शासन द्वारा सितम्बर 1995 में प्रदेश के सभी जिलों में रोगी कल्याण समितियों के गठन एवं सुचारु संचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये थे किन्तु इसमें कुछ व्यवहारिक बाधाएँ सामने आई जिन्हें दूर करते हुए 8 दिसम्बर 1999 को रोगी कल्याण समिति की नियमावली और अस्पताल परिसर का प्रयोजन हेतु उपयोग/विकास करने के संबंध में मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये थे। तत्पश्चात फरवरी 2000 दिसम्बर 2000 एवं अक्टूबर 2010 में रोगी कल्याण समिति की नियमावली में आंशिक संशोधन किये गये। रोगी कल्याण समितियों को अधिक उपयोगी एवं समसामयिक आवश्यकता के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से इनकी नियमावली एवं संरचना की समीक्षा कर पुनः मई 2018 में इसे पुनरीक्षित करते हुए नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये जो वर्तमान में प्रभावी हैं। प्रदेश रोगी कल्याण समिति के संबंध में किये गये नवाचार को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया तथा राष्ट्रीय स्तर पर इस मॉडल को अपनाते हुए अन्य राज्यों में भी रोगी कल्याण समितियाँ गठित की गई हैं। जनभागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं प्रबंधन में किये गये नवाचार के लिए रोगी कल्याण समिति को टोकियो में 13 फरवरी 2000 को बेस्ट इनोवेशन प्रोजेक्ट के तरह ग्लोबल डेवलपमेंट अवार्ड के लिए चुना गया था तथा इसके लिये 1.25,000 यू.एस.डॉलर का पुरस्कार प्रदान किया गया था।

संरचना

रोगी कल्याण समिति एक प्रबंधकीय संरचना है। स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रोगी कल्याण समिति के प्रबंधन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। रोगी कल्याण समितियों में विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधि, दानदाता और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता सदस्य होते हैं। रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से अस्पतालों के प्रबंधन में जनभागीदारी सुनिश्चित होने से अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने एवं मरीजों के लिये अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं।

उद्देश्य

रोगियों के कल्याण एवं चिकित्सालयों में सुविधाओं की सतत् वृद्धि के उद्देश्य से रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। रोगी कल्याण समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाय व्यवस्था को पारदर्शी एवं सेवाओं के बेहतर बनाने हेतु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये संस्था प्रबंधन निकाय में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

रोगी कल्याण समिति अस्पताल में मरीजों के लिये बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने एवं अस्पताल के प्रबंधन के लिये अधिकृत है। रोगी कल्याण समिति को सेवाओं की आवश्यकताओं के हिसाब से प्रबंधन और गतिविधियां संचालित करने के लिये स्वतंत्रता दी गई हैं।

गतिविधियां

रोगी कल्याण समितियां अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वतः राशि की व्यवस्था करती हैं एवं प्रबंधन समिति में लिये गये निर्णयों के अनुरूप गतिविधियों को संपादित करने में राशि का उपयोग करती हैं। रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से अस्पताल परिसर के विकास, साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल प्रबंध, मरीज के परिजनों के लिये प्रतिकूलालय निर्माण, उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, नवीन उपकरणों एवं सामग्री का क्रय, औषधियों का क्रय एवं मानव संसाधन की उपलब्धता, रोगी वाहन की सुविधा, मरीजों एवं परिजनों के लिये भोजन की व्यवस्था आदि की जाती है। इसके अलावा कतिपय जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस सुविधा एवं सीटी स्कैन जैसी आधुनिक चिकित्सा सेवायें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रदेश के चिकित्सालयों में पूर्व में केवल गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाता था तथा अन्य श्रेणी के मरीजों से प्रदाय सुविधा के एवज में उपभोक्ता शुल्क की राशि ली जाती थी। विगत कुछ वर्षों से राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप प्रदेश के चिकित्सालयों में आने वाले सभी श्रेणी के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं साथ ही आवश्यक सभी औषधियां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। मरीजों से लिये दानदाता उपभोक्ता शुल्क रोगी कल्याण समितियों की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था किन्तु अब इन समितियों की आय अत्यंत सीमित हो गई है। इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा अस्पतालों की रिक्त भूमि/परिसर का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिये किये जाने पर रोक लगाने के कारण भी रोगी कल्याण समितियों की आय प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। वर्तमान में रोगी कल्याण समितियों की आय का मुख्य स्रोत दानदाताओं से प्राप्त राशि तथा अस्पतालों में लिये जाने वाले ओपीडी शुल्क ही है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अस्पतालों को अनाबद्ध राशि प्रदान की जाती है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को शासकीय चिकित्सालय में उपचार प्रदाय करने पर पैकेज राशि का 36 प्रतिशत राशि रोगी कल्याण समिति में जमा की जाती है जिससे की स्वास्थ्य संस्था का उन्नयन किया जा सके।

रोगी कल्याण समितियों का गठन

प्रदेश में विभिन्न स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगी कल्याण समितियां गठित की गई है उसका विवरण निम्नानुसार है –

- जिला चिकित्सालय – 52
- सिविल अस्पताल – 135
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – 353
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – 1245

॥ जब है रोगी कल्याण समिति का साथ,
तो फिर क्यों हो चिंता की बात ॥

डायलिसिस योजना

प्रदेश में असंचारी रोगों के निदान व उपचार को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2013 में चिन्हांकित जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस सेवाएं प्रारम्भ की गई। देश में सर्वप्रथम लोक निजी भागीदारी के अर्न्तगत डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध करायी गयीं। 26 जनवरी 2016 से प्रदेश के सभी जिलों में इन सेवाओं का विस्तार किया गया। वर्तमान में प्रदेश के 51 जिला चिकित्सालयों तथा 8 उप जिला स्तरीय चिकित्सालयों में डायलिसिस इकाइयां क्रियाशील हैं। वर्ष 2022-23 में 6 नई डायलिसिस इकाइयां स्वीकृत की गयी हैं।

उपरोक्त डायलिसिस इकाइयों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी हितग्राहियों तथा आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क सेवायें प्रदान की जाती हैं। अन्य रोगियों को न्यूनतम शुल्क पर यह सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

लोक-निजी भागीदारी के अनुबंध के अर्न्तगत शासकीय चिकित्सालय द्वारा इकाई हेतु आवश्यक स्थान, उपकरण व औषधियां प्रदान की जाती हैं। सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा मानव संसाधन व डायलिसिस करने हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। ईकाई के प्रभारी चिकित्सक द्वारा रोगियों का दैनंदिन उपचार किया जाता है। विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट का परामर्श एजेन्सी द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है।

सम्पूर्ण कायाकल्प अभियान के अर्न्तगत प्रदेश की डायलिसिस इकाइयों में 93 नई डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराई गई है। इससे प्रत्येक जिला स्तरीय इकाई में न्यूनतम 5 मशीन उपलब्ध हो गयी हैं। रोगियों को तत्काल डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह विस्तार किया गया है।

वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 तक 90,515 डायलिसिस सत्र किये गये। प्रतिमाह किये जाने वाले डायलिसिस की संख्या 7 हजार से बढ़कर 10 हजार हो गई है।



॥ जिला चिकित्सालयों में जाइये, निःशुल्क डायलिसिस सुविधा अपनाईये ॥

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम

प्रदेश में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) संक्रामक रोगों के सर्वेक्षण कार्य के संपादन हेतु भारत शासन द्वारा माह अक्टूबर 2004 से संचालित है।

आई.डी.एस.पी. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संक्रामक बीमारियों की रिपोर्टिंग, सर्वेक्षण कार्य संपादन तथा संक्रामक बीमारियों की महामारी की तत्काल सूचना प्राप्त कर शीघ्रता शीघ्र नियंत्रण करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में संचालित सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थाओं से समन्वय कर रिपोर्टिंग तथा सतत् निगरानी कर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है। जिसमें संक्रामक बीमारियों के डाटा संधारण कर डाटा विश्लेषण के आधार पर बीमारियों का पूर्वानुमान किया जाता है। आई.डी.एस.पी. कार्यक्रम अंतर्गत संक्रामक रोगों की रिपोर्टिंग आई.डी.एस.पी. पोर्टल पर सप्ताहिकी रिपोर्टिंग प्रपत्र सिन्ड्रोम “S Form”, प्रिजम्टीव “P Form” व लेबोरेटरी “L Form” में की जाती थी।

संक्रामक बीमारियों की त्वरित सूचना प्राप्त कर नियंत्रण व रोकथाम के उद्देश्य से भारत शासन द्वारा देश में माह अप्रैल 2021 में Integrated Health Information Platform (IHIP) लॉन्च किया गया है दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से संक्रामक बीमारियों की रिपोर्टिंग की जा रही है।

वर्ष 2022-2023 में उप स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थ ए.एन.एम. द्वारा टेबलेट-ऐप के माध्यम से IHIP प्लेटफॉर्म पर सिन्ड्रोमिक “S Form”- 11604 इकाई में लक्षणों के आधार पर बीमारियों की Real time, Case based, GIS based, Electronic Platform में रिपोर्टिंग की जा रही है। चिकित्सीय संस्थानों के चिकित्सा अधिकारी व फर्मासिस्ट द्वारा डेस्कटॉप के माध्यम से प्रिजम्टिव “P Form”- 2083 इकाई में बीमारियों की रिपोर्टिंग तथा लेबोरेटरी “L Form”-1568 इकाई में बीमारियों की जांच कर रिपोर्टिंग जा रही है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रोगों की सतत् निगरानी का कार्य राज्य एवं जिला स्तर पर किया जा रहा है। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

- वाहक जनित रोग जैसे- मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, जीका वायरस।
- दूषित जल से होने वाले रोग जैसे- हैजा, टाइफाइड।
- श्वसन रोग से संबंधित रोग जैसे- एक्यूट रैस्पायरेटरीइलनेस, सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) एवं कोविड-19 महामारी
- वैक्सीन द्वारा रोकथाम वाले रोग जैसे- खसरा, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी।
- जूनोटिक (पशु जन्य) रोग जैसे- ग्लैण्डर्स, स्क्रब टाईफस, लेप्टोस्पायरोसिस, जापानी इन्सेफैलाइटिस, एवियन इन्फ्लूएन्जा, के.एफ.डी., निपाह वायरस आदि।

वर्ष 2022 में IHIP प्लेटफॉर्म पर उपस्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थ ए.एन.एम. द्वारा सिन्ड्रोमिक “S Form” में दर्ज दिनांक 01 जनवरी 2022 से दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक लक्षणों के आधार पर संक्रामक बीमारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

“S Form” 01.01.2022 to 31.12.2022		
S.No	Syndromes	Total cases
1	Only Fever ≥ 7 days	857841
2	Only Fever < 7 days	1837299
3	Fever with Rash	26503
4	Fever with Bleeding	2324
5	Fever with Altered sensorium	12208
6	Cough ≤ 2 weeks with fever	102402
7	Cough ≤ 2 weeks without fever	319168
8	Cough > 2 weeks with fever	45638
9	Cough > 2 weeks without fever	56374
10	Loose watery stools with blood < 2 weeks	16345
11	Loose watery stools without blood < 2 weeks	245778
12	Jaundice of < 4 weeks	3671
13	Acute Flaccid Paralysis	627
14	Malaria Vivax RDT	2008
15	Malaria Falciparum RDT	751
16	Malaria Mixed RDT	913
17	Animal Bite - Snake Bite	872
18	Animal Bite - Dog Bite	2902
19	Animal Bite – Others	7763
20	Others	21903

चिकित्सीय संस्थानों से प्रिज्मटिव “P Form” में दर्ज बीमारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

P form 01.01.2022 to 31.12.2022		
S No.	Syndromes	Total cases
1	Only Fever ≥ 7 days	234546
2	Only Fever < 7 days	285880
3	Fever with Rash	6867
4	Fever with Bleeding	684
5	Fever with Altered sensorium	541
6	Cough ≤ 2 weeks with fever	81585
7	Cough ≤ 2 weeks without fever	108391
8	Cough > 2 weeks with fever	22209
9	Cough > 2 weeks without fever	43412

10	Jaundice of < 4 weeks	1899
11	Acute Flaccid Paralysis	135
12	Animal Bite - Snake Bite	1189
13	Animal Bite - Dog Bite	65573
14	Animal Bite – Others	3345
15	Acute Diarrhoeal Disease	38979
16	Acute Encephalitic Syndrome	100
17	Acute Hepatitis	906
18	ARI/Influenza Like Illness(ILI)	130425
19	Severe Acute Respiratory Infection (SARI)	3657
20	Dysentery	15169
Diseases		
21	Chickenpox	301
22	Diphtheria	88
23	Malaria	204379
24	Measles	205
25	Meningitis	54
26	Mumps	103
27	Pertussis	128
28	Typhoid	52326

संक्रामक बीमारियों की सतत निगरानी करते हुये IHIP प्लेटफॉर्म पर Total Outbreak-329, Event-1075, Health condition alert-138, दर्ज किये गये हैं। संक्रामक बीमारियों Outbreak का जिला स्तरीय RRT दल तथा राज्य स्तरीय RRT दल द्वारा जांच, रोकथाम एवं नियंत्रण गतिविधि संपादित की जा रही हैं।

IHIP MP Dashbord हेतु वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश को सम्मानित किया गया एवं इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया गया है।

वर्तमान में आई.डी.एस.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत संक्रामक बीमारियों के संभावित सैम्पलों की त्वरित जाँच हेतु 05 माइक्रोबायोलॉजी लैब (DPHL) विकसित की गई है एवं राज्य संदर्भ प्रयोगशाला (एस.आर.एल) जी.एम.सी. भोपाल, एम.जी.एम.एम.सी. इंदौर, जी.एम.सी. रतलाम एवं बी.एम.सी. सागर, जी.आर.एम.सी. ग्वालियर में क्रियाशील है।

वर्ष 2022-23 में भारत सरकार की 15वें वित्त आयोग एवं पीएम-एबीएचआईएम परियोजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल अस्पताल में स्थापना के लिये 107 बीपीएचएल का चयन किया गया है।

कोविड-19 (COVID-19) :-

- दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक कुल 302,56,219 संभावित रोगियों के सेम्पलों की जांच की गई जिसमें कोविड-19 महामारी के कुल 10,54,919 पॉजिटिव प्रकरण पाये गये, जिनमें 10,44,138 कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुये तथा 10,776 रोगियों की मृत्यु हुई। वर्तमान में 05 एक्टिव प्रकरण की संख्या है।
- राज्य में कोविड-19 वायरस के वेरियंट का पता लगाने के लिये कुल 9,828 सेम्पलों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमें वेरियंट ऑफ कनसर्न- 1,828, डेल्टा प्लस म्युटेशन-14, युके स्ट्रेन (Alpha)-79, ट्रीपल म्युटेशन (Delta)-731, ओमीकॉन-1,004 पाये गये है।
- प्रदेश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की ट्रेसिंग, सैम्पलिंग, आईसोलेशन एवं रिपोर्टिंग व सतत निगरानी की गतिविधियां संपादित की जा रही हैं।
- कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरण को Whole Genome Sequencing (WGS) सैम्पलिंग द्वारा उच्च स्तरीय लैब में भेजकर कोविड-19 के वायरस के म्युटेशन की पहचान कर आवश्यक रोकथाम एवं उपचार प्राटोकॉल के अनुसार करवाया जा रहा है।
- प्रतिदिन कोविड-19 महामारी का बुलेटिन जारी किया जाता है।
- प्रतिदिन समन्वय पूर्वक Covid-19 daily dashboard तैयार किया जाता है।

॥ कोविड अनुकूल व्यवहार अपनायें, कोरोना को हरायें ॥

आपदा प्रबंधन

वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व में संक्रामक बीमारियों एवं महामारी फैलने की संभावना होती है। अतः वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व से फैलने वाली संक्रामक बीमारियों एवं महामारी नियंत्रण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

जो निम्नानुसार है :-

1. अतिवृष्टि अथवा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्देश जारी किये गये।
2. अतिवृष्टि से होने वाली बीमारियों की रोकथाम व उपचार हेतु ए.एन.एम. आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से सहभागिता सुनिश्चित कर संक्रामक रोगों के उपचार की व्यवस्था की जाती है एवं जिलों में संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने हेतु स्वच्छता संबंधी विशेष प्रचार-प्रसार अभियान जैसे साफ-पानी, साफ-हाथ रखें, आयोजित किये गये। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पेयजल के शुद्धीकरण हेतु औषधियाँ एवं ब्लीचिंग पाउडर, जीवन रक्षक घोल (ओ.आर.एस.), क्लोरीन की गोलियाँ, पैरासिटामाल की गोलियाँ, मैट्रोजिल की गोलियाँ नागरिकों को उपलब्ध कराई गई है।
3. राज्य के जल जनित तथा वेक्टर बोरन बीमारियां फैलने की संभावना वाले 4,649 समस्या मूलक ग्रामों में 4,100 दुर्गम क्षेत्र चिन्हित किये हैं। इन गांवों/क्षेत्रों में संक्रामक रोग हैजा, टाइफाइड, वैक्टर जनित विभिन्न रोग जैसे- मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, डायरिया, आंत्रशोथ - कालरा एवं पीलिया, के फैलने का जोखिम बढ़ जाता है। उक्त बीमारियों के प्रभावी रोक-थाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य स्तर से निर्देश जारी किये गये हैं।
4. वर्षा के कारण पानी के प्रदूषित हो जाने के फलस्वरूप जल जन्य/संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इन बीमारियों के नियंत्रण हेतु राज्य स्तर से संबंधित जिलों को निर्देश जारी किये गये हैं।
5. आपदा प्रबंधन विषय पर क्षमता वृद्धि हेतु जिलेवार क्यू.एम.आर.टी. टीम गठन में नियमानुसार सदस्य होते हैं, नोडल आफिसर, पी.जी.एम.सर्जरी (आर्थो.), दो मेडिकल आफिसर, एक ड्रेसर एवं एक सपोर्ट स्टाफ। आपदा प्रबंधन में आपदा की स्थिति में बचाव हेतु प्रत्येक जिले में एक आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।
6. समस्त जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित कर विभिन्न विभाग जैसे- वन, पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, राजस्व, मौसम विभाग, पंचायत एवं शिक्षा आदि से सहयोग स्थापित कर बाढ़ ग्रस्त जिलों के क्षेत्रों में महामारी नियंत्रण की व्यवस्था की गई है।
7. आकाशीय बिजली, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों हेतु आपातकालीन सेवाओं की विशिष्ट कार्य योजना बनाकर जिले के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

8. शीत ऋतु में शीत लहर की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। शीत ऋतु में शीत लहर के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की बीमारियों की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जैसे— फ्लू होना, सर्दी खांसी एवं जुकाम आदि हैं। अतः शीत घात (शीत लहर) से बचाव हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये।
9. प्रदेश में अचानक कोई प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति को देखते हुये जैसे— अग्नि, सूखा, भूकंप एवं रासायनिक आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों हेतु आपातकालीन सेवाओं की विशिष्ट कार्य योजना बनाकर जिले के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
10. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भोपाल के सहयोग से निर्धारित तिथि अनुसार चार चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ एवं इंजीनियर्स आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। विभाग के द्वारा सूचना तंत्र का सुदृढीकरण एवं प्रचार-प्रसार की गतिविधियों की जाती है। वर्ष 2022 में माह दिसम्बर तक में कोविड आपदा को दृष्टिगत रखते हुए पैरामेडिकल स्टाफ एवं समतुल्य का ऑनलाइन आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा करवाया गया। आपदा प्रबंधन विषय पर विभिन्न जिले के 26 चिकित्सा अधिकारियों को राज्य स्तर पर चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि किसी आपदा की स्थिति में संबंधित जिलों में प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके संक्रामक रोगों की महामारी नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये।
11. व्ही.आई.पी. भ्रमण के समय आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रसारित किये गये।

॥ जीवन है सबका अनमोल, दस्त में जिक्र एवं ओ.आर.एस. का घोल ॥

सूचना शिक्षा संचार गतिविधियाँ

राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों, स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु प्रदेश में सूचना शिक्षा संचार गतिविधियों का नियोजन, पर्यवेक्षण व संचालन किया जाता है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कार्यक्रम अधिकारियों के समन्वय से राज्य स्तर की आईईसी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वीकृत आरओपी अंतर्गत उपलब्ध बजट से केन्द्र प्रवर्तित योजनायें एवं विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी जनसामान्य को दिए जाने हेतु राज्य स्तर से आईईसी गतिविधियाँ जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन, आकाशवाणी एवं निजी एफ.एम. चैनल्स से जिंगल्स का प्रसारण, सजीव फोन-इन कार्यक्रम, बातें सेहत की, स्वास्थ्य दर्पण, प्रमुख क्षेत्रीय समाचार चैनल्स पर स्कॉल का प्रसारण किया गया। सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी जनसामान्य को दिये जाने हेतु निरंतर संदेश अपलोड किये जा रहे हैं ताकि अधिकाधिक लोगों तक जानकारी पहुंचा कर स्वस्थ प्रदेश की परिकल्पना को साकार किया जा सके।

विशेष उपलब्धि — विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 महामारी घोषित किये जाने के उपरांत कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों के समन्वय से समय-समय पर आवश्यकतानुसार रणनीति तैयार कर ग्राम स्तर तक कोविड-19 से बचाव की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य एवं जिला स्तरीय विभिन्न प्रकार की आईईसी गतिविधियाँ की जाकर आमजन को जागरूक किया गया और कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में विशेष उपलब्धि हासिल की गई। सोशल मीडिया पर जागरूकता के संदेश निरंतर जारी हैं। प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ की गई हैं :-

1. **स्वास्थ्य मेले का आयोजन** — आजादी का अमृत महोत्सव 75 वी वर्षगांठ पर प्रदेश के समस्त विकासखण्ड स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाना, स्वास्थ्य के प्रति जनता को जागरूक करना तथा आयुष्मान कार्ड बनवाने में गति लाना है। इन स्वास्थ्य मेले में सर्वाधिक मरीजों को टेली परामर्श देकर एक इतिहास रचा गया।
2. **कोविड-19 टीकाकरण अभियान** — कोविड संक्रमण से सुरक्षा के लिए कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण सबसे कारगर उपाय है। प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण अभियान आरंभ किया गया जो कि आज दिनांक तक विभिन्न चरणों में निरंतर सम्पादित किया जा रहा है। प्रत्येक चरण में पात्र नागरिकों को टीकाकरण करवाने के लिये प्रेरित किये जाने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए विभिन्न आई.ई.सी. गतिविधियाँ सम्पादित की गई।

- **कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव** — 15 जुलाई से 30 सितम्बर 2022 तक 18 से अधिक आयु वर्ग के पात्र नागरिकों को जन अभियान के रूप में कोविड-19 प्रीकॉशन

डोज दिये गये। 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के ऐसे समस्त नागरिक जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की द्वितीय डोज उपरांत 6 माह (26 सप्ताह) की अवधि पूर्ण कर ली है, उन सभी नागरिकों को भी कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज दी गई। जिन हितग्राहियों को जिस वैक्सीन का द्वितीय डोज दिया गया है प्रिकॉशन डोज के रूप में भी वही वैक्सीन दी गई अर्थात् कोविशील्ड से टीकाकृत हितग्राहियों को कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन से टीकाकृत हितग्राहियों को कोवैक्सीन दी गई।

- **वैक्सीनेशन महाअभियान** — कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव के दौरान दिनांक 27 जुलाई, 3 अगस्त, 17 अगस्त, 31 अगस्त, 14 सितंबर एवं 28 सितंबर 2022 को जन भागीदारी द्वारा वैक्सीनेशन महाअभियान आयोजित किये गये।
- **डी.पी.टी./टी.डी. टीकाकरण अभियान** — प्रदेश में 5 वर्ष, 10 वर्ष एवं 16 वर्ष उम्र के किशोर बालक/बालिकाओं को टिटनेस एवं अडल्ट डिप्थीरिया से बचाव हेतु दिनांक 16 से 31 अगस्त 2022 तक डी.पी.टी./टी.डी. टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। अभियान अन्तर्गत समस्त विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपरोक्त आयुवर्ग के सभी बच्चों को डी.पी.टी./टी.डी. वैक्सीन के टीके से टीकाकृत किया गया। इस अभियान में जन जागरूकता हेतु समस्त युवा वॉलेन्टीयर (साथिया समूह, नेहरू युवा केन्द्र, एनसीसी, स्काउट गाइड, जन अभियान परिषद, शौर्य दल इत्यादि) का सहयोग लिया गया।

3. **आत्म निर्भर भारत** — आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार किये जाने हेतु विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम/योजनाओं का प्रचार-प्रसार प्रमुखतः से सोशल मीडिया पर निरंतर किया जा रहा है।
4. **प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन** — समय-समय पर विभिन्न स्वास्थ्य दिवसों पर स्वास्थ्य योजनाओं/स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में एकीकृत रेफरल परिवहन सेवा व एम्बूलेंस सेवा एवं डेंगू विषय पर रंगीन विज्ञापन प्रकाशित करवाये गये।
5. **समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन** — प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में समय-समय पर विभाग से संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों, स्वास्थ्य योजनाओं एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों आदि की जानकारी जनसामान्य को देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य संबंधी प्रेस विज्ञप्ति का निःशुल्क प्रकाशन करवाया गया।
6. **आमंत्रण पत्र** — एकीकृत रेफरल परिवहन सेवा, एम्बूलेंस सेवा का शुभारंभ एवं नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं के भूमि पूजन एवं लोकार्पण के अवसर पर आमंत्रण कार्ड मय लिफाफा के आकल्पन कर तैयार करवाये गये।

7. आकाशवाणी से कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण –

- **जिंगल्स का प्रसारण** – आकाशवाणी के सभी निजी एफ.एम. चैनल्स से पर्यावरण दिवस, दस्तक अभियान एवं विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जिंगल्स का प्रसारण करवाया गया।
- **जिंगल्स का निर्माण** – दस्तक अभियान की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाये जाने/प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 40 सेकेण्ड के जिंगल का निर्माण करवाया गया।
- **सजीव फोन-इन कार्यक्रम** – विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर आकाशवाणी से सजीव फोन-इन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें आकाशवाणी के श्रोताओं द्वारा पूछे गए कार्यक्रम से संबंधित जानकारी, भ्रांतियों आदि सवालों की जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई।
- **बातें सेहत की** – आकाशवाणी से साप्ताहिक कार्यक्रम "बातें सेहत की" कार्यक्रम का प्रसारण करवाया गया। जिसमें राज्य स्तर से विषय विशेषज्ञों द्वारा दस्तक अभियान, फायलेरिया विषय पर जानकारी दी गई।
- **स्वास्थ्य दर्पण** – आकाशवाणी से पर्यावरण दिवस एवं फायलेरिया विषय पर साप्ताहिक कार्यक्रम "स्वास्थ्य दर्पण" का प्रसारण करवाया गया है।

8. आकाशवाणी से परिचर्चा – दस्तक अभियान की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाये जाने हेतु विषय विशेषज्ञ द्वारा परिचर्चा करवाई गई।

9. प्रमुख क्षेत्रीय समाचार चैनल्स पर स्कॉल का प्रसारण – दस्तक अभियान विषय पर प्रमुख क्षेत्रीय समाचार चैनल्स पर जनसामान्य को जानकारी देने के उद्देश्य से स्कॉल प्रदर्शन करवाया गया।

10. फिल्म का निर्माण –

- नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण के अवसर पर विभागीय उपलब्धियों का प्रदर्शन किये जाने हेतु 3 मिनट अवधि की फिल्म का निर्माण करवाया गया।
- सिकल सेल एनीमिया के संबंध में जनजागरूकता किये जाने हेतु एक फिल्म का निर्माण करवाया गया।
- प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम अंतर्गत डायलिसिस की जानकारी जन-जन तक पहुंचाये जाने हेतु की, 3 से 5 मिनट अवधि की एक फिल्म का निर्माण किया गया है।

11. वीडियो स्पॉट का निर्माण – विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर स्तनपान विषय के वीडियो स्पॉट का निर्माण करवाकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाया गया।

12. गीत निर्माण – सिकल सेल एनीमिया के संबंध में जनजागरूकता किये जाने हेतु गीत का निर्माण करवाया गया।

13. **आकाशीय बिजली** — बारिश के दौरान आकाशीय बिजली से अपना बचाव/आपदा प्रबंधन कैसे करें के बारे में जनसामान्य को जानकारी दिये जाने हेतु लगातार ग्राफिक्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किये गये।
14. **मंकी पोक्स** — मंकी पोक्स के सामान्य लक्षण, बचाव के जरूरी उपाय, क्या करें क्या न करें के बारे में जनसामान्य को जानकारी दिये जाने हेतु लगातार ग्राफिक्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किये गये।
15. **रक्तदान अमृत महोत्सव**— प्रदेश में रक्तदान अमृत महोत्सव 17 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2022 तक संचालित किया गया है। महोत्सव का शुभारंभ शासकीय एवं निजी अस्पतालों के पथोलॉजिस्ट एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया जिसके उपरान्त अधिकाधिक लोगों द्वारा रक्तदान किया गया।
16. **संचार कौशल उन्नयन** — नियमित टीकाकरण की मांग वृद्धि के लिये संचार कौशल उन्नयन हेतु ब्रिज मॉडल पर आधारित प्रशिक्षण दिनांक 10 से 11 अक्टूबर 2022 तक पंचमढ़ी में संभागवार आयोजित किया गया। दि. 10 अक्टूबर 2022 को भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं ग्वालियर संभाग व 11 अक्टूबर को सागर, जबलपुर एवं रीवा संभाग के टीकाकरण अधिकारी व डीसीएम को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।
17. **सोशल मीडिया** — फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य योजनाओं एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया गया। मौसमी बीमारियों के लक्षण, बचाव के बारे में भी जानकारी दी गई।
18. **अभियानों का सघन प्रचार-प्रसार** — प्रदेश में टीकाकरण अभियान, दस्तक अभियान संचालित किये गये। अभियान के अंतर्गत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुये सघन प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक आयोजित की गई।
19. **मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार** — मौसमी बीमारियों जैसे- मलेरिया, डेंगू आदि के प्रकरण पाये जाने पर रोकथाम, बचाव एवं उपचार की जानकारी जनसामान्य को देने के लिये ब्यूरो द्वारा सघन प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ आयोजित की गई।
20. **टेली मानस सेवाओं का शुभारंभ**— संकोच के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विषय में कम ही खुलकर बात करते हैं और इनके उपचार को महत्व नहीं देते हैं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूक करने हेतु दि. 10 नवम्बर 2022 को टेली मानस सेवाओं का शुभारंभ किया गया।
21. **नि-क्षय मित्र समारोह** —राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य क्षय उन्मूलन इकाई के द्वारा नि-क्षय मित्र समारोह आयोजित किया गया, नि-क्षय मित्रों को सम्मानित कर उन्हें प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया।

22. दिनांक 12.12.2022 को अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस पर मिशन संचालक एनएचएम की दूरदर्शन से परिचर्चा करवाई गई।
23. राष्ट्रीय फायलेरिया उन्मूलन विषय पर प्रदेश के 8 जिलों (रीवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं दतिया) की स्वास्थ्य संस्थाओं में विभागीय होर्डिंग्स पर फ्लेक्स परिवर्तन करवाया गया।
24. **जिला स्तर से ग्राम स्तर तक आयोजित प्रमुख आई.ई.सी. गतिविधियां—** गांव-गांव तक कोरोना संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों, योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते जिला स्तर से ग्राम स्तर तक निम्नांकित आईईसी गतिविधियां आयोजित की गई।
 - कचरा वाहन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव रोकथाम की जानकारी दिये जाने हेतु स्वास्थ्य संदेशों का प्रसारण करवाया गया।
 - प्रेस वार्ता, विज्ञप्ति, माईकिंग, सफलता की कहानी का प्रकाशन, नारे-लेखन आदि।
 - कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई।
 - रोको-टोको अभियान जिला स्तर पर संचालित किया गया जिसके माध्यम से जो नागरिक मास्क नहीं पहनते थे उन्हें टोकते हुए मास्क पहने के लिए प्रेरित किया गया।
 - कोविड टीकाकरण करवाये जाने हेतु जनसामान्य को प्रेरित किये जाने हेतु विभिन्न माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया।
25. झांकी का प्रदर्शन — “अद्भुत मध्यप्रदेश” थीम पर विभाग द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस गतिविधियां, टेली कंसलटेशन, कायाकल्प विषय पर 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में राज्य स्तरीय झांकी का प्रदर्शन किया गया। **जिला स्तरीय झांकी की थीम हेल्थ एंड वेलनेस गतिविधियां एवं टीबी मुक्त भारत** रखी गई और गुना, बैतूल, मंदसौर एवं निवाड़ी टीकमगढ़ जिलों को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त ग्वालियर को द्वितीय, खण्डवा एवं धार जिले को तृतीय एवं सागर जिले को सात्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ।

जिलों की पुरुस्कृत झांकी की एक झलक 26 जनवरी 2023



बैतूल



धार



टीकमगढ़ निवाड़ी



ग्वालियर



सागर



गुना

॥ सभी स्वास्थ्य योजनाओं का जो करें प्रचार, वही है सूचना, शिक्षा और संचार ॥

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
 - 1.1 बजट (वित्तीय प्रावधान)
 - 1.2 मानव संसाधन
 - 1.3 मातृ स्वास्थ्य सेवाएं
 - 1.4 शिशु स्वास्थ्य सेवाएं
 - 1.5 शिशु एवं बाल पोषण सेवाएं
 - 1.6 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
 - 1.7 परिवार कल्याण सेवाएं
 - 1.8 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
 - 1.9 आशा कार्यक्रम
 - 1.10 एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट योजना
 - 1.11 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
 - 1.12 क्वालिटी एश्योरेन्स
 - 1.13 कायाकल्प अभियान
2. राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम
3. शीत श्रृंखला
4. राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
5. राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम
6. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
7. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
8. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
9. राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम
10. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम
11. राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम
12. राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम
13. राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम
14. राष्ट्रीय कैंसर मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम
15. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
16. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम
17. राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम
18. आयुष्मान भारत 'निरामयम्' मध्यप्रदेश
19. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर मध्यप्रदेश 'आरोग्यम्'
20. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

बजट

वर्ष	रिसोर्स एन्वेलप	प्रारंभिक शेष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि	वार्षिक व्यय	प्रतिशत (प्राप्त राशि के विरुद्ध)
2018-19	2985.61	588.55	865.70	730.46	2184.71	1896.25	86.80
2019-20	2710.30	244.20	1447.18	1345.58	3036.96	2327.67	76.64
2020-21	3173.20	727.26	1359.92	1179.46	3266.64	2667.73	81.67
2021-22	3700.15	719.48	1455.99	972.88	3148.35	2893.19	91.90
2021-22 (Upto Dec.)	3844.34	1317.26	1028.40	705.99	3051.65	2299.42	75.35

॥ मेरी सुरक्षा, मेरा मास्क ॥

मानव संसाधन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश अंतर्गत संविदा नियुक्तियों का पदवार विवरण

क्र.	पद नाम	01.1.2022 से 31.12.2022 तक की गई संविदा नियुक्तियां	31 दिसंबर 2022 तक कार्यरत संविदा कर्मचारी
1	Community Health Officer CHO	4178	9318
2	Staff Nurse	833	4755
3	Medical Officer	508	2087
4	Lab Technician	237	1046
5	RBSK AMO	100	1157
6	ANM	97	6969
7	Block Program Manager	81	285
8	PGMOs	72	322
9	Physiotherapist	68	94
10	Public Health Manager	29	29
11	Audiologist & speech therapist	26	41
12	Consultants (District & State Level)	23	23
13	District Data Manager IDSP	21	49
14	District Program Coordinator (RN-TCP)	21	40
15	Block Account Manager	20	298
16	Block Community Mobilizer	18	294
17	District M and E Officer	16	55
18	Clinical Psychologist	16	20
19	APM Urban Health	14	23
20	Quality Monitor	14	14
21	Dental Surgeon	12	81
22	Accountant	6	54
23	Other State Level	6	6
24	OT Technician	3	16
	TOTAL	6419	27076

॥ सर्तक रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें ॥

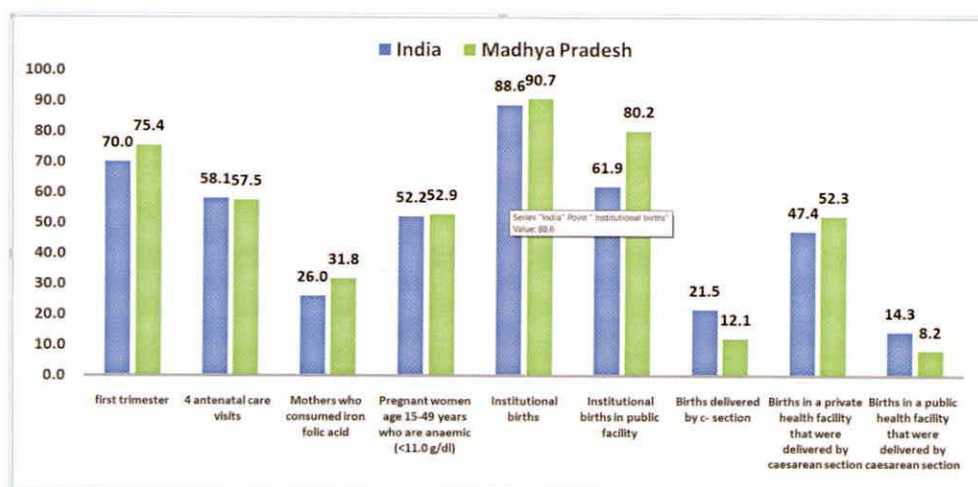
मातृ स्वास्थ्य सेवाएँ

प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को सम्मान जनक एवं गुणवत्ता पूर्ण प्रसूति सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश की समस्त प्रजनन वर्ग की आयु वाली महिलाओं को उचित पोषण एवं देखभाल के द्वारा आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है जिससे महिला के गर्भवती होने पर स्वस्थ माँ एवं स्वस्थ शिशु की अवधारणा पूर्ण हो सके। प्रदेश की मातृ मृत्युदर 173 (एस.आर.एस. 2018-20) प्रति एक लाख जीवित जन्म है।

मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण

महिला के गर्भधारण से लेकर प्रसव होने तक मृत्यु के कई कारण होते हैं। गर्भावस्था की अवधि, प्रसव के दौरान एवं प्रसव उपरांत गर्भवती महिला की मृत्यु के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कारण होते हैं। इन मृत्यु को रोकने के उद्देश्य से ही मातृ स्वास्थ्य अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ एवं योजनाएँ संचालित हैं।

मातृ स्वास्थ्य परिदृश्य –राज्य औसत विरुद्ध राष्ट्रीय औसत



Source- NFHS 5 (2019-21)

गतिविधियाँ –

मातृ मृत्यु दर को कम करने हेतु निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित हैं :-

1. प्रसव पूर्व जांच में गुणवत्ता (एएनसी)-गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच सेवाओं को सुदृढ़ करना
2. ईपीएमएसएमए (विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान)/एचआरपी क्लीनिक
3. एनीमिया प्रबंधन- महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार
4. जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलार्डिस (जीडीएम)
5. डिलेवरी पाईट-संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु प्रसव केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
6. सीमॉक (एफआरयू)-24 घण्टे सीजेरियन सेक्शन करने हेतु एफ.आर.यू. की क्रियाशीलता
7. आयुष्मान भारत

8. ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू- आपातकालीन प्रसूति सेवाओं की उपलब्धता
9. लक्ष्य- गुणवत्ता के मानकों के आधार पर लेबर रूम एवं ओ.टी. का प्रमाणीकरण
10. बर्थ वेटिंग होम
11. जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाईटिस (जीडीएम)स्क्रीनिंग
12. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत (जे.एस.एस.के.) निःशुल्क उपकरण, सामग्री, औषधि, भोजन, प्रयोगशाला जांचें, यू.एस.जी., रक्ताधान एवं निःशुल्क परिवहन की सुविधा
13. प्रसव पूर्व जांच एवं संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु- प्रसूति सेवा सहायता योजना (एम.एम.एस.पी.एस.वाय.) एवं जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाय.)
14. राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर तथा जिला स्तरीय सुमन हेल्प डेस्क (आई.सी.सी.सी. एवं सुमन हेल्प डेस्क)
15. मातृ मृत्यु समीक्षा प्रणाली
16. मातृ स्वास्थ्य पोषण
17. केयर कम्पैनिशन प्रोग्राम (सीसीपी)
18. मातृ मृत्यु
19. स्किल लैब प्रशिक्षण- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कौशल का उन्नयन
20. सुरक्षित गर्भपात सेवाएं

वर्ष 2022-23 में मातृ स्वास्थ्य अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों एवं योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है-

- **प्रसव पूर्व जांच में गुणवत्ता-**गर्भवती महिलाओं की समुदाय एवं संस्था स्तर पर गुणवत्ता पूर्ण प्रसव पूर्व जांच की जा रही है। समुदाय स्तर पर वी.एच.एन.डी. में ए.एन.एम./सी.एच.ओ. द्वारा तथा स्वास्थ्य संस्था पर चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञों द्वारा ए.एन.सी. क्लीनिक/एच.आर.पी. क्लीनिक तथा ई.पी.एम. एस.एम.ए. कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु आर.सी.एच. पोर्टल के माध्यम से ट्रेकिंग कर उपचार तथा प्रबंधन किया जा रहा है।
- **ई.पी.एम.एस.एम.ए. (विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान)/एच.आर.पी. क्लीनिक-**

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन 9 अगस्त 2016 से किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था में जटिलता की पहचान कर उचित समय पर प्रबंधन कर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जाना है। अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को द्वितीय तथा तृतीय तिमाही वाली गर्भवती महिलाओं की महिला चिकित्सक द्वारा जाँच की जा रही है। अभियान अंतर्गत प्रदेश के 412 स्वास्थ्य संस्थाओं (DH, CH, CHC) पर अभियान का आयोजन किया जा रहा है तथा सभी गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग, विशेषज्ञों द्वारा परामर्श, प्रयोगशाला जांचें, दवाइयों का वितरण एवं उपचार निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। अभियान की रिपोर्टिंग भारत सरकार के PMSMA पोर्टल एवं आर.सी.एच. पोर्टल पर की जा रही है, जिसकी भारत सरकार

तथा राज्य द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नवीन दिशा निर्देशानुसार गर्भवती महिलाओं की हाईरिस्क का चिन्होक्न कर उनकी तीन अतिरिक्त प्रसव पूर्व जांच समीपस्थ स्वास्थ्य संस्था पर स्त्री रोग विशेषज्ञ/पी.जी.एम.ओ./महिला चिकित्सक/ईमॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी/स्किल लैब प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी के द्वारा Extended PMSMA कार्यक्रम अंतर्गत किया जा रहा है। उक्त अभियान अंतर्गत आशा को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है—

- आशा कार्यकर्ता को हाईरिस्क गर्भवती महिला को ए.एन.सी. जांच के लिए साथ में PMSMA Clinic /HRP Clinic लाने पर रुपये 100/— प्रति विजिट तथा 3 विजिट हेतु रुपये 300/— का प्रावधान किया गया है।
- आशा कार्यकर्ता को चिन्हांकित गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव होने के 45 दिवस के पश्चात जच्चा-बच्चा स्वस्थ होने पर रुपये 500/— का प्रावधान किया गया है।

- **महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार—** शासन के अथक प्रयासों से एन.एफ.एच. एस. 5 (2019–20) के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है, जो पूर्व में एन.एफ.एच.एस. 4 के आंकड़ों के अनुसार 54.6 प्रतिशत थी, जो वर्तमान में 52 प्रतिशत हो गई है। गर्भवती महिलाओं में आयरन गोलियों के सेवन के प्रतिशत में भी अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि एन.एफ.एच.एस. 4 में 23.5 प्रतिशत था वर्तमान में एन.एफ.एच.एस. 5 में 51.4 प्रतिशत दर्ज किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक इंजेक्शन आयरन सुक्रोज सीएचओ के माध्यम से लगाया जा रहा है। साथ ही अधिक प्रसव वाली संस्थाओं में इंजेक्शन एफसीएम प्रसवोत्तर एनीमिया प्रबंधन हेतु उपयोग किया जा रहा है।
- **एनीमिया कैम्पेन (हीमोग्लोबिनोमीटर माध्यम से)—**गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की सही जांच एवं उपचार तथा प्रबंधन हेतु तथा एनीमिया के कारण होने वाली मातृ मृत्यु को कम करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलों को उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक 19,424 स्ट्रिप आधारित डिजीटल हीमोग्लोबिनोमीटर प्रदाय किये गये हैं। समुदाय एवं संस्था स्तर पर एनीमिया की रोकथाम हेतु 15 नवंबर से 30 दिसम्बर के मध्य कैम्पेन मोड में टी-3 कैम्पेन (टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक) का आयोजन किया गया है। अभियान अंतर्गत 7.50 लाख गर्भवती महिलाओं की जांच एवं हीमोग्लोबिन स्तर के आधार पर उपचार किया जा रहा है। चिन्हांकित एनीमिक गर्भवती महिलाओं की आर.सी.एच. पोर्टल एवं सुमन हेल्पडेस्क के माध्यम से नियमित ट्रेकिंग एवं मानीटरिंग की जा रही है। 23 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में गर्भवती महिलाओं को फेरस एस कोरबेट टेबलेट प्रदान की जा रही है।
- **डिलेवरी पाईट—**प्रदेश की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के उद्देश्य से 1,741 स्वास्थ्य संस्थाओं को डिलेवरी पाईट के रूप में चिन्हांकित किया गया है, जिससे गर्भवती महिलाओं को 24x7 गुणवत्ता पूर्ण प्रसव सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। वर्ष 2022–23 माह अगस्त 2022 में 1,613 डिलेवरी पाईट में वृद्धि कर वर्तमान में 1,741 स्वास्थ्य संस्थाओं को डिलेवरी पाईट के रूप में चिन्हित किया गया है, जिससे दूरस्थ क्षेत्र एवं अधिक घरेलू प्रसव वाले

क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध हो सके।

डिलेवरी पाईट अंतर्गत जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित है।



- सीमॉक संस्थाएँ (एफ.आर.यू.)—प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में 24 घंटे आपात कालीन प्रसूति सेवाएँ तथा सिजेरियन आपरेशन की सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से 144 स्वास्थ्य संस्थाओं को सीमॉक (एफ.आर.यू.) के रूप में चिन्हांकित किया गया है। सीमॉक के रूप में चिन्हित स्वास्थ्य संस्थाओं में स्त्री रोग, निश्चेतना एवं शिशु रोग विशेषज्ञों की पूर्ति कर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। सीमॉक संस्थाओं में निर्बाध्य रूप से सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएं भी हायरिंग के माध्यम से ली जा रही है।



- आयुष्मान भारत— “निरामयम” योजनांतर्गत संबद्ध निजी चिकित्सालयों में पात्र हितग्राहियों को उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एसएनसीयू की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 24 जिलों की 44 निजी चिकित्सालयों एवं 10 निजी मेडिकल कॉलेज को चिन्हांकित किया गया है।
- ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू—गंभीर जटिलता वाली महिलाओं को प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात प्रबंधन हेतु प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज एवं 30 जिला चिकित्सालयों में आब्स्टेट्रिक आई.सी.यू./एच.डी.यू. संचालित है। 15 जिलों में संचालित कोविड आईसीयू को आब्स्टेट्रिक आईसीयू/एचडीयू के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में प्रदेश में संचालित आब्स्टेट्रिक आईसीयू/एचडीयू में कुल 9,000 से अधिक गंभीर जटिलताओं वाली गर्भवती महिलाओं का प्रबंधन किया गया है।

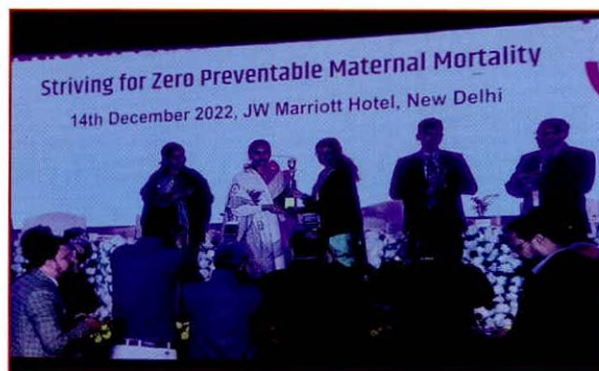


आब्स्टेट्रिक आईसीयू सागर



आब्स्टेट्रिक आईसीयू भोपाल

- **लक्ष्य**—प्रसव संबंधी देखभाल की गुणवत्ता विकसित करने के उद्देश्य से लक्ष्य कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2022–23 में 100 लेबर रूम एवं 17 ओ.टी. को चिन्हांकित किया गया है। वर्तमान में कुल 202 लेबर रूम में से 134 तथा 62 ओ.टी. में से 61 ओ.टी. को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकृत किया गया है। वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर 2022 में सर्वाधिक संस्थाओं के प्रमाणीकरण हेतु प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।



- **बर्थ वेटिंग होम**— समस्त जिलों के गांव जहां अधिक घरेलू प्रसव हो रहे हों वहां की उच्च जोखिम वाली एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को पोर्टल से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रसव की संभावित तिथि के 7–10 दिन पूर्व समीपस्थ डिलेवरी पाईंटस जैसे— जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर गुणवत्ता पूर्ण प्रसव सुविधा उपलब्ध कराना है जिससे मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम किया जा सके। गतिविधि का उद्देश्य लक्षित गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन, संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान उनकी निगरानी करना एवं उनका सुरक्षित संस्थागत प्रसव तथा समस्त गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाएं प्रदान करना है।



- **स्किल्स लैब**— स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के तकनीकी कौशल में वृद्धि करने हेतु 7 संभाग में स्किल्स लैब संचालित है। वर्ष 2022-23 में नवीन स्थापित स्किल्स लैब (सागर एवं उज्जैन) में कुल 11 स्किल्स लैब प्रशिक्षकों की चयन प्रक्रिया उपरांत पद स्थापना की गई है, जिनके द्वारा निरंतर स्किल्स लैब प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष स्किल्स लैब में भारत शासन के दिशा निर्देशानुसार माड्यूल को अद्यतन कर सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें प्रति स्किल्स लैब कुल 24 प्रशिक्षण बैच आयोजित किये गये जिनमें 14 बैच में 1,239 नर्सिंग ऑफिसर एवं 8 बैच में 567 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रकार कुल 1,806 स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का वर्ष 2022-23 में स्किल्स लैब प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।



- **जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाईटिस (जी.डी.एम.)**— गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज (जीडीएम) से माँ एवं शिशु में जटिलताएं होने का खतरा होता है, जैसे कि स्वतः गर्भपात, अधिक रक्त स्राव, टाईप 2 डायबिटीज, नवजात शिशुओं में सांस लेने में परेशानी इत्यादि। जीडीएम की स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन को जिला चिकित्सालयों एवं एच.डब्ल्यू.सी. में शुरू करवाने हेतु 56 मास्टर ट्रेनर, 34 डॉक्टर्स, 51 स्टाफ नर्सज, 1,397 सीएचओ एवं एएनएम, 899 आशा की ट्रेनिंग करवाई गई। ट्रेनिंग उपरान्त जाँच में लगने वाली लॉजिस्टिक—ग्लूकोस 75 ग्राम, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स, मेजरिंग जार की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया।

जीडीएम जाँच एवं प्रबंधन 52 जिला चिकित्सालय, 66 सिविल अस्पताल, 126 सीएचसी, 211 पीएचसी, 518 एचडब्ल्यूसी, उप स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रारंभ की जा चुकी है। इन संस्थाओं द्वारा 1,26,450 गर्भवती महिलाओं की जाँच की गई जिसमें 7764 (6%) महिलायें जीडीएम पॉजिटिव पाई गई जिनका प्रबंधन किया गया।

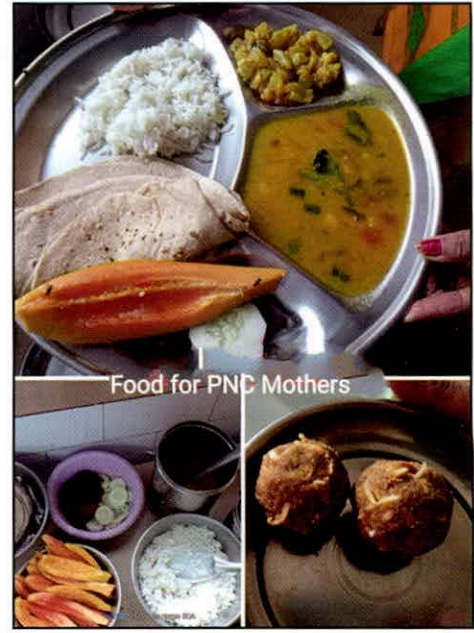


GDM training of CHOs



GDM testing by OGTT method

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम**— प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2011 से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालित है। कार्यक्रम अंतर्गत गर्भवती महिलाओं द्वारा शासकीय संस्थाओं में प्रसव कराने पर निःशुल्क औषधि, प्रयोगशाला जांचें, यूएसजी, रक्ताधान, भोजन एवं परिवहन की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में 91 सीमांक संस्थाओं में यूएसजी मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिनमें प्रशिक्षित स्त्री रोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ गायनी/सोनोलॉजिस्ट द्वारा ए.एन.सी क्लीनिक एवं एचआरपी क्लीनिक दिवस के दिन निःशुल्क यूएसजी सेवाएँ प्रदान की जा रही है, जिस हेतु सोनोलॉजिस्ट को 100/- रुपये प्रति केस के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। वर्ष 2022-23 में नवीन 20 संस्थाओं में यूएसजी मशीन प्रदाय की जा रही है।



- **मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना**—विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ ही वर्ष 2018 में एक नवीन योजना मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का शुभारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु के जन्म उपरांत टीकाकरण को समुचित बढ़ावा देना, महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्यवर्धक व्यवहारों के प्रोत्साहन हेतु 16,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि के प्रावधान से अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों के परिवारों की 7.2 लाख योग्य गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजनांतर्गत रुपये 16000/- का हित लाभ दो किशतों में किया जाना है। उक्त योजना में 1 जुलाई 2022 से आंशिक संशोधन किया गया है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में पंजीकरण कराने वाली गर्भवती महिला को राशि रु 4000/- का भुगतान किया जाता है। तदुपरांत संस्थागत प्रसव कराने पर शेष राशि का भुगतान यथावत किया जाता है।
- **जननी सुरक्षा योजना**—मातृ मृत्युदर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में जननी सुरक्षा योजना का आरंभ किया गया। योजनांतर्गत शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने वाली ग्रामीण क्षेत्र की महिला को राशि रुपये 1400/- एवं शहरी क्षेत्र की महिला को रुपये 1000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

उपरोक्त दोनों योजनाओं का भुगतान पात्र हितग्राही आर.सी.एच. पोर्टल में ईवित्त के माध्यम से किया जा रहा है।

- **सुमन कार्यक्रम**— राज्य स्तर पर सुमन कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तरीय 20 सीटर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर तथा जिला स्तर पर 6 मेडिकल कॉलेज तथा 51 जिला चिकित्सालय में

सुमन हेल्पडेस्क का संचालन कर हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों की ट्रेकिंग कर उचित समय पर प्रबंधन हेतु फॉलोअप किया जा रहा है तथा शिकायत निवारण की व्यवस्था निःशुल्क 104 हेल्पलाइन के माध्यम से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2022-23 में कुल 12,42,137 हितग्राहियों को कॉल कर प्रबंधन एवं सुरक्षित प्रसव हेतु ट्रेकिंग की गई है।

- **मातृ मृत्यु समीक्षा प्रणाली**—प्रदेश में होने वाली प्रत्येक मातृ मृत्यु के कारणों को ज्ञात कर निराकरण करने के उद्देश्य से मातृ मृत्यु समीक्षा राज्य, संभाग एवं जिला तथा विकास खंड स्तर पर नियमित रूप से की जा रही है। मातृ मृत्यु समीक्षा प्रणाली के सुदृढीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु वर्ष 2022-23 में राज्य स्तर पर एम.डी.एस.आर. हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें एम्स भोपाल एवं समस्त शासकीय मेडिकल कॉलेज के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्राध्यापक, समस्त जिलों के जिला कार्यक्रम प्रबंधक, डी.एच.ओ.-1 तथा पीपीपी के सुदृढीकरण हेतु फोगसी अध्यक्ष को सम्मिलित कर कुल 84 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किये गये। उक्त प्रशिक्षण उपरांत संभाग एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है जिसमें संभाग स्तर पर 284 प्रतिभागी प्रशिक्षित किये गये हैं। राज्य स्तर पर नवाचार के रूप में मातृ मृत्यु समीक्षा की गोपनीय समीक्षा प्रारंभ की जा रही है जिससे मृत्यु के तकनीकी कारणों को ज्ञात कर वास्तविक स्थिति अनुसार कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

- **मातृ स्वास्थ्य पोषण**—गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर की स्क्रीनिंग और सेवाओं (परामर्श सहित) को नियमित रूप से प्रसव पूर्व जांच के साथ मातृ स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत किया गया है जिससे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण व उससे संबंधित परिणामों में सुधार किया जा सके। गर्भावस्था के दौरान पोषण स्थिति का आंकलन व पोषण संबंधित समुच्चय हस्तक्षेप जिसमें संतुलित ऊर्जा, आईएफए, कैल्शियम सप्लीमेंट, कृमिनाशक, गर्भावस्था के दौरान वजनवृद्धि की निगरानी, पोषण व परिवार नियोजन पर परामर्श, गर्भवती महिलाओं में बीमारी व एनीमिया से बचाव व उसका प्रबंधन करने पर जोर दिया गया है।

गर्भावस्था के दौरान वजन, बी.एम.आई. तथा एम.यू. ए.सी. के आधार पर पोषण स्तर का आंकलन कर कुपोषण वाली महिलाओं (दुबली व अधिक वजन

वाली) का आवश्यक प्रबंधन करने हेतु स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ता को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इन महिलाओं को हाईरिस्क के रूप में चिह्नित कर आरसीएच पोर्टल की सहायता ट्रेकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मातृ पोषण कार्यक्रम का क्रियान्वयन 8 एसपिरेशनल जिलों में



किया जा रहा है। मातृ पोषण अंतर्गत नवंबर एवं दिसंबर 2022 में जिला स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एवं विकास खंड स्तर पर एएनएम एवं सीएचओ को प्रशिक्षित किया गया। प्रदेश के 91 विकास खण्डों में गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से डबल फोर्टिफाइड साल्ट का वितरण किया जा रहा है।

- **केयर कम्पैनियन कार्यक्रम (CCP)** राज्य की एक पहल है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लाभार्थी एवं उनके परिवार जनों को आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। नर्सिंग ऑफिसर एवं अन्य स्टाफ विभिन्न उपकरणों (फिलप चार्ट, पैम्पलेट, गुडिया एवं थाली मॉडल) के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधित आसान तरीके से अस्पताल में आए लाभार्थियों को बताते हैं। सीसीपी प्रदेश के समस्त 51 जिला अस्पताल, लक्ष्य के लिए चिन्हित 31 सिविल अस्पताल एवं 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संचालित है। अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक कुल 23,626 सी.सी.पी. सेशन के द्वारा 4,62,269 परिजनों को प्रशिक्षण दिया गया।



क्षमता विकास (प्रशिक्षण)

- **दक्षता प्रशिक्षण**—मध्यप्रदेश शासन द्वारा योग्य एवं आत्म विश्वासी सेवा प्रदाता से मातृत्व एवं नवजात देखभाल सुनिश्चित करने प्रसव के दौरान एवं प्रसव के तुरन्त पश्चात सेवाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु दक्षता प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। दक्षता मूलतः सेवा प्रदाताओं की क्षमता विकास हेतु रणनीतिक पहल है जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख जटिलताओं के लिये कुशलता एवं आत्मविश्वास निर्मित किया जाता है। म.प्र. में अब तक कुल 5,889 नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर, ए.एन.एम. को प्रशिक्षित किया जा चुका है।



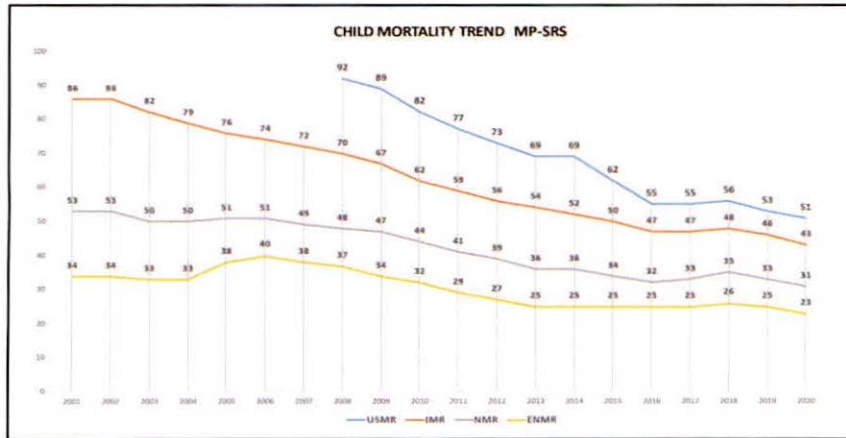
- **एएनएम एवं सीएचओ का एएनसी/पीएनसी प्रशिक्षण**—उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय से पहचान एवं रेफरल हेतु गुणवत्ता पूर्ण ए.एन.सी. कोर स्किल्स अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकासखंड स्तर पर होने वाली मासिक बैठकों में समय के अभाव में एएनसी सेवाओं के संबंध में चर्चा नहीं हो पाती है। गर्भधारण के दौरान एवं प्रसव पश्चात सेवाओं में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए एएनएम एवं सीएचओ हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण को वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में निरंतर रखा जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रशिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित गतिविधियां सफलतापूर्वक की गई हैं—
 - ❖ **राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (स्किल लैब प्रशिक्षक)**—राज्य स्तर पर समस्त 7 संभागीय स्किल्स लैब के प्रशिक्षकों को सुपर मास्टर ट्रेनर के रूप में एएनसी/पीएनसी पैकेज का प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में 32 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।
 - ❖ **संभाग स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण**—स्किल्स लैब प्रशिक्षकों द्वारा 31 जिलों के 159 मास्टर प्रशिक्षकों का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इन प्रशिक्षकों द्वारा एएनएम एवं सीएचओ का 30 बैच साईज का जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।
 - ❖ **जिला स्तरीय प्रशिक्षण**— जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन माह अक्टूबर 2022 से जिलों में प्रारंभ हो गया है।



॥ सरकारी अस्पताल में प्रसव कराये, जननी सुरक्षा योजना का लाभ उठाये ॥

शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ

प्रदेश की वर्तमान नवजात शिशु मृत्यु दर 31 प्रति हज़ार जीवित जन्म, शीघ्र नवजात शिशु मृत्यु दर 23 प्रति हज़ार जीवित जन्म, बाल मृत्यु दर 51 प्रति हज़ार जीवित जन्म एवं शिशु मृत्यु दर 43 प्रति हज़ार जीवित जन्म (स्रोत : एस.आर.एस. 2020) है।

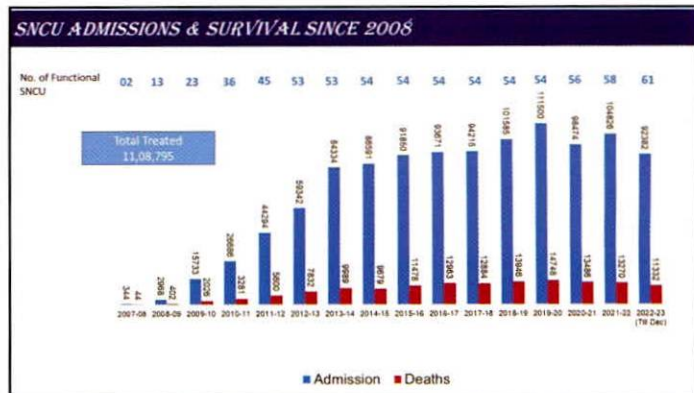


एन.एफ.एच.एस.-5 (2019-21) डाटा अनुसार प्रदेश की नवजात शिशु मृत्यु दर 36.9 से 29, शिशु मृत्यु दर 51.2 से 41.3 एवं बाल मृत्यु दर 64.6 से 49.2 की गिरावट दर्ज की गई।

शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु प्रदेश में विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जो निम्नानुसार है :-

शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु आवश्यक है कि नवजात शिशु मृत्यु दर, जो शिशु मृत्यु दर की लगभग दो तिहाई है, में कमी लाई जाए। नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं में त्रिस्तरीय प्रणाली संचालित है :-

- नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (एस.एन.सी.यू.) – वर्तमान में प्रदेश में 61 एस.एन.सी.यू. क्रियाशील हैं तथा प्रत्येक जिले में एक एस.एन.सी.यू. नवजात शिशुओं के उपचार हेतु स्थापित है। इन इकाईयों के माध्यम से विगत वर्ष 2021-22 में 1,04,826 तथा वर्ष 2022-23 (अप्रैल से दिसम्बर 2022) में 92,382 नवजात शिशु उपचारित किये गये।



- इकाईयों में विशिष्ट उपकरणों की उपलब्धता – रेडियेन्ट वार्मर, फोटोथेरेपी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, सी-पेप, रिससिटेशन किट, पोर्टेबल एक्सरे, ए.बी.जी.ए. मशीन, सेन्ट्रल ऑक्सीजन

एवं पॉवर बेकअप, वेंटीलेटर (चिन्हित इकाईयों में) इत्यादि सुनिश्चित किये गये हैं।

- मानव संसाधन — 4 शिशु रोग चिकित्सक, 22 नर्सिंग ऑफिसर, एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं सपोर्ट स्टाफ (वार्ड ब्याय, आया, सुरक्षा कर्मी) की व्यवस्था की गई है।

- नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से प्रदायित सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिये ऑनलाईन एम.आई.एस. उपलब्ध है।

- एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज किये गये नवजात शिशुओं का संस्थागत अनुसरण सातवें दिन, एक माह, तीन माह, छः माह तथा एक वर्ष की आयु पर किया जाता है। सामुदायिक अनुसरण डिस्चार्ज के उपरांत 1, 3, 7, 14, 21, 28 एवं 42 वें दिन किया जाता है। 3, 6, 9 एवं 12 माह की आयु पर आशा द्वारा गृहभेंट के माध्यम से शिशु देखभाल की सही रीतियों के बारे में जानकारी दी जाती है।

- नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एन.बी.एस.यू.) — उप जिला स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में कम वजन एवं बीमार नवजात शिशुओं के उपचार हेतु 186 एन.बी.एस.यू. क्रियाशील हैं, जिनमें विगत वर्ष 2021-22 में 22,125 एवं वर्ष 2022-23 (अप्रैल से दिसम्बर 2022) में 23,001 नवजात शिशुओं को सफलतापूर्वक उपचारित किया गया है। इन इकाईयों में स्थिरीकरण पश्चात् 1,800 ग्राम तक के बच्चों का प्रबंधन किया जा सकता है। नवजात शिशुओं में पीलिया रोग के उपचार हेतु फोटोथेरेपी यूनिट प्रदाय की गई हैं। आवश्यकता होने पर नवजात शिशु को एस.एन.सी.यू. में रेफर करने हेतु निःशुल्क परिवहन उपलब्ध है।

- न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर (एन.बी.सी.सी.) — प्रदेश में समस्त क्रियाशील प्रसव केन्द्रों पर न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर स्थापित हैं, जिनमें आवश्यक नवजात शिशु देखभाल हेतु समस्त उपकरण, सामग्री तथा प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है।

- नवजात शिशु देखभाल उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं में प्रदाय की जाने वाली सेवायें—

न्यूबॉर्न कॉर्नर	एन.बी.एस.यू.	एस.एन.सी.यू.
जन्म के समय दी जाने वाली सेवायें		
संक्रमण की रोकथाम	संक्रमण की रोकथाम	संक्रमण की रोकथाम
नवजात का तापमान सुनिश्चित करना	नवजात का तापमान सुनिश्चित करना	नवजात का तापमान सुनिश्चित करना



रिससिटेशन	रिससिटेशन	रिससिटेशन
बच्चे का वजन	बच्चे का वजन	बच्चे का वजन
सामान्य नवजात शिशु की देखभाल		
स्तनपान/फीडिंग सपोर्ट	स्तनपान/फीडिंग सपोर्ट	स्तनपान/फीडिंग सपोर्ट
बीमार नवजात शिशु की देखभाल		
<ul style="list-style-type: none"> जोखिम एवं बीमार नवजात की पहचान तथा त्वरित रैफरल टीकाकरण सेवायें। 	<ul style="list-style-type: none"> 1800 ग्राम तक के कम वजन वाले बच्चे, जिनमें कोई जटिलता नहीं है का प्रबंधन। पीलिया ग्रसित नवजात का फोटोथेरेपी द्वारा प्रबंधन। नवजात शिशुओं में संक्रमण का प्रबंधन। अति कम वजन एवं बीमार नवजात शिशुओं का स्थिरीकरण उपरांत एस.एन.सी.यू. में रैफर करना। टीकाकरण सेवायें। परिवहन सेवायें। 	<ul style="list-style-type: none"> 1800 ग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशुओं का प्रबंधन। सभी बीमार नवजात शिशुओं का प्रबंधन। डिस्चार्ज नवजात शिशुओं एवं उच्च जोखिम वाले का फॉलोअप। टीकाकरण सेवायें। परिवहन सेवायें।

- रेटिनोपैथी ऑफ प्रिमेच्योरिटी से होने वाले अंधत्व से बचाव एवं उपचार के लिये चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के नेत्ररोग विभाग को लीड सेन्टर के रूप में चिन्हित कर जिला चिकित्सालय सीहोर, उज्जैन एवं धार के जिला चिकित्सालय के नेत्ररोग चिकित्सक को आर.ओ.पी. स्क्रीनिंग के लिये प्रशिक्षित किया गया है। पी.जी.आई.एम.ई.आर. चण्डीगढ़ में आर.ओ.पी. स्क्रीनिंग हेतु 2 सप्ताह का हेण्ड्स-ऑन-प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- नवजात शिशु देखभाल हेतु आशा द्वारा गृहभेंट** – नवजात शिशु की देखभाल हेतु जन्म से 28 दिन अत्यंत संवेदनशील समयावधि है। इस अवधि में शिशुओं की मृत्यु की सर्वाधिक संभावना होती है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा नवजात शिशुओं को गृहभेंट कर सही समय पर बीमार नवजात शिशुओं की पहचान कर प्रारंभिक उपचार करने व आवश्यकता होने पर उच्च स्वास्थ्य संस्थाओं में रेफर करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत प्रसव में 6 गृहभेंट 3, 7, 14, 21, 28 एवं 42 वें दिन तथा घर पर प्रसव होने पर 7 गृहभेंट जन्म के पश्चात् 1, 3, 7, 14, 21, 28 एवं 42 वें दिन आशा द्वारा दी जाती है।
- 15 माह तक के बच्चों की देखभाल हेतु आशा द्वारा गृहभेंट** – शिशु की देखभाल हेतु 3 माह से 15 माह तक की समयावधि गंभीर होती है। इस अवधि में बच्चों की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। आशा कार्यकर्ता के माध्यम से बच्चों की गृहभेंट कर सही समय पर शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक की पहचान कर समय पर उपचार प्रदान किया जाता है। इसके

अंतर्गत शिशु के 3, 6, 9 एवं 12 माह पर आशा द्वारा गृहभेंट की जाती है।

- **एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज एवं कम वजन के शिशुओं का सामुदायिक अनुसरण (हाईरिस्क शिशु ट्रेकिंग)** — शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु समुदाय में आशा द्वारा 3, 6, 9 एवं 12 माह की आयु में 2.5 किलोग्राम से कम जन्म वजन एवं एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज किये गये शिशुओं को गृहभेंट दी जाती है। टीकाकरण, स्वच्छता, दस्त में ज़िंक/ओ.आर.एस. का प्रयोग, स्तनपान, पूरक आहार तथा शिशु के विकास में संवाद का महत्व आदि विषयों पर जानकारी साझा की जाती है।
- **फेमिली पार्टिसिपेटरी केयर** के अंतर्गत एस.एन.सी.यू., एन.बी.एस.यू., पी.एन.सी. वार्ड एवं लेबर रूम में नवजात शिशु के स्थिरीकरण उपरांत नवजात शिशु की माँ एवं अन्य परिजनो की उपचार व देखभाल में सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। इसके साथ ही नवजात शिशु की माँ व अन्य परिजनो को नवजात शिशु की देखभाल, स्तनपान, कंगारू मदर केयर, शिशु की साफ-सफाई, खतरे के चिन्हों को पहचानना, अस्पताल में रेफरल, टीकाकरण परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग एवं घर पर शिशु की देखभाल के संबंध में दक्ष किया जाता है, जिससे वे अस्पताल से डिस्चार्ज होने के उपरांत नवजात शिशु की घर पर बेहतर देखभाल कर सकें तथा आवश्यक होने पर तत्काल अस्पताल आकर शिशु का उपचार करा सकें।
इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के दौरान प्रशिक्षित दल द्वारा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाते हैं एवं वीडियो के माध्यम से नवजात शिशु देखभाल समझायी जाती है। माताओं के प्रश्न/भ्रांतियाँ बातचीत के माध्यम से दूर किये जाते हैं। परामर्श पश्चात मातायें बीमार शिशु की देखभाल में स्वयं को सक्षम महसूस करती हैं तथा घर पर नवजात शिशु की बेहतर देखभाल करती हैं।
- **नियोनेटल हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट (N-HDU)** — प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से नियोनेटल हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट (N-HDU) की परिकल्पना की गई है एवं चिन्हित 25 जिला चिकित्सालयों में इस इकाई को स्थापित कर क्रियाशील किया जाना है। वर्तमान में 14 इकाईयाँ संचालित की जा रही हैं।
- **बाल्य गहन चिकित्सा इकाई (पी.आई.सी.यू.)** — प्रदेश के 51 जिला अस्पताल एवं 7 चिकित्सा महाविद्यालयों में बाल्य गहन चिकित्सा इकाईयाँ संचालित हैं, जिनके माध्यम से विगत वर्ष 2021-22 में 49,078 एवं वर्ष 2022-23 (अप्रैल से दिसम्बर 2022) में 66,311 गंभीर रूप से बीमार बच्चों को उपचारित किया गया।
- **चिल्ड्रन वार्ड** — प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में चिल्ड्रन वार्ड संचालित किये जा रहे हैं। इन वार्डों में गंभीर रूप से बीमार बच्चों को भर्ती कर उपचार निरंतर प्रदान किया जा रहा है, जिनके माध्यम से विगत वर्ष 2021-22 में 1,44,661 एवं वर्ष 2022-23 (अप्रैल से दिसम्बर 2022) में 1,42,202 बच्चों को उपचारित किया गया।
- **शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये बर्थ डिफेक्ट शिशुओं का स्क्रीनिंग एवं उपचार किया जाना आवश्यक है।** जिससे नवजात शिशु/शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये जिला चिकित्सालय में जन्मे सभी नवजात शिशु को डिस्चार्ज से पहले नवजात शिशु की व्यापक जाँच कर समय पर जन्मजात विकृति की पहचान, उचित उपचार तथा समय पर रेफर किया जा सके। विगत वर्ष 2021-22 में 10,61,733 एवं वर्ष 2022-23 (अप्रैल से दिसम्बर 2022) में 7,84,309 Newborn की पहचान कर Screening की गई।

- **संस्था आधारित नवजात शिशु देखभाल प्रशिक्षण** — नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में कार्यरत 24 सेवा प्रदायकर्ताओं को कौशल वृद्धि हेतु वर्ष 2022-23 में संस्था आधारित नवजात शिशु देखभाल में प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।
- **संस्था आधारित समेकित नवजात एवं बाल्य रोग प्रबंधन प्रशिक्षण** — प्रदेश में शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी को ध्यान में रखते हुए समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक तथा नर्सिंग ऑफिसर को एफ.आई.एम.एन.सी.आई. प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022-23 में 115 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- **नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** — नवजात शिशु देखभाल सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रसव केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सक एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ को नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाता है। वर्ष 2022-23 में 75 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- **आई.एम.एन.सी.आई. प्रशिक्षण** — बाल्य एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाये जाने हेतु पुनः आई.एम.एन.सी.आई. प्रशिक्षण का प्रारंभ किया गया, जिसमें वर्ष 2022-23 समुदाय स्तर पर कार्यरत कुल 253 ए.एन.एम. को आई.एम.एन.सी.आई. प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया गया।
- **सांस कार्यक्रम** — निमोनिया एवं दस्त रोग बाल्यकाल मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में सबसे ज़्यादा मौते निमोनिया के कारण होती हैं, जो कि लगभग 16.2 प्रतिशत है। इन प्रकरणों में कमी लाये जाने के उद्देश्य से 12 नवम्बर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक अभियान संचालित किया जा रहा है, जिससे निमोनिया के प्रकरणों की पहचान, उचित देखभाल की जाकर निमोनिया से होने वाली शिशु मृत्यु में कमी लाई जा सके। निमोनिया एवं दस्त रोग की पहचान, प्रबंधन हेतु 3,323 सी.एच.ओ. एवं ए.एन.एम. को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- **बाल मृत्यु समीक्षा** — बाल मृत्यु दर को कम करना मध्यप्रदेश शासन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। बाल मृत्यु दर कम करने के लिये प्रदेश में होने वाली समस्त बाल मृत्यु की रिपोर्टिंग एवं समीक्षा राज्य स्तर पर की जा रही है। विगत वर्ष 2021-22 में 30,477 एवं वर्ष 2022-23 (अप्रैल से दिसम्बर 2022) में 22,567 बच्चों की अधिसूचना जारी कर संस्था एवं समुदाय आधारित समीक्षा की गई, जिससे मृत्यु के कारणों की पहचान की जाकर उचित योजना तैयार की जा सके।
- **सघन दस्तारोग नियंत्रण पखवाड़ा (आई.डी.सी.एफ.)** — पाँच वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु के प्रमुख कारण निमोनिया एवं दस्त रोग है। दस्तारोग के प्रकरणों में कमी लाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में दिनांक 18 जुलाई 2022 से 31 अगस्त 2022 तक सघन दस्तारोग नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष तक के कुल 85,87,733 बच्चों में से 76,82,009 (89.45%) बच्चों को निःशुल्क ओ.आर.एस. प्रदान किये गये।
सभी स्वास्थ्य संस्थाओं एवं ग्राम आरोग्य केन्द्रों में ओ.आर.एस., ज़िंक, सिरप एमोक्सीसिलिन एवं इन्जेक्शन जेन्टामाईसिन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इन रोगों के प्रबंधन हेतु चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण किया गया है।
- **राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह National Newborn Week (NNW)** — भारत सरकार के

दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश में दिनांक 21-27 नवम्बर 2022 को राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत निम्न गतिविधियां संचालित की गई –

- समस्त एस.एन.सी.यू., एन.बी.एस.यू., पी.एन.सी. एवं मदर वार्ड में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गई।
- प्रदेश में संचालित समस्त एन.बी.एस.यू. का आंकलन एस.एन.सी.यू. के चिकित्सकों द्वारा कराया गया।
- जिला DEIC केन्द्र में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हेतु विशेष अभियान का संचालन किया गया।
- एस.एन.सी.यू. से उपचारित हुए बच्चों के फॉलोअप हेतु पूरे सप्ताह विशेष अभियान चलाया गया।
- आशा द्वारा प्रतिदिन जन्म से 28 दिन तक नवजात शिशु की गृहभेंट की गई।
- संस्था पर कार्यरत चिकित्सक, नर्सिंग ऑफिसर, सी.एच.ओ. एवं ए.एन.एम. को आवश्यक नवजात शिशु देखभाल पर प्रशिक्षित किया गया।

- **MusQan (मुस्कान)** – भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में जिलों की चिन्हित शिशु स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता सुधार हेतु मुस्कान कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना है। मुस्कान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा NQAS प्रमाणीकरण के आधार पर स्वास्थ्य संस्थाओं में बच्चों के अनुकूल स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गुणवत्ता मापदण्डों को शिशु स्वास्थ्य केंद्रित रूप से व्यवस्था निर्धारण हेतु नवीन कार्ययोजना है, जिसका उद्देश्य निम्नानुसार है –

- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना।
- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुसार दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
- साक्ष्य-आधारित गतिविधियों एवं मानक उपचार दिशा-निर्देशों एवं प्रोटोकॉल के पालन को बढ़ावा देना।
- बाल इकाइयों में मानवीय तथा सहायक वातावरण को बढ़ावा देना।
- उपचारित हितग्राहियों में संस्था के प्रति विश्वास बढ़ाना।

वर्ष 2022-23 में **मुस्कान** प्रमाणीकरण हेतु 31 स्वास्थ्य संस्थाओं का चयन किया गया है। **मुस्कान** के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की गई जा रही हैं –

- राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण का आयोजन किया गया, जिसमें 85 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- 2 संभाग स्तरीय उन्मुखीकरण का आयोजन किया गया, जिसमें 118 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- 21 जिला एवं 23 संस्था स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर पर 539 तथा संस्था स्तर पर 505 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- 10 स्वास्थ्य संस्थाओं का Internal Assessment कराया गया एवं Peer Assessment तदोपरांत External Assessment की कार्यवाही की गई।

शिशु एवं बाल पोषण सेवाएँ

किसी भी प्रदेश की समृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक, उसके स्वास्थ्य एवं पोषण सूचकांक हैं। राज्य शासन संवेदनशील समूहों में स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। स्वस्थ मध्यप्रदेश के निर्माण में बच्चों में गंभीर एनीमिया एवं गंभीर कुपोषण मुख्य चुनौतियाँ रही हैं, जिसके उन्मूलन हेतु विभाग द्वारा विभिन्न साक्ष्य आधारित संस्थागत व सामुदायिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। भारत शासन द्वारा जारी किये गये एन.एफ.एच.एस.-5, 2021-22 अनुसार मध्यप्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण 6.5 प्रतिशत प्रतिवेदित हुई, जो कि एन.एफ.एच.एस.-4, 2015-16 अनुसार 9.2 प्रतिशत थी। इसी प्रकार बच्चों में व्याप्त एनीमिया की दर 72.7 प्रतिशत तथा 10-19 वर्षीय किशोर-किशोरियों में क्रमशः 30.5 व 58.1 प्रतिशत प्रतिवेदित है।

प्रदेश के बच्चों एवं किशोरवय समूह में स्वास्थ्य एवं पोषण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 में विभाग के शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम अंतर्गत जीवन चक्र आधारित निम्न गतिविधियाँ संचालित की गई:-

बाल कुपोषण रोकथाम रणनीति

1. प्रदेश में शिशु एवं बाल आहार पूर्ति व्यवहारों के बढ़ावा हेतु “माँ कार्यक्रम” का क्रियान्वयन — यह साक्ष्य आधारित है कि जन्म के एक घण्टे के भीतर स्तनपान प्रारंभ कराने से 20 प्रतिशत शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है एवं 6 माह की आयु तक शिशु को केवल स्तनपान कराने से आम बाल्यकालीन रोग जैसे दस्त रोग एवं निमोनिया के खतरे में क्रमशः 11 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत कमी लाई जा सकती है। भारत सरकार के “माँ” कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश भर में विभिन्न स्तनपान केन्द्रित संस्थागत एवं सामुदायिक गतिविधियाँ क्रियान्वित की जा रही है जैसे :-

- मैदानी अमलों द्वारा सामुदायिक गतिविधियाँ:-प्रतिमाह आशाओं की ब्लॉक स्तरीय बैठकों में “माँ” कार्यक्रम अंतर्गत स्तनपान व शिशु एवं बाल आहार पूर्ति (आई.वाय.सी.एफ) संबंधी व्यवहारों पर चर्चा की जाती है, आशाओं द्वारा सामुदायिक स्तर पर गर्भवती एवं धात्री माताओं की प्रतिमाह मातृ सहयोगिनी समूह बैठक में शिशु एवं बाल आहार पूर्ति संबंधी व्यवहारों पर विस्तृत चर्चा की जाती है, जिसके लिए आशा को प्रोत्साहन राशि प्रावधानित है। आशाओं द्वारा नियमित गृहभेंट, मासिक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, विशिष्ट ग्राम सभा दिवसों एवं द्विवर्षीय दस्तक अभियान के दौरान दो वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों के परिवारों से सम्पर्क कर उन्हें स्तनपान केन्द्रित परामर्श दिया जाता है। स्तनपान संबंधी समस्याओं वाली माताओं को चिन्हांकित कर आशा द्वारा मूलभूत उपचार तथा विशेष समस्याओं के निदान



गृह भेंट के दौरान धात्री माता को स्तनपान में सहयोग करती आशा कार्यकर्ता

हेतु निकटतम ए.एन.एम./चिकित्सक के पास महिला को रेफर किया जाता है। वर्ष 2022-23 में माह दिसम्बर तक कुल 66,186 आशा कार्यकर्ताओं का विकासखण्ड स्तर पर मासिक बैठकों में स्तनपान संबंधी उन्मुखीकरण किया गया। आशाओं द्वारा 526 मातृ सहयोगिनी समूहों का आयोजन किया गया जिसमें कुल 5,286 गर्भवती व धात्री माताओं को स्तनपान संबंधी परामर्श दिया गया।

● **स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की आई.वाय.सी.एफ. परामर्श पर कौशल उन्नयन –**

प्रदेश के चिन्हित जिलों में प्रसव हेतु चिन्हांकित स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थ पैरा-मेडिकल स्टाफ को शिशु एवं बाल आहार पूर्ति व्यवहार संबंधी परामर्श कौशल पर प्रशिक्षित किया जाता है। माह दिसम्बर 2022 तक उक्त जिलों के चिन्हांकित डिलेवरी पाईट पर अब तक कुल 168 स्टॉफ नर्स एवं ए.एन.एम.को 4-इन-1 आय.वाय.सी.एफ. परामर्श विषय पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।



● **प्रदेश में सर्वप्रथम मातृ दुग्ध दान द्वारा मानव दुग्ध के सुरक्षित संग्रहण एवं वितरण व्यवस्था हेतु प्रदेश**

IYCF 4 दिवसीय प्रशिक्षण – जिला शहडोल

में **2 मातृ दुग्ध कोष** (Comprehensive Lactation Management Center) संचालित हैं जिनमें संग्रहित मानव दुग्ध ऐसे नवजात शिशुओं को प्रदाय किया जाता है जो समय से पूर्व जन्म लेने के कारण अत्यधिक कमजोर अथवा बीमार हो या फिर माँ में चिकित्सकीय जटिलता के कारण शिशु द्वारा स्तनपान को चिकित्सक द्वारा वर्जित किया गया हो। इसके अतिरिक्त नवजात शिशु गहन चिकित्सा ईकाई में भर्ती कम वजन शिशुओं, Malabsorption अथवा Feeding intolerance से ग्रस्त नवजातों में भी संग्रहित डोनर दुग्ध का उपयोग किया जाता है। अब तक इन केन्द्रों में लगभग 73 लीटर दुग्ध प्रदाय कर 200 से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है।

2. **एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम – बच्चों व किशोर-किशोरियों में एनीमिया नियंत्रण एवं रोकथाम** – प्रदेश में 6 से 60 माह के बच्चे, 5 से 10 उम्र के बच्चे, 10 से 19 वर्ष के किशोरवय बालक- बालिकाओं, गर्भवती, धात्री माताओं एवं प्रजनन कालिक महिलाओं में एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के 6 मुख्य पहलूओं के आधार पर एनीमिया की रोकथाम हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाएं, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिमजाति कल्याण विभाग के समन्वय से किया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से 82,734 प्राईमरी, 39,104 माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं एवं 96,882 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत लाभार्थियों में आयरन फॉलिक एसिड की प्रदायगी



अनीमिया मुक्त भारत अंतर्गत विद्यालय एवं आंगनवाड़ी में हीमोग्लोबिन की जांच

की जा रही है।

एनीमिया मुक्त भारत अंतर्गत, प्रदेश में आर.बी.एस.के. एवं मैदानी कार्यकर्ताओं के दल द्वारा समस्त विद्यालीयीन छात्र/छात्राओं में अनीमिया जांच की रणनीति बनाई गई है, साथ ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर को भी शामिल किया गया है। इसके तहत हीमोग्लोबिनोमीटर द्वारा विद्यालयों में एवं कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर पर एनीमिया की जांच एवं आवश्यक उपचार दिया जा रहा है।

वर्ष 2022-23 में (माह दिसम्बर 2023 तक)

- 6 माह से 5 वर्ष के कुल 38,54,759 बच्चों को आई.एफ.ए. सीरप की प्रदायगी की गयी।
- 5 से 10 वर्षीय 32,78,942 बच्चों को आई.एफ.ए. (WIFS Junior) गुलाबी गोली का साप्ताहिक अनुपूरण सुनिश्चित किया गया।
- साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड कार्यक्रम अन्तर्गत 10 से 19 वर्ष के 41,53,326 किशोरवयों में शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम आई.एफ.ए. नीली गोली का अनुपूरण सुनिश्चित किया गया है।



राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस-शा.क.वि. उज्जैन

3. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National De-worming Day) –

कृमि/पटार संक्रमण से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध होता है एवं शालेय बच्चों में उपस्थिति एवं शैक्षणिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत शासन

के दिशा निर्देशानुसार, Fixed Day रणनीति

अंतर्गत, प्रदेश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य 1 से 19 वर्षीय बच्चों में कृमिनाशन कर एनीमिया की रोकथाम करना तथा शारीरिक एवं बौद्धिक विकास एवं शालेय उपस्थिति में सुधार करना है। यह साक्ष्य आधारित है कि कृमिनाशन से बच्चों की अनुपस्थिति में 25 प्रतिशत कमी आती है एवं उनकी पढ़ाई में एकाग्रता भी बढ़ती है। कार्यक्रम के व्यापक क्रियान्वयन हेतु 51 जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से समन्वय में कार्य किया जाता है। साथ में निजी विद्यालय संगठन, केन्द्रीय विद्यालयों, मदरसों आदि को भी इस वृहद कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2022-23 में दिनांक 13 एवं 16 सितम्बर 2023 को किया गया जिसमें प्रदेश की समस्त शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी छात्रावासों, आश्रम शालाओं, मदरसों, निजी विद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 1 से 19 वर्ष कुल 2.76 करोड़ बच्चों का कृमिनाशन किया गया।

3. “दस्तक अभियान” – गृह भेंट आधारित संयुक्त रणनीति

प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल मृत्युदर के प्रमुख कारणों को दृष्टिगत रखते हुये

स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के सामुदायिक विस्तार हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा दस्तक अभियान का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022-23 में संपूर्ण प्रदेश में दस्तक अभियान का आयोजन माह जुलाई-अगस्त 2022 तक किया गया जिसमें ए.एन.एम., आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण, गंभीर एनीमिया तथा बाल्यकालीन आम बीमारियों की घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी की गई जिसकी उपलब्धियां निम्नानुसार हैं—

- 5 वर्ष से कम उम्र के 80.63 लाख बच्चों की सक्रिय स्क्रीनिंग की गई।
- 13,923 चिकित्सकीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर प्रदेश के विभिन्न पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती किया गया।
- 62.07 लाख बच्चों में डिजिटल हीमाग्लोबिनोमीटर द्वारा एनीमिया की जांच की गई तथा 4,318 चिन्हित गंभीर एनीमिक बच्चों का रक्ताधान (Blood Tranfusion) द्वारा उचित प्रबंधन किया गया।
- 65,491 गंभीर निर्जलीकरण से ग्रस्त बच्चों का उचित उपचार एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।
- 9 माह से 5 वर्ष तक के कुल 71.10 लाख बच्चों को विटामिन ए अनुपूरण कराया गया, जो कि कुल लक्ष्य का 97 प्रतिशत है।
- 23,99,788 परिवारों को शिशु एवं बाल आहारपूर्ति संबंधी समझाईश, हाथ धुलाई एवं दस्त रोग की रोकथाम संबंधी समझाईश दी गई।
- जन्मजात विकृति वाले 8,430 बच्चों को आर.बी.एस.के. कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकृत करा उपचारित कराया जा रहा है।
- अन्य बीमारियों से ग्रसित 7,533 बच्चों की पहचान कर उपचार एवं उचित प्रबंधन किया गया।

झलकियां — दस्तक अभियान प्रथम चरण 2022-23



1. विटामिन ए अनुपूरण, 2. आय.वाय.सी.एफ. परामर्श, 3. नुक्कड़ नाटक द्वारा जागरूकता 4. चिकित्सीय जांच, 5. हीमोग्लोबिन की जांच, 6. गंभीर एनीमिक बच्चे का रक्ताधान, 7. गंभीर कुपोषण की पहचान

दस्तक विटामिन ए अनुपूरण का द्वितीय चरण 07 फरवरी 2023 से 09 मार्च 2023 तक आयोजित किया जा रहा है।

3. बाल कुपोषण उपचारात्मक रणनीति

गंभीर कुपोषित बच्चों का संस्थागत प्रबंधन— जन्म से पाँच वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु का एक अंतर्निहित कारण गंभीर कुपोषण है। एन.एफ.एच.एस -5, अनुसार प्रदेश में करीब 6.5 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से ग्रसित हैं, जिसमें से केवल 10-15 प्रतिशत चिकित्सकीय जटिलतायुक्त गंभीर कुपोषित बच्चों को संस्थागत प्रबंधन की आवश्यकता है। चूंकि सामान्य पोषण स्थिति वाले बच्चों की तुलना में गंभीर कुपोषित बच्चों में आम बाल्यकालीन बीमारियों से लगभग 9-20 गुना मृत्यु का अधिक खतरा होता है। अतः प्रदेश की जिला व विकासखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों में जटिल गंभीर कुपोषित बच्चों को भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुशंसित मानक प्रोटोकॉल अनुसार भर्ती कर चिकित्सकीय उपचार व देखभाल किया जाता है। प्रदेश शासन द्वारा पहला पोषण पुनर्वास केन्द्र वर्ष 2006 में गुना जिले में स्थापित कर शुरू किया गया। तब से प्रदेश में गंभीर कुपोषण को कम करने हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 315 पोषण पुनर्वास केन्द्र तथा रीवा एवं ग्वालियर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में तृतीय स्तरीय गंभीर कुपोषण प्रबंधन इकाई संचालित है।



एन.आर.सी. जिला चिकित्सालय, कटनी

गंभीर कुपोषित बच्चों के संस्थागत प्रबंधन हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं पोषण पुनर्वास केन्द्रों को अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, भोपाल (AIIMS) के साथ संबद्ध किया गया है जहां SMART Unit, RCENRRTC (Severe Malnutrition Advance Referral and Treatment Unit, Regional Center of Excellence Nutrition Rehabilitation, Research and Training Centre) की स्थापना की गई है जहां गंभीर कुपोषण के साथ-साथ दुर्लभ चिकित्सकीय जटिलता जैसे Sturge Weber Syndrome, Pott's Spine, Dandy walker syndrome आदि बीमारियों की उन्नत जाँच व प्रबंधन की व्यवस्था है। RCOENRRTC एम्स भोपाल द्वारा जटिल बच्चों के प्रबंधन के साथ प्रदेश के अधीनस्थ SMTU Faculties तथा एन.आर.सी. के चिकित्सा अधिकारी व पैरा मेडिकल स्टाफ के कौशल प्रबंधन किया जाता है।

वर्ष 2022-23 में माह दिसम्बर तक

- 315 पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुल 50,727 गंभीर कुपोषित बच्चे उपचारित किये गये।
- प्रदेश के 02 चिकित्सा महाविद्यालयों रीवा तथा ग्वालियर में संचालित एस.एम.टी.यू. (Severe Malnutrition Treatment Unit) में चिकित्सकीय जटिलता वाले 540 बच्चे उपचारित किए गए।
- एम्स भोपाल में स्मार्ट सेन्टर (Severe Acute Malnutrition Advanced Referral & Treatment Centre) में 182 नॉन रिस्पॉण्डर तथा गंभीर चिकित्सकीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चे उपचारित किए गए।

पोषण पुनर्वास केन्द्र – सफलता की कहानी, इलाज के पूर्व एवं पश्चात



॥ बच्चे हैं अनमोल ... दस्त होने पर जिंक और ओ.आर.एस. का घोल देवें ॥

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में माह अप्रैल 2022 से नवम्बर-2022 तक कुल 92.86 लाख बच्चों का 4Ds (Defects at Birth, Deficiencies, Childhood Diseases, Developmental delays and Disabilities) आधारित स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

- माह अप्रैल 2022 से नवम्बर-2022 तक कुल 7.23 लाख बच्चों का 4Ds अंतर्गत उपचारित किया गया।
- माह अप्रैल 2022 से नवम्बर 2022 तक कुल 12,843 बच्चों की शल्य क्रिया कराई जा चुकी है।
- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय एवं अन्य उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपचारित किया गया। कार्यक्रम अंतर्गत करायी गयी major and minor शल्यक्रिया निम्नानुसार है :-

समय अवधि	न्यूरल ट्यूब डिफैक्ट	कटे-फटे होठ एवं तालू	क्लब फुट	जन्मजात मोतियाबिंद
अप्रैल से नवम्बर 2022	106	717	990	319

- वर्तमान में मुख्यमंत्री बालहृदय उपचार योजना अंतर्गत माह अप्रैल-2022 से नवम्बर-2022 तक 1,150 जन्मजात हृदय रोग के चिह्नित बच्चों की सर्जरी करायी जा चुकी है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2022-23 में माह अप्रैल-2022 से नवम्बर-2022 तक 168 जन्मजात श्रवणबाधित बच्चों की सर्जरी करायी जा चुकी है। वर्तमान वित्त वर्ष में श्रवणबाधित बच्चों का उपचार सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जनकल्याण विभाग के माध्यम से कराया जाता है।
- वर्ष 2022-23 में माह अप्रैल 2022 से नवम्बर-2022 तक डी.ई.आई.सी. अंतर्गत 86,780 बच्चों को विशेषज्ञ द्वारा आवश्यक उपचार/थैरेपी प्रदान की गयी है।
- मध्यप्रदेश के 6 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (भोपाल, जबलपुर, रीवा, इंदौर, ग्वालियर व सागर) में पिडियाट्रिक सर्जिकल यूनिट का संचालन, पिडियाट्रिक सर्जिकल यूनिट अंतर्गत 3,752 बच्चों की सर्जरी।
- प्रदेश में 5 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों (इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा) में रीजनल अर्ली इंटरवेंशन सेंटर संचालित किये जा रहे हैं।
- क्लबफुट (आड़े तेड़े पैर) वाले बच्चों के उपचार हेतु 27 जिलों में क्लब फुट क्लीनिक प्रारंभ कराए गए एवं चिकित्सा महाविद्यालयों (इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा) में क्लब फुट नोडल सेंटर संचालित किये गए हैं। जिसके अंतर्गत वर्तमान में 522 बच्चों को उपचारित किया गया है।
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा जनजातीय कल्याण विभाग की संयुक्त पहल अंतर्गत 20 जिलों के 89 आदिवासी विकासखण्डों में जनजातीय विद्यार्थियों हेतु सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग तथा उपचार के लिये सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

परिवार कल्याण सेवाएँ

जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत वह पहला देश था जिसने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में वर्ष 1952 में ही अपना लिया था। राज्य शासन परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत ऑपरेशन महिला/पुरुष एवं बच्चों के जन्म अंतर सुनिश्चित करने के लिए अंतराल विधियों की सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्ण रूपेण हितग्राहियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक अस्थाई एवं स्थाई परिवार नियोजन साधनों के ग्राह्यता पर अवलंबित है।

मध्यप्रदेश में सकल प्रजनन दर 2.0 है तथा अस्थाई साधनों की अपूरित मांग लगभग 7.7 प्रतिशत है (NFHS-5 2019-20)। पुरुष प्रधान सामाजिक परिदृश्य के चलते प्रदेश में स्थाई एवं अस्थाई साधनों का पुरुष वर्ग द्वारा कॉन्डोम का उपयोग 8.1 प्रतिशत तथा पुरुष नसबंदी 0.7 प्रतिशत है। परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नसबंदी ऑपरेशन पुरुष/महिला और जन्म में अंतर सुनिश्चित करने के लिए अस्थाई अंतराल साधन समुदाय तथा संस्थाओं में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही लक्ष्य दंपतियों में स्थाई परिवार नियोजन विधियों को अपनाने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के समस्त जिलों को विशेष दर्जा देते हुए मिशन परिवार विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अधिक प्रोत्साहन राशि एवं परिवार नियोजन को सामुदायिक बढ़ावा देने हेतु केन्द्रित गतिविधियाँ की जा रही है।

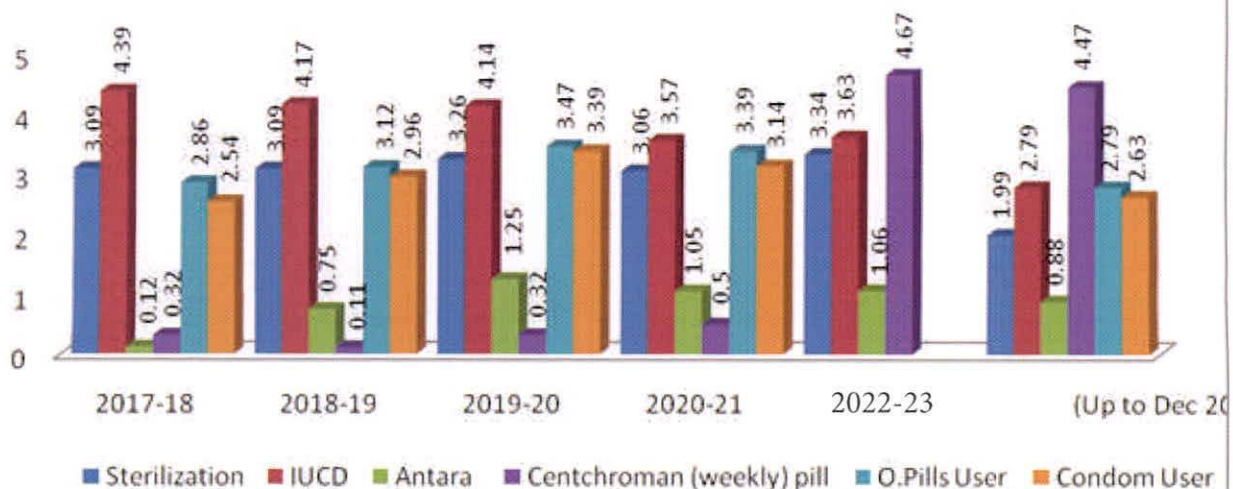
परिवार कल्याण अंतर्गत की जा रही विभिन्न गतिविधियाँ निम्नानुसार है:-

1. **महिला एवं पुरुष नसबंदी सेवाएँ**— वर्ष 2022-23 में माह दिसंबर 2022 तक प्रदेश में लगभग 1.99 लाख निःशुल्क नसबंदी ऑपरेशन किये गये। नसबंदी करने हेतु प्रशिक्षित शल्य चिकित्सकों एवं उन्नत उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। पुरुष नसबंदी के प्रोत्साहन हेतु हितग्राहियों को राशि रु. 3000/- प्रोत्साहन स्वरूप मजदूरी क्षतिपूर्ति राशि हितग्राहियों को दी जा रही है। महिला एवं पुरुष नसबंदी हेतु इच्छुक हितग्राहियों का मोबिलाईजेशन स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मियों यथा आशा, आशा सहयोगिनी, ए.एन.एम, एम.पी.डब्ल्यू. एल.एच.वी तथा पुरुष सुपरवाइजर के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है।



2. **अस्थाई परिवार नियोजन साधनों का वितरण एवं निःशुल्क सेवा प्रदायगी**— महिलाओं के लिए आई.यू.सी.डी./पी.पी.आई.यू.सी.डी, “अंतरा” गर्भ निरोधक इन्जेक्शन, गर्भ निरोधक गोलियाँ “माला एन” एवं नॉन हार्मोनल साप्ताहिक “छाया” गोलियाँ समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध है। इसी प्रकार पुरुषों के लिए निरोध का वितरण पूर्ण गोपनीयता एवं हितग्राही की निजता को दृष्टिगत रखते हुए सुनिश्चित किया जा रहा है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियाँ (लाख में):—



- एच.डी.सी योजना (Home Delivery of Contraceptives) तथा पी.टी.के. योजना (Pregnancy Testing Kit)** — घर पहुँच कर गर्भ निरोधक साधन वितरण योजना द्वारा गर्भ निरोधक साधनों जैसे निरोध, गर्भ निरोधक गोलियाँ “माला एन” एवं नॉन हार्मोनल साप्ताहिक “छाया” गोलियों की उपलब्धता ग्राम स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। इस योजना द्वारा बच्चों के जन्म में अंतर सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि मातृ-मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। साथ ही गर्भावस्था के शीघ्र पहचान करने हेतु आशा द्वारा समुदाय में प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट का भी उपयोग किया जा रहा है।
- ई.एस.बी. योजना (Ensuring Spacing at Birth Scheme)** — विवाह उपरान्त प्रथम संतान के जन्म में न्यूनतम 2 वर्ष का अंतर सुनिश्चित करने, प्रथम एवं द्वितीय संतान के बीच 3 वर्ष का अन्तराल सुनिश्चित करने तथा द्वितीय संतान के जन्म के उपरान्त नसबंदी कराने संबंधी सकारात्मक एवं स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार का सामुदायिक अनुकरण सुनिश्चित करने के लिए आशा को क्रमशः राशि रु. 500/- एवं रु. 1000/- प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वर्ष 2022-23 में माह सितंबर 2022 तक अंतराल सुनिश्चित करने हेतु 21,053 प्रकरण के लिए तथा द्वितीय संतान के उपरान्त नसबंदी सुनिश्चित करवाने के लिए 23,001 प्रकरण हेतु आशाओं को योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दी गई है।
- परिवार कल्याण कॉर्नर—** परिवार नियोजन के साधनों के प्रदर्शन हेतु 9 खण्डों वाला डिस्प्ले बॉक्स प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था में लगाया गया है ताकि अस्पताल में आने वाले समस्त हितग्राहियों को सभी परिवार नियोजन के साधनों एवं सूचना सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके। साधनों की नियमित आपूर्ति एवं उपयोग संबंधी सूचना सामग्री इनके माध्यम से सदैव उपलब्ध रहती है।



6. प्रदेश के समस्त जिलों में “मिशन परिवार विकास” हेतु संचालित विशिष्ट परिवार कल्याण संबंधी गतिविधियाँ:-

I. सास-बहु सम्मेलन- प्रदेश की सामाजिक परिदृश्य में परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग संबंधी निर्णय में सास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसके लिए सास-बहु के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने एवं रोचक खेल अथवा गतिविधियों के द्वारा महिलाओं के प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य में सुधारात्मक बदलाव हेतु ग्राम स्तर पर सास-बहु सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022-23 में माह सितंबर 2022 तक कुल 80,539 सम्मेलनों का आयोजन किया गया जिसमें 4,84,008 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



II. नई पहल किट- नव विवाहित दंपतियों में परिवार नियोजन साधनों की समझ एवं उपयोग प्रोत्साहित करने हेतु “नई पहल किट” की प्रदायगी की जाती है ताकि नव विवाहितों की परिवार नियोजन संबंधी अपूरित मांग की पूर्ति पूर्ण निजता में सुनिश्चित हो सके तथा उन्हें इस संवेदनशील अवधि में संकोच के कारण परिवार नियोजन साधनों को प्राप्त करने में असुविधा न हो। वर्ष 2022-23 में माह सितंबर 2021 तक कुल 5,678 नई पहल किट का वितरण आशाओं द्वारा नव दंपतियों को किया गया।



III. सारथी रथ- परिवार कल्याण कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के प्रचार प्रसार हेतु “सारथी रथ” का संचालन किया जाता है जिसके माध्यम से समुदाय तक परिवार नियोजन की स्थाई सेवायें जैसे महिला/पुरुष नसबंदी एवं अस्थाई साधनों के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-23 में माह सितंबर 2022 तक सारथी रथ के माध्यम से 3,12,367 पैम्पलेट्स वितरित किये गये। 1,75,413 हितग्राही से सम्पर्क किया गया। जिनमें से 1,26,602 को परामर्श दिया गया एवं 25,79,273 को निरोध पीस, 1,66,717 को ओसी पिल्स एवं 41,945 को छाया पिल्स का वितरण किया गया।



॥ छोटा परिवार, सुखी परिवार ॥

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम



10 से 19 वर्ष के बालक-बालिकाओं को किशोर आयु वर्ग में समाहित किया जाता है, इस आयुवर्ग की जनसंख्या निकट भविष्य में देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार भी है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर में कमी लाने हेतु किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित करना अति आवश्यक है।

मध्यप्रदेश में 10 से 19 आयुवर्ग की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 1,60,11,290 है जो कि प्रदेश की जनसंख्या का 22 प्रतिशत है। जिसमें किशोर की जनसंख्या 84,19,401 एवं किशोरी की जनसंख्या 75,91,889 है। निम्न सारणी से यह स्पष्ट हो रहा है कि ग्रामीण अंचल में 74 प्रतिशत किशोर निवासरत है तथा शेष 26 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवासरत है।

विवरण	जनसंख्या	प्रतिशत
म.प्र. में किशोरों की कुल जनसंख्या	1,60,11,290	प्रदेश की जनसंख्या का 22 प्रतिशत
कुल किशोर	84,19,401	53 प्रतिशत
कुल किशोरी	75,91,889	47 प्रतिशत
ग्रामीण किशोरों की जनसंख्या	1,18,40,755	74 प्रतिशत
शहरी किशोरों की जनसंख्या	41,70,535	26 प्रतिशत
10 से 14 वर्ष के कुल किशोर	85,64,501	53 प्रतिशत
15 से 19 वर्ष के कुल किशोर	74,46,789	47 प्रतिशत

यह उल्लेखनीय बात है कि 10 से 14 आयु वर्ग में 85,64,501 किशोर एवं किशोरी है तथा 15 से 19 आयु वर्ग में 74,46,789 किशोर एवं किशोरियां हैं। दोनों आयु वर्ग के साथ स्वास्थ्य के भिन्न-भिन्न मुद्दे जुड़े हुए हैं जैसे रक्ताल्पता दोनों आयु वर्ग में पाई जाती है तथा कम उम्र में गर्भधारण होना, माहवारी इत्यादि समस्या अधिकतर 15 से 19 आयु वर्ग की किशोरियों में देखी जाती है।

वर्तमान में प्रदेश में तनाव एवं अन्य मानसिक समस्याओं की वजह से आत्महत्या के प्रयासों में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में उच्च शिक्षा लेने हेतु घर परिवार से दूर रहकर महानगरों में निवास करने वाले किशोरों में पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं की वजह से अवसाद का प्रतिशत बढ़ रहा है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर का प्रभाव ग्रामीण अंचलो तक देखा जा सकता है सोशल मीडिया के अति उपयोग करने से किशोरों में अकेलापन तथा परिवार से जुड़ाव कम होते जा रहा है जिसकी वजह से भिन्न-भिन्न मानसिक समस्याओं में भी वृद्धि हो रही है।

शहरी किशोरों में खान पान से सम्बन्धित समस्याएं जैसे मोटापा, मधुमेह टाइप 2, रक्तचाप तथा स्ट्रोक इत्यादि असंचारी रोगों का प्रतिशत भी बढ़ते जा रहा है किशोरों में तम्बाकू, सिगरेट, शराब, ड्रग्स इत्यादि के सेवन से बीमारियां जैसे कैंसर तथा सड़क दुर्घटना में मृत्यु में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में उपरोक्त दर्शित समस्त बिन्दुओं को समाहित कर देश एवं प्रदेश में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुवात वर्ष 2014 में की गई।

वर्तमान में किशोर स्वास्थ्य से संबंधित निम्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं :-

1. क्लीनिक आधारित सेवाएं –

प्रदेश के 13 जिलों – अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, पन्ना, छतरपुर, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, सतना, मण्डला, डिण्डोरी, दमोह एवं राजगढ़ के 13 जिला चिकित्सालय में एवं इन जिलों के कुल 89 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लीनिक संचालित किये जा रहे हैं उक्त क्लीनिकों में सेवाएं लेने हेतु आने वाले किशोरों को सुविधा जनक खुशनुमा महौल में परामर्श प्रदान किया जाता है अधिकतर क्लीनिक में हल्के हरे रंग का प्रयोग किया गया है ताकि क्लीनिक की दृश्यता बढ़े। इन क्लीनिक में परामर्श सेवाएं अनुबंधित संस्थाओं के माध्यम से प्रदान



की जा रही है जिसके अन्तर्गत उनके 102 परामर्शदाता को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जो कि 13 आर.के.एस.के. जिलों के जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर कार्यरत हैं।

परामर्शदाता परामर्श के साथ – साथ आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से भी किशोरों में स्वास्थ्य से सम्बन्धित विषयों में जागरूकता लाने के प्रयास हो रहे हैं। आंगनवाड़ी उच्च माध्यमिक शाला, छात्रावास आदि में एक माह में 8 दिवस आउटरीच गतिविधि की जाती हैं।

जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक 5.2 लाख किशोर/किशोरियों को परामर्श एवं उपचार सेवायें प्रदान की गई हैं तथा आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से 3.10 लाख किशोर/किशोरियाँ लाभान्वित हुये।

2. समुदाय आधारित सेवाएं –

आरकेएसके संचालित 13 जिलों के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अन्तर्गत आने वाले चयनित 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के समस्त गांवों में पीयर एजुकेटर/साथिया कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।



वित्तीय वर्ष 2020-21 में आरकेएसके संचालित 13 जिलों के कुल 13,476 गांवों में प्रत्येक आशा के क्षेत्र से 15 से 19 आयुवर्ग के एक किशोर एवं एक किशोरी का चयन आशा के सहयोग से स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति द्वारा साथिया के रूप में किया गया है। चयनित साथिया को 6 रविवार को आरकेएसके के संचालन हेतु अनुबंधित संस्थाओं द्वारा पीयर एजुकेटर/साथिया मॉड्युल में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात साथिया



द्वारा अपने ग्राम के किशोरों की ब्रिगेड बना कर उनके बीच स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चर्चा कर जागरूकता लाई जानी है एवं किसी किशोर/किशोरी की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता होने पर एएनएम के पास अथवा परामर्श/क्लीनिकल सर्विस लेने हेतु किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लीनिक जाने हेतु प्रेरित किया जाना है। ग्राम के किशोरों के मध्य कार्य करने हेतु सतत् प्रेरणा देने का कार्य भी आशा के द्वारा संपादित किया जाना है।

आशा सहयोगी अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में एएनएम एवं आशा सहयोगी द्वारा हर माह उस क्षेत्र के साथियों की बैठक की जा रही है एवं उन्हें लगातार स्वास्थ्य संबंधी विषयों में जागरूक किया जा रहा है ताकि उनके द्वारा अपने गाँव के अन्य किशोरों के मध्य स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की गतिविधि आयोजित की जा सके। वर्तमान में 32214 पीयर एजुकेटर/साथिया का चयन एवं प्रशिक्षण किया जा चुका है।

3. किशोर स्वास्थ्य दिवस –

किशोर स्वास्थ्य दिवस साथिया कार्यक्रम हेतु चयनित गाँवों में आयोजित की जाने वाली गतिविधि है जिसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य गाँव के किशोरों के मध्य उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े एवं आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय इलाज हेतु रेफरल किया जा सके।



किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन ग्राम स्तर पर शाला/ महाविद्यालय/पंचायत भवन इत्यादि में सूचना, मनोरंजन एवं उत्सव के माध्यम से आयोजित की जाना है जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी, स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि को सम्मिलित किया जाना है।

किशोर स्वास्थ्य दिवस में ग्राम के चयनित साथिया, ग्राम के समस्त किशोर – किशोरी, आशा, ग्राम के मुखिया, स्कूल में पदस्थ शिक्षक, ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी, एएनएम एवं उक्त ग्राम के निवासी सम्मिलित होंगे। यह कार्यक्रम किशोरों में नेतृत्व गुण को प्रदर्शित एवं वृद्धि करने के अवसर प्रदान करता है।

कॉमिक बुक –

आरकेएसके अन्तर्गत यूएनएफपीए के तकनीकी सहयोग से स्वास्थ्य विषयों पर 24 कॉमिक बुक का निर्माण किया गया है। जिन्हें साथिया (पीयर एजुकेटर) को प्रतिमाह 1 विषय पर उसके स्वयं के लिए एवं बिग्रेड मैम्बर के लिए प्रदान की जाती है। कॉमिक विषय के आधार पर गाँव में स्वास्थ्य विषयों पर गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।



॥ किशोर बालक-बालिका भविष्य है हमारा,
इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना कर्तव्य हमारा ॥

आशा कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक बनाने हेतु आशाएं कार्य कर रही हैं। प्रदेश में 64,557 ग्रामीण क्षेत्र में और 4,535 शहरी क्षेत्र में आशाएं कार्यरत हैं, वर्तमान में ये आशाएं मिशन की महत्वपूर्ण पहचान व उपलब्धि हैं।

आशाओं के सहयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों तथा शहरी क्षेत्र में महिला आरोग्य समितियों का निर्माण किया गया है। जिन्होंने स्वास्थ्य से जुड़े स्थानीय मुद्दों को उठाने, ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजन और समुदाय तक स्वास्थ्य जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आशाएं गर्भवती महिला की प्रथम त्रैमास में पंजीयन, चार जांचें करवाने के अलावा संस्थागत प्रसव हेतु परिवार एवं गर्भवती महिला को परामर्श देती हैं तथा प्रेरित करती हैं।

आशाओं एवं आशा सहयोगी के व्यावसायिक कौशल उन्नयन के लिए शासकीय एएनएम प्रशिक्षण के लिए 25 प्रतिशत तथा जीएनएम प्रशिक्षण के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण राज्य शासन द्वारा दिया गया है। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट आशा पर्यवेक्षकों को आशा प्रशिक्षक के रूप में भी तैयार किया जा रहा है।

शहरी आशा — मध्यप्रदेश के 68 नगरी निकाय क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन संचालित किया जा रहा है। शहरी आशा, नगरी निकाय क्षेत्रों में स्थापित चिन्हित व अचिन्हित मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए जमीनी स्तर की स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। वह झुग्गी बस्तियों के वंचित समूहों में महिलाओं और बच्चों तक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को तथा आंगनवाड़ियों व शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण कड़ी है। उसे जनस्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति संवेदना रखने वाली जनप्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। आशा बनने वाली महिला में प्रभावी संचार कौशल, नेतृत्व गुण व समुदाय तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए।

आशा प्रशिक्षण—

प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं के क्षमतावर्धन हेतु सुनियोजित तरीके से विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है, विभिन्न आशा प्रशिक्षण निम्नानुसार हैं—

- **आशा प्रारम्भिक (इंडक्शन) प्रशिक्षण मॉड्यूल—** यह मॉड्यूल नवीन चयनित आशाओं हेतु तैयार किया गया है, जिसमें मुख्यतः आशा का अर्थ, स्वस्थ समुदाय, अधिकारों और स्वास्थ्य के अधिकार का अर्थ, आशा की दक्षताएं, मातृ स्वास्थ्य, शिशु एवं बाल पोषण, किशोर स्वास्थ्य, अनचाहे गर्भधारण से बचाव, सुरक्षित गर्भपात आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है।
- **आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 एवं 7** — मॉड्यूल 6 आशा के काम के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण देता है। इसमें आशा की भूमिका, उसके द्वारा किए जाने वाले काम, आशा कार्यक्रम का मूल्यांकन, आशा के लिए जरूरी दक्षताएं, गृह भेंट, ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता दिवस का आयोजन तथा आशा के लिए सहयोगी तंत्र की जानकारी सम्मिलित है साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु गर्भ की पहचान, प्रसव हेतु तैयारी, खून की कमी होने पर प्रबंधन, गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान खतरे के लक्षणों को पहचानना, प्रसव के दौरान तथा प्रसव पश्चात् देखभाल सम्मिलित है। प्रसव पश्चात् नवजात शिशु की देखभाल, गृह भेंट में शिशु की जांच एवं आवश्यक होने पर इलाज हेतु अस्पताल भेजना तथा घर में सामान्य देखभाल, स्तनपान, बच्चे को गर्म रखना तथा बुखार का

प्रबंधन शामिल है।

मॉड्यूल 7 में मुख्य रूप से बच्चों का स्वास्थ्य तथा पोषण, महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य तथा खतरे वाले बच्चों की पहचान, अस्पताल में भेजना अथवा देखभाल शामिल हैं। मलेरिया एवं टी.बी. की पहचान, सामान्य जानकारी एवं पूर्ण इलाज में मदद करना शामिल हैं। आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 का प्रशिक्षण कौशल आधारित प्रशिक्षण है। आशा के 20 दिवसीय प्रशिक्षण को 5-5 दिवसीय प्रशिक्षणों में विभाजित कर चार चरणों में किया जाता है।

- **गृह आधारित शिशु देखभाल कार्यक्रम (एच.बी.वाय.सी.) संबंधी प्रशिक्षण**—एच.बी.वाय.सी. अंतर्गत आशाओं द्वारा शिशु के जन्म के पश्चात तीसरे माह, छठवें माह, नौवें माह, बारहवें माह व पंद्रहवें माह की आयु में घरों का दौरा किया जाता है, जो कि शिशु के उत्तम स्वास्थ्य, पोषण, आरंभिक बाल विकास एवं संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि है। एच.बी.वाय.सी. प्रशिक्षण में आशा कार्यकर्ताओं को घरों का दौरा करने संबंधी एवं प्रत्येक गृहभेंट में किये जाने वाले कार्यों संबंधी 05 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं (CPHC) संबंधी प्रशिक्षण पैकेज**— इस प्रशिक्षण पैकेज में आशा कार्यकर्ताओं का गैर संचारी रोगों पर प्रशिक्षण (05 दिवस), मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धजन देखभाल एवं प्रशामक देखभाल प्रशिक्षण (11 दिवसीय) तथा ओरल, ईएनटी, आँख एवं आकस्मिक देखभाल प्रशिक्षण (11 दिवसीय) दिया जाता है।

❖ **गैर संचारी रोगों संबंधी प्रशिक्षण**— प्रदेश में आरोग्यम के अंतर्गत चिन्हित स्वास्थ्य केन्द्रों की आशा एवं आशा सहयोगी को गैर संचारी रोगों पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस माड्यूल में आशा एवं आशा सहयोगी को मुख्यतः पांच गैर संचारी रोग—मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय के मुंह (सरवाईकल) कैंसर के उच्च जोखिम लक्षणों को पहचानने तथा इनके आधार पर समीपस्थ स्वास्थ्य केन्द्र में स्क्रीनिंग हेतु रेफर करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

❖ **मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धजन देखभाल एवं प्रशामक देखभाल प्रशिक्षण** — व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) अंतर्गत आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धजन देखभाल एवं प्रशामक देखभाल अंतर्गत कुल 11 दिवस का आवासीय प्रशिक्षण निम्नानुसार दो चरणों में प्रदान किया जाना है—

1. मानसिक स्वास्थ्य — 05 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण
2. वृद्धजन देखभाल एवं प्रशामक देखभाल — 06 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण।

❖ **ओरल, ईएनटी, आँख एवं आकस्मिक देखभाल प्रशिक्षण** — व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) अंतर्गत आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों को ओरल, ईएनटी, आँख एवं आकस्मिक देखभाल अंतर्गत कुल 11 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण निम्नानुसार 02 भागों में प्रदान किया जाना है —

1. आकस्मिक देखभाल — 05 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण
2. मुंह, आँख, नाक, कान, गला देखभाल — 06 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण

आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि विवरण

आशा कार्यकर्ता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों को संपादित करने में सहयोग हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान तालिकानुसार किया जाता है:-

क्र.	कार्य	प्रोत्साहन राशि	राज्य शासन से देय प्रोत्साहन राशि	कुल देय प्रोत्साहन राशि
1	रूटिन इंसेंटिव (2000 प्रति माह प्रति आशा)			
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यों के लिये प्रोत्साहन राशि				
2	गर्भावस्था का प्रथम त्रैमास में पंजीयन कर फॉलिक एसिड की गोली प्रदाय करने पर तथा द्वितीय त्रैमास में आईएफए, कैल्शियम प्रदाय करने एल्बेंडाजोल का सेवन कराने एवं एक जांच चिकित्साधिकारी से कराने पर	100	100	200
3.1	जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत 4 एएनसी जांच एवं संस्थागत प्रसव (ग्रामीण आशा)	600	600	1200
3.2	जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत 4 एएनसी जांच संस्थागत प्रसव (शहरी आशा)	400	400	800
4	गंभीर रक्ताल्पता से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाने एवं उसके चार फॉलोअप पर	400	400	800
5	मोबिलिटी सपोर्ट एम.टी.पी. के प्रकरण हेतु	150	—	150
6.1	ई पीएमएसएमए के अंतर्गत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला को तीन बार चिकित्सक/विशेषज्ञ से जांच कराने हेतु स्वास्थ्य केंद्र पर लाने हेतु	300	—	300
6.2	ई पीएमएसएमए के अंतर्गत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला के सुरक्षित प्रसव कराने एवं 45 दिवस तक मां और शिशु के जीवित रहने पर	500	—	500
7.1	प्रसव पश्चात महिला एवं नवजात शिशु की घर पर देखभाल हेतु भ्रमण (संस्थागत प्रसव पर 6 एवं घरों में होने वाले प्रसव पर 7 भ्रमण अनिवार्य) (एच.बी.एन.सी)	250	250	500
7.2	कम वजन वाले शिशुओं का फॉलोअप, प्रति फॉलोअप रु.50/- के दर से अधिकतम 04 फॉलोअप के लिये एसएनसीयू से डिस्चार्ज बच्चों का फॉलोअप, प्रति फॉलोअप रु.50/- के दर से अधिकतम 04 फॉलोअप के लिये	200	200 200	400

8	प्रत्येक त्रैमास में आशा को ग्राम में अपने-अपने क्षेत्र में दो वर्ष तक के शिशुओं की माताओं की 8-10 मासिक बैठकों का आयोजन किये जाने पर (मां अभियान के अंतर्गत)	100	—	100
9	एनआरसी में गंभीर कुपोषित बच्चों के रिफरल एवं फॉलोअप पर प्रति बच्चा	900	—	900
10	आईडीसीएफ कार्यक्रम के अंतर्गत ओआरएस एवं जिंक वितरण हेतु (दस्तक अभियान के दौरान)	100	—	100
11	06-59 माह तक के बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड सीरप पिलाने हेतु आंगनवाड़ी में मोबिलाईज करने पर प्रतिमाह	100	—	100
12	राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस पर शाला त्यागी बच्चों को कृमिनाशन का सेवन कराने पर	100	—	100
टीकाकरण संबंधी कार्यों के लिये प्रोत्साहन राशि				
15	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर शिशुओं एवं गर्भवती महिला का मोबिलाईजेशन	150	—	150
16	शिशु का प्रथम वर्ष में पूर्ण टीकाकरण	100	100	200
17	शिशु का द्वितीय वर्ष में पूर्ण टीकाकरण	75	75	150
परिवार कल्याण संबंधी कार्यों के लिये प्रोत्साहन राशि				
18	पुरुष नसबंदी केस लाना	400	—	400
19	महिला नसबंदी केस लाना	300	—	300
20	दो बच्चों के उपरांत ऑपरेशन करने को प्रेरित करने हेतु	1000	—	1000
21	पीपीआईयूसीडी लगवाने के लिए स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र तक लाने में सहयोग/प्रेरित करने पर	150	—	150
22	पीएआईयूसीडी लगवाने हेतु प्रेरित करने पर	150	—	150
23	प्रसव पश्चात् सात दिवस के अंदर ऑपरेशन कराने हेतु प्रेरित करने पर	400	—	400
24	नव दंपत्ति को 2 वर्ष तक परिवार कल्याण के साधनों को अपनाने को प्रेरित करने हेतु	500	—	500
25	प्रथम बच्चे एवं द्वितीय बच्चे के बीच तीन वर्ष के अंतराल रखने को प्रेरित करने हेतु	500	—	500
26	नवविवाहित दंपत्ति को नयी पहल किट वितरित करने हेतु	100	—	100
27	प्रति त्रैमास सास बहू सम्मेलन आयोजित करने हेतु	100	—	100

28	अंतरा लगाने हेतु प्रेरित करने पर (इंजेक्टेबल कांट्रासेप्टिव)	100	—	100
सी.डी.सी.पी संबंधी कार्यों के लिये प्रोत्साहन राशि				
29	मलेरिया की जांच हेतु रक्त पट्टी बनाना	15	—	15
30	मलेरिया पॉजीटिव आने पर पूर्ण रेडीकल इलाज के लिये	75	—	75
31	गंभीर मलेरिया के रोगी को रिफर करने तथा उपचार पूर्ण होने पर	300	—	300
32	कुष्ठ रोगी की पहचान कराने पर	250	—	250
33	कुष्ठ के एम.बी. मरीज को सक्षम सुविधा केन्द्र तक पहुंचाना एवं पूर्ण उपचार सुनिश्चित करने पर	600	—	600
34	कुष्ठ के पी.बी. मरीज का पूर्ण उपचार सुनिश्चित करने पर	400	—	400
35	नवीन टी.बी. प्रकरण हेतु डॉट प्रोवाइडर के रूप में	1000	—	1000
36	पूर्व में उपचारित टी.बी. प्रकरण हेतु डॉट प्रोवाइडर	1500	—	1500
37	औषधि प्रतिरोधी टी.बी. मरीजों को डॉट प्रोवाइडर द्वारा उपचार कराने पर	5000	—	5000
38	आयोडीन नमक के नमूने की जांच करने के लिए (14 चिन्हित जिले)	25	—	25

आशा कार्यकर्ता को कार्य के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि विवरण वर्ष 2022-23 में (31 दिसंबर 2022) तक आशा कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा किये गये कार्यों हेतु रु. 210.52 लाख प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया है।

आशा फोन इन कार्यक्रम

प्रत्येक माह प्रथम मंगलवार को दोपहर 01:15 बजे से 02:15 बजे तक फोन इन कार्यक्रम संपन्न किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों में कार्य के दौरान आशा कार्यकर्ताओं द्वारा आकाशवाणी केन्द्र भोपाल पर फोन लगाकर, कार्यक्रम विशेषज्ञों से सीधी बातचीत की जाती है।

आशा एवं आशा पर्यवेक्षक अवार्ड

वर्ष 2010-11 में आशाओं को प्रोत्साहन हेतु अवार्ड देने का प्रावधान किया गया था। तब से प्रतिवर्ष आशाओं को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पुरस्कार दिया जा रहा है। जिला स्तर पर आशा पर्यवेक्षक तथा आशाओं को तथा ब्लॉक स्तर आशाओं को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को दिये जाते हैं।

आशा हेतु सहयोग तंत्र

आशा को, प्रेरित होकर बेहतर रूप से कार्य करने हेतु उसे सामाजिक एवं शासकीय सहयोग तथा

प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इसके लिये आशाओं को समय पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान, आशा चयन, कार्य के दौरान व स्वास्थ्य केन्द्रों में दुर्व्यवहार, लाभार्थी को स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाली समस्याओं का हल निकालने के लिये आशा सहयोगी तंत्र स्थापित है। इस हेतु राज्य स्तर पर आशा रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गयी है। जिला स्तर पर जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर एवं 10-12 आशाओं पर 1 आशा पर्यवेक्षक का सहयोगी तंत्र बनाया गया है। सेक्टर स्तर पर सहयोगी तंत्र के रूप में 5,094 आशा पर्यवेक्षकों का चयन किया गया है। प्रति सेक्टर एक आशा पर्यवेक्षक का चयन किया गया है। गांव स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्य आशा के सहयोगी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आंगनबाड़ी सह ग्राम आरोग्य केन्द्र

गांवों में आंगनबाड़ी सह ग्राम आरोग्य केन्द्र प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य की गतिविधियों का केन्द्र है। आरोग्य केन्द्र में गांव के स्वास्थ्य से संबंधित समस्त रिकार्ड, योजनाओं का विवरण आदि संधारित किया जाता है। पूर्व में आवश्यकता होने पर गांव स्तर पर जानकारी का अभाव रहता था। अब ग्राम आरोग्य केन्द्र इस कमी को पूर्ण करने में सहायक हो रहा है। ग्राम आरोग्य केन्द्र हेतु स्थान का चयन गांव में उपलब्ध आंगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि में किया गया है। प्रदेश में कुल 49,417 केन्द्र अधिकृत रूप से अस्तित्व में हैं।

ग्राम आरोग्य केन्द्र का व्यवस्थापन —ग्राम आरोग्य केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं तथा कार्यों के सुचारु संचालन हेतु निम्न व्यवस्थाएं हैं—

उपकरण	औषधि	रिकार्ड	आईईसी सामग्री
फर्नीचर— कुर्सी, टेबिल, बैंच,	ओ.आर.एस., पैकेट	जन्म मृत्यु पंजीयन रजिस्टर	प्रचार प्रसार हेतु जैसे— रेडियो, डीव्हीडी, लाउड स्पीकर/माईक एवं आईईसी सामग्री
ए.एन.सी. परीक्षण टेबल और उस पर चढ़ने के लिए स्टूल।	आयरन फोलिक एसिड टेबलेट (छोटी/बड़ी)	गर्भवती पंजीयन रजिस्टर	ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों के नाम का बेनर
नवजात शिशु हेतु न्यूनेटल स्प्रिंग बैलेंस, इनफेन्टो मीटर,	कोट्राइमोक्साजोल टेबलेट (बच्चों की)	टीकाकरण बच्चों का पंजीयन रजिस्टर	आशा प्रोत्साहन राशि का विवरण
हीमोग्लोबिनो मीटर। स्टेथो स्कोप,	जेन्शन वायलेट क्रिस्टल	लक्ष्य दंपतियों का पंजीयन रजिस्टर	फिलप चार्ट
	जिंक सल्फेट डिस्पर्सिबल टेबलेट	सर्वे रजिस्टर	
फीटोस्कोप।	पैरासिटमाल टेबलेट (500 एम.जी.)	तदर्थ समिति बैठक रजिस्टर	

उपकरण	औषधि	रिकार्ड	आईईसी सामग्री
स्प्रिट लैंप	एल्बेन्डाजोल टेबलेट (400 एम.जी.)	स्टॉक रजिस्टर	
हब कटर, थर्मामीटर, रूई।	डाइक्लोमिन हाइड्रो क्लोराइड टेबलेट (10 एम.जी.)	ड्रग स्टॉक रजिस्टर	
परखनली,	पाविडोन आयोडीन आइन्टमेंट	निरीक्षण रजिस्टर	
टार्च, अलमारी, संदूक, पर्दा।	कॉटन बेंडेज		
पानी की टंकी, गिलास	अब्जाबेंट कॉटन		
यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट	क्लोरोक्वीन फॉस्फेट टेबलेट		
आर.डी.के. किट	ओरल पिल्स पैकेट		
ब्लड प्रेशर उपकरण।	कॉंडोम		
मलेरिया स्लाइड	फोलिक एसिड टेबलेट		
छोटे बच्चों के वजन हेतु मशीन तथा वयस्क हेतु मशीन।	इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स		

ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति

सत्ता के विकेन्द्रीकरण हेतु पंचायती राज अधिनियम के 73 वें संशोधन पश्चात् ग्रामसभा स्तर पर अधिकार एवं जिम्मेदारियां दी गयीं हैं। ग्राम और ग्रामवासियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के रास्ते खोजना एवं निर्णय लेना ग्राम सभा का काम है और करवाना ग्राम पंचायत का काम है। पंचायतीराज अधिनियम के 73 वें संशोधन में ग्राम सभा को सुचारु रूप से कार्य करने स्थायी एवं अस्थायी समितियों को गठित कर ग्राम का विकास करने के प्रावधान हैं। इसी प्रावधान के तहत ग्राम के स्वास्थ्य से जुड़ी हर तरह की समस्या का हल निकालने के लिये सभी ग्रामों में ग्राम सभा द्वारा एक ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति बनायी गयी है। ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग पीएचई विभाग के समन्वय से ग्राम सभा की उपसमिति के रूप में बनाई गयी है। वर्तमान में 49,757 ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति राजस्व ग्रामों में कार्यरत है।

इस समिति में न्यूनतम 12 एवं अधिकतम 20 सदस्य हैं। इनमें 50 प्रतिशत महिला एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्य होना अनिवार्य है। ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति का गठन ग्राम में स्वास्थ्य जागरूकता लाने तथा ग्राम स्वास्थ्य योजना बना कर कार्य करने हेतु किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से प्रत्येक ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति को वार्षिक 10,000

रूपये अनाबद्ध राशि के रूप में दी जाती है। इसके व्यय हेतु निर्णय समिति की बैठक में लिया जाता है। समिति टीकाकरण, गांव में स्वच्छता, आशा को सहयोग तथा अनाबद्ध राशि आदि के उपयोग हेतु मासिक बैठक कर निर्णय लेती हैं।

ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों के क्षमता वर्धन हेतु विश्वास माड्यूल (Village Based Initiative To Synergise Health Water & Sanitation) पर आधारित प्रशिक्षण प्रदेश के समस्त जिलों में दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं की समुदाय आधारित निगरानी

समुदाय आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी कार्यक्रम (कम्यूनिटी एक्शन फॉर हेल्थ), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। एनएचएम के अंतर्गत सामुदायिक आधारित निगरानी घटक का प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि स्वास्थ्य सेवायें जिनके लिये समुदाय-लाभार्थी हैं, वे स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी, गुणवत्ता, एवं सेवा प्रदान करने वाले मैदानी स्तर के कर्मचारियों के कार्य, व्यवहार आदि के बारे में क्या सोचते हैं? मंशा यह भी थी कि समुदाय भी विभाग की सीमाओं एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की परेशानियों को भली प्रकार से समझ सके तथा दोनों के मध्य संतुलन कायम कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त हो सकें। ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों एवं एमजीसीए सदस्यों के माध्यम से सघन रूप से, चिन्हित ग्राम स्तरीय एवं संस्था आधारित प्रदाय स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी की जाती है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत सामुदायिक प्रक्रियाएं

शहरी आशा के चयन मापदंड – शहरी आशा का चयन, संबंधित शहर की चिन्हित मलिन बस्तियों के लिये ही किया जाता है, 07 संभागीय मुख्यालयों (भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा) में शहरी क्षेत्र के समस्त वार्डों में 2500 की आबादी पर 01 आशा के मान से शहरी आशा का प्रावधान रखा गया है।

शहरी आशा के कार्य – गर्भवती महिला को आकस्मिक परिस्थिति में गंभीर खतरे के लक्षण पहचानकर नजदीकी प्रसव केन्द्र, सरकारी अस्पताल ले जाना। गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु को नवजात केयर यूनिट व गंभीर कुपोषित बच्चे को एनआरसी में भर्ती कराना। गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं को टीकाकरण हेतु प्रेरित करना। शहरी आशा को अपने क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों में निवासरत जनसमुदाय तक स्वास्थ्य सुविधाएं और साफ पानी, साफ वातावरण, साफ शौचालय की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना सम्मिलित है।

क्षमता विकास – शहरी आशा के रूप में चयनित कार्यकर्ता को अपने दायित्वों के सम्यक निर्वहन हेतु ग्रामीण आशाओं की ही भांति समस्त प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं। प्रदेश में विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं अन्य 7 बड़े शहरों में 4,535 शहरी आशाओं का चयन किया जा चुका है जिनका क्रमबद्ध रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्य जारी है।

प्रोत्साहन राशि – शहरी आशा को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। शहरी आशा को ग्रामीण आशा की तरह प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

महिला आरोग्य समिति

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के ढाँचे में महिला आरोग्य समिति का गठन किया गया है। महिला आरोग्य समिति प्रत्येक मलिन बस्ती में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु केन्द्रीय सामुदायिक समूह के रूप में कार्य करती है। किसी भी स्थिति में प्रत्येक मलिन बस्ती में अनिवार्यतः एक महिला आरोग्य समिति का गठन होगा, जिसके सदस्य वहाँ के समुदाय से होंगे। प्रत्येक महिला आरोग्य समिति की सदस्य संख्या 11-15 होगी, जो कि मलिन बस्ती की जनसंख्या पर निर्भर होगी। लेकिन किसी भी स्थिति में यह संख्या 09 से कम एवं 21 से ज्यादा नहीं होगी। यदि किसी मलिन बस्ती में विभिन्न सामाजिक समूह निवासरत हैं तो शहरी आरोग्य समिति में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न शहरों में वर्ष 2021-22 की स्वीकृति अनुसार 5,335 के विरुद्ध 3,852 महिला आरोग्य समितियों का गठन किया जा चुका है।

महिला आरोग्य समिति का क्षमता निर्माण –

- प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण एवं पेयजल तथा स्वच्छता के संदर्भ में समिति के सदस्यों की जानकारी को अद्यतन करने, छूटे लाभार्थियों का लेखा-जोखा रखने तथा लाभार्थियों के उचित परामर्श हेतु कौशल निर्माण किया जाना।
- महिला आरोग्य समिति के सदस्यों को लिंक कार्यकर्ता के रूप में लक्षित व्यक्तियों/परिवारों को मलिन बस्ती के मानचित्रण में समुचित अंकन करने में सहायता प्रदान करना।
- सहभागी सामुदायिक स्वास्थ्य योजना के निर्माण में भागीदारी करने हेतु महिला आरोग्य समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करना।
- समिति की बैठकों के दौरान सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर बहस को प्रोत्साहित करना।
- समिति को निकटस्थ स्वास्थ्य सुविधाओं यथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी अस्पताल एवं चयनित निजी अस्पतालों के साथ मिलकर रेफरल एवं डायग्नोस्टिक कार्यों हेतु प्रयास को प्रोत्साहित करना।
- शहरी आशा (सेवा प्रदाता) एवं समुदाय के मध्य सेतु की भांति कार्य करना।
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा महिला आरोग्य समिति के मध्य उचित समन्वय द्वारा मांग एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति में संतुलन बनाए रखना।

॥ गांव-गांव में आशा आई, अच्छे स्वास्थ्य की अलख जगाई ॥

एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट योजना

प्रदेश में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली अंतर्गत संजीवनी 108 सेवा (108-आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, जननी एक्सप्रेस सेवा, एवं हेल्थ हेल्प लाईन सेवा) का संचालन C-21 मॉल, भोपाल स्थित केन्द्रीयकृत 108-कॉल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है।

वर्तमान में 108 सेवाप्रदाता M/s. JAES Projects (I) Pvt. Ltd. द्वारा उक्त सेवाओं का संचालन एवं नियंत्रण केन्द्रीय एकीकृत कॉल सेंटर 1 मई 2022 से किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार सेवाओं के संचालन हेतु प्रकाशित आर.एफ.पी एवं निष्पादित अनुबंध की शर्त अनुसार पूर्व में संचालित 606 संजीवनी 108-एम्बुलेंस वाहन एवं 850 जननी एम्बुलेंस वाहनों की संख्या में वृद्धि करते हुये नवीन सेवाप्रदाता संस्था द्वारा वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में कुल 1002 संजीवनी 108-एम्बुलेंस वाहन तथा 1,050 जननी एम्बुलेंस वाहनों का संचालन किया जा रहा है। मरीजों को उपचार हेतु नजदीकी चिकित्सालय में पहुँचाने हेतु एम्बुलेंस वाहनों का औसतन रिस्पॉस टाईम ग्रामीण क्षेत्रों में 00:25:00 मिनट एवं शहरी क्षेत्रों में 00:18:00 मिनट का प्रावधान किया गया है, और अधिकाधिक हितग्राहियों को परिवहन सुविधा प्रदाय की जा रही है। एम्बुलेंस वाहनों के मॉनीटरिंग तथा ट्रेकिंग हेतु उच्च तकनीकी के रूप में Location Based System (LBS), Mobile Data Terminal (MDT), Advance intimation system ,oa Web/application-based system को भी शामिल किया गया है।

योजना के कम्पोनेंट

- (i) संजीवनी 108-एम्बुलेंस सेवा
- (ii) जननी एक्सप्रेस सेवा
- (iii) 104-हेल्थ हेल्पलाईन सेवा

संजीवनी 108—एम्बुलेंस सेवा



वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में 1,002 संजीवनी 108—एम्बुलेंस सेवा का संचालन C-21 मॉल, भोपाल स्थित केन्द्रीयकृत 108—कॉल सेंटर के माध्यम किया जा रहा है। इस सेवा के अन्तर्गत 835 वाहन बेसिक लाइफ सपोर्ट स्तर के तथा 167 वाहन एडवांस लाइफ सपोर्ट स्तर के उपलब्ध हैं। 108—एम्बुलेंस वाहनों द्वारा किसी भी आपातकालीन स्थिति में पीड़ितों को त्वरित चिकित्सकीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 108—एम्बुलेंस सेवा के बी.एल.एस. एवं ए.एल.एस. स्तर के वाहनो में एवं पायलट (ड्राइवर) के साथ-साथ एक प्रशिक्षित इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ई.एम.टी.) तथा जीवन रक्षक उपकरण भी उपलब्ध होते हैं। ए.एल.एस. स्तर के वाहनो में जीवनरक्षा हेतु अत्यावश्यक उपकरण तथा वेन्टीलेटर, डी-फिब्रीलेटर भी उपलब्ध हैं। गंभीर परिस्थितियों में पीड़ित के अस्पताल परिवहन के दौरान एम्बुलेंस वाहन में पदस्थ ई.एम.टी. द्वारा 108 कॉल सेंटर में उपलब्ध चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर जीवन रक्षक उपकरणों एवं दवाइयों के माध्यम से पीड़ित को प्राथमिक उपचार प्रदाय किया जाता है। उक्त वाहन राज्य स्तरीय केन्द्रीयकृत 108—कॉल सेंटर के माध्यम से संचालित किये जाते हैं। जिसका एक टोल-फ्री नम्बर '108' है। इस सेवा के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में 00:18 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 00:25 मिनट में वाहन के पहुँचने का प्रावधान रखा गया है। 108 सेवाप्रदाता संस्था जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा संचालित उक्त सभी वाहनो में जीपीएस आधारित एम्बुलेंस ट्रैकिंग प्रणाली की व्यवस्था है। इस वर्ष अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक कुल 5,56,247 तथा योजना प्रारम्भ से दिसम्बर 2022 तक 80,32,854 मरीजों को 108—एम्बुलेंस सेवा द्वारा लाभान्वित किया गया।

॥ सरकारी अस्पताल में प्रसव करवायें,
संजीवनी 108 एक्सप्रेस सेवा का लाभ उठायें ॥

जननी एक्सप्रेस सेवा

गर्भवती महिलाओं तथा बीमार बच्चों के परिवहन हेतु जननी एक्सप्रेस योजना को प्रदेश में वर्ष 2006 से प्रारम्भ किया गया है। पूर्व में इन वाहनों का नियंत्रण प्रत्येक जिले में स्थापित पृथक-पृथक कॉल सेन्टर से किया जाता था, परंतु वर्तमान में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली अंतर्गत जननी एक्सप्रेस सेवा का संचालन राज्य स्तरीय केन्द्रीयकृत 108-कॉल सेंटर के माध्यम से 108 सेवाप्रदाता संस्था द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में कुल 1,050 जननी एक्सप्रेस वाहन संचालित है। इस सेवा के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं तथा 01 वर्ष तक के बीमार बच्चों को निःशुल्क परिवहन सुविधा (घर से अस्पताल एवं अस्पताल से घर) प्रदाय की जाती है।

जननी एक्सप्रेस योजना के अन्तर्गत अप्रैल-22 से दिसम्बर-2022 तक कुल 4,51,259 गर्भवती महिलाओं तथा 38,856 बीमार शिशुओं एवं 4,440 अन्य मरीजों को घर से चिकित्सालय (पिकअप सुविधा) तक पहुंचाया गया।

इसी प्रकार अप्रैल-22 से दिसम्बर-2022 तक कुल 4,34,118 महिलाओं को प्रसव उपरान्त तथा 32,484 बीमार शिशुओं एवं 4,179 अन्य मरीजों को अस्पताल से घर (ड्रॉप बैक सुविधा) तक पहुंचाया गया, तथा अप्रैल-22 से दिसम्बर-2022 तक कुल 85,855 हितग्राहियों को एक अस्पताल से दूसरे उच्च संस्थान (रेफरल सुविधा) तक पहुंचाया गया।



॥ यदि अस्पताल हो दूर, तो जननी एक्सप्रेस को रखें याद जरूर ॥

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

पूर्व से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उपरान्त बढ़ते हुए शहरीकरण के दृष्टिगत शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों मुख्यतः मलिन बस्तियों में जीवन यापन कर रहे गरीबों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2013 से संचालित किया गया है जिसके अंतर्गत शहरी गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन प्रदेश के 47 जिलों एवं 19 उप जिलों में किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रति 50 हजार की जनसंख्या पर प्रदेश में कुल 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं एवं 15 वे वित्त आयोग के तहत जन-समुदाय को स्वास्थ्य सेवायें सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औसतन 20 से 25 हजार की आबादी के मान से कुल 783 मुख्य मंत्री संजीवनी क्लीनिक/संजीवनी पॉलीक्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) का क्रियान्वयन किया गया जा रहा है जिसमें 172 पूर्व से क्रियाशील संजीवनी क्लीनिक एवं सिविल डिन्सपेन्सरी सम्मिलित है जिसके परिणाम स्वरूप गरीब मलिन बस्ती/क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं घर के समीप सुगमता से उपलब्ध हो रही हैं। इसके साथ ही शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा सामुदायिक स्तर पर भी शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के माध्यम से टीकाकरण, स्क्रीनिंग एवं काउन्सलिंग सेवायें शहरी आशा एवं ए.एन.एम के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु जनसंख्या मापदण्ड :

- प्रति 20-25 हजार की शहरी जनसंख्या पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक, संजीवनी क्लीनिक संजीवनी पॉलीक्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी)।
- प्रति 50 हजार की शहरी जनसंख्या पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (यू.पी.एच.सी.)।
- प्रति 2.50 लाख की शहरी जनसंख्या पर एक शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (यू.सी.एच.सी.)।
- वर्तमान में कार्यक्रम के तहत 924 शहरी स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृत हैं जिसमें 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाएं, 04 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थायें एवं 783 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक , संजीवनी क्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) शामिल हैं।
- वर्तमान में 924 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में से 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाएं, 04 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थायें एवं 173 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक/संजीवनी क्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) क्रियाशील है तथा शेष 611 अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी को क्रियाशील किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
- प्रत्येक मलिन बस्ती के लिए शहरी आशा ।
- प्रत्येक मलिन बस्ती क्षेत्र में एक महिला आरोग्य समिति (MAS)।
- प्रत्येक संस्था पर ओ.पी.डी. के साथ निःशुल्क जाँच एवं दवाओं की उपलब्धता।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा निम्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवायें निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं—

- 12 प्रकार की हेल्थ एवं वेलनेस स्वास्थ्य सेवाएँ।
- हब एण्ड स्पॉक मॉडल के तहत 34 प्रकार की जॉच सेवाएँ एवं 11 प्रकार की लैब जॉच रैपिड कार्ड द्वारा संस्था पर काउंसिलिंग सेवाएँ।
- रेफरल सेवाएँ।
- शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएँ।
- महिला आरोग्य समिति के माध्यम से समुदाय में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जागरूकता, रोजगार एवं आत्मनिर्भर आदि के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ मूल-भूत सुविधाएँ जैसे- स्वच्छ पेय जल, बिजली, जल निकासी, शौचालय, स्वच्छता आदि की उपलब्धता स्थानीय अधिकारियों के समन्वय से।

विभाग द्वारा शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किये जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप संक्षिप्त उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं—

01 अप्रैल 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक की उपलब्धियाँ

क्र.	सुविधायें	उपलब्धियाँ
1	शहरी स्वास्थ्य संस्थायें	वर्तमान में 924 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में से 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाएँ, 04 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य एवं 173 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक संजीवनी क्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) क्रियाशील हैं तथा शेष 611 अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी को क्रियाशील किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
2	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर का उन्नयन	924 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में से वर्तमान में 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 150 अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स के रूप में उन्नयन किया जा चुका है। शेष संस्थाओं को एच.डब्ल्यू.सी में उन्नयन करने की कार्यवाही प्रचलन में है।
3	ओ.पी.डी. सेवायें	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) माध्यम से कुल 33,81,828 हितग्राहियों को ओ.पी.डी. सेवायें, 5,04,982 लैब टेस्ट, 1,79,043 हाइपरटेंशन एवं 1,25,089 डायबिटीज को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं।
4	मेरा अस्पताल	मेरा अस्पताल के अंतर्गत 128 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं को मेरा अस्पताल शिकायत निवारण कार्यक्रम से जोड़ा गया है।

5	क्वालिटी इनिशिएटिव एवं एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेशन	शहरी क्षेत्र में स्थित समस्त अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कायाकल्प एवं एन.क्यू.ए.एस. क्वालिटी इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है। तथा संस्थाओं को कायाकल्प एवं एन.क्यू.ए.एस.के अनुरूप विकसित किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप भोपाल जिले की 04 अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी (सिविल डिस्पेंसरी गोविंदपुरा, पिपलानी, अहमदाबाद एवं संजीवनी क्लीनिक रोशनपुरा) को भारत सरकार द्वारा एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफाइड किया गया है। प्रदेश के अन्य शहरों की लगभग-05 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं का स्टेट एन.क्यू.ए.एस. असेसमेंट किया गया है।
6	कायाकल्प अभियान	कायाकल्प अभियान वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 102 संस्थाओं द्वारा 70 या 70 से अधिक प्रतिशत अंक पियर असेसमेंट में स्कोर प्राप्त किये।
7	स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार	भारत सरकार द्वारा 15 वे वित्तीय आयोग के तहत नवीन 611 स्वास्थ्य संस्थाएँ खोले जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किये जा रहे प्रयासों के स्वरूप शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ है इसके साथ ही जन सामुदाय में भी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है।



॥ पानी जीवन तो है लेकिन साफ न हो तो बीमारी भी देता है पीने के लिये स्वच्छ पानी का उपयोग करें ॥

क्वालिटी एश्योरेन्स

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जहां रोगियों को समस्त स्वास्थ्य सेवाएं सुलभता से उपलब्ध कराने के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग रोगियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी के लिए भी प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत क्वालिटी एश्योरेन्स सेल का गठन किया गया है। क्वालिटी एश्योरेन्स सेल ना केवल स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयासरत है वही भारत सरकार द्वारा अधिकथित नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स मापदंड अनुरूप स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन करने के लिए भी क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त क्वालिटी एश्योरेन्स सेल द्वारा निम्न गतिविधियां क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन किया जा रहा है :-

- **क्वालिटी एश्योरेन्स समिति का गठन :-** भारत शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर क्वालिटी एश्योरेन्स समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्वालिटी एश्योरेन्स के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों की जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर समीक्षा करना है।
- **नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स स्टैंडर्ड अनुरूप संस्थाओं का उन्नयन :-** शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ाने एवं संस्थाओं के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स स्टैंडर्ड विकसित किये गये, जिसके अनुसार संस्थाओं का 8 आयामों—सेवा प्रदायगी, स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, पेशेन्ट राईट्स, इनपुट, संक्रमण नियंत्रण, सपोर्ट सर्विसेज, क्वालिटी मैनेजमेन्ट तथा आउट कम अनुसार विकसित करना जिससे कि रोगियों को गुणवत्ता—पूर्ण सेवा दी जा सके।
- **प्रशिक्षण एवं कौशल विकास :-** गुणवत्ता सेवा प्रदायगी के लिए संस्था कर्मचारी का सतत प्रशिक्षण जिसके तहत कर्मचारियों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स स्टैंडर्ड, अपशिष्ट प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण, पेशेन्ट सेफ्टी, आंतरिक मूल्यांकन तकनीक, सेवा सूचकांकों का सुधार आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया जाता है।
- **गुणवत्ता सेवा प्रदायगी हेतु गाईडलाईन/प्रोटोकॉल का निर्माण :-** राज्य क्वालिटी एश्योरेन्स शाखा द्वारा सेवा सुधार हेतु विभिन्न गाईडलाईन/प्रोटोकॉल जैसे आपरेशन थियेटर, लेबर रूम, जैव अपशिष्ट प्रबंधन आदि विकसित कर स्वास्थ्य संस्थाओं में लागू की गयी है।
- **स्वास्थ्य संस्थाओं का पर्यवेक्षण :-** सपोर्टिव सुपर विजन विजिट के माध्यम से संस्थाओं का सतत निरीक्षण जिससे कि स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी सुनिश्चित की जा सके।
- मध्यप्रदेश राष्ट्र में द्वितीय राज्य है, जिसके द्वारा स्वयं का ए.एम.आर. एक्शन प्लान विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाया गया है वर्तमान में लगभग 1000 शासकीय एवं 600 प्राइवेट चिकित्सालयों को एन्टीबायोटिक रेजिस्टेन्स को कम करने के लिये IMA/IAP के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- राज्य द्वारा स्वास्थ्य संस्थाओं में एन्टीबायोटिक रेजिस्टेन्स को रोकने के लिये राज्य द्वारा एन्टीबायोटिक पॉलिसी का निर्माण किया गया है तथा निरंतर राज्य के सभी चिकित्सालयों को प्रशिक्षित किया गया है। राज्य द्वारा MP-AMR पॉलिसी का निर्माण किया गया है, इस एक्शन प्लान को लागू करने से एन्टीमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स जो कि एक ग्लोबल समस्या है को कम किया जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थाओं में दिनांक 18 से 24 नवम्बर 2022 तक वर्ल्ड एन्टीबायोटिक अवियरनेस सप्ताह का आयोजन किया गया।
- 43 जिला चिकित्सालय, 15 सिविल अस्पताल तथा 28 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के एक्स-रे रूम को रेडियो विकिरण सुरक्षा मापदण्ड (ए.ई.आर.बी.) अनुरूप विकसित कर ए.ई.आर.बी. ऑथराइजेशन प्राप्त किया गया है।
- राज्य की प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था में दिनांक 12 से 17 सितम्बर 2022 तक रोगी सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य संस्था में रोगी सुरक्षा मापदण्ड अनुरूप सभी कर्मचारियों को पेशेंट सेफ्टी एवं मेडीकेशन सेफ्टी के बारे में जागरूक किया गया।
- स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प मापदण्ड अनुरूप ईको फ्रेंडली हॉस्पिटल (Eco Friendly Hospital) के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ निरंतर एनर्जी ऑडिट करवाकर प्राकृतिक एनर्जी का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

एन.क्यू.ए.एस. प्रमाणीकरण

- प्रदेश की निम्नानुसार स्वास्थ्य संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय मानक एन.क्यू.ए.एस. प्रमाणीकरण प्राप्त हो चुका है :-

एन.क्यू.ए.एस. प्रमाणीकरण	DH	CH	PHC	UPHC
	10	2	8	5

एन.क्यू.ए.एस राष्ट्रीय प्रमाणित मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य संस्थायें



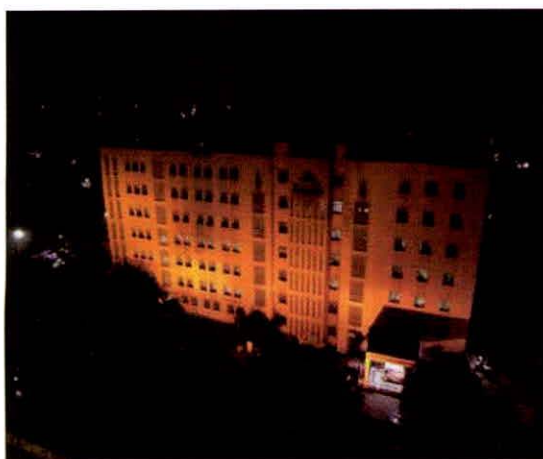
कायाकल्प अभियान

कायाकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थाओं में मानक अनुसार उच्च स्तर की साफ-सफाई, संक्रमण नियंत्रण एवं जैव अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कर संस्थाओं में संक्रमण नियंत्रण करना एवं साफ स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है। प्रदेश में कायाकल्प अभियान वर्ष 2015-16 में केवल जिला अस्पताल स्तर पर लागू किया गया। कायाकल्प अभियान अंतर्गत मानक अनुसार 70% या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। कायाकल्प अभियान अंतर्गत वर्षवार संस्थाओं द्वारा प्रदर्शन निम्न तालिकानुसार है

YEAR	DH	CH	CHC	PHC	UPHC
2015-16	9	0	0	0	0
2016-17	10	1	3	51	0
2017-18	13	1	9	40	0
2018-19	29	5	25	34	3
2019-20	31	9	54	162	13
2020-21	35	13	71	73	28
2021-22	40	16	72	128	78

कायाकल्प अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं ने जहां सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने के प्रयास किये गये, वहीं जनसामान्य को इस अभियान से जोड़ते हुए जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त कायाकल्प अभियान के फलस्वरूप संस्था परिसर, सेवा प्रदायगी, संक्रमण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, कार्यस्थल प्रबंधन आदि पहलू सुदृढ़ हुए हैं। जिससे ना केवल कर्मचारियों में बल्कि जनसामान्य में भी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है।

कायाकल्प अभियान की उपलब्धि स्वरूप जहां एक ओर संस्था में आने वाले मरीजों/हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि हुई है वहीं मरीजों/हितग्राहियों द्वारा ली गई स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति संतुष्टि स्तर में भी सुधार हुआ है।



औषधि

प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालयों को संपूर्ण कायाकल्प अभियान के अंतर्गत गद्दे, कंबल, कंबल कवर, चादर, तकिया, तकिया कवर का क्रय कर उपलब्ध कराए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में गद्दे 8,863, तकिये 18200, चादर 121,632 कंबल 11997, कंबल कवर 11,436 तकिया कवर 7,851 की संख्या में क्रय कर शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को वितरित किया गया है।

प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं की आवश्यक दवा सूची को पुनरीक्षित किया जाकर इनकी संख्या 530 की गई है जिसमें 42 औषधि कैंसर के उपचार की भी सम्मिलित हैं।

॥ एक कदम स्वच्छता की ओर ॥

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं में होने वाली 11 जानलेवा बीमारियों—पोलियो, टी.बी., हेपेटाइटिस—बी, कालीखांसी, गलघोंटू, टिट्नेस, दस्त रोग, निमोनिया, खसरा, रूबेला एवं हिब से न्यूनतम 90 प्रतिशत पूर्ण टीकाकरण उपलब्धि प्राप्त कर, शिशु एवं बाल्य मृत्यु दर में आशातीत कमी लाना है। प्रदेश में निम्न राष्ट्रीय टीकाकरण नवीन तालिका अनुसार हितग्राहियों का टीकाकरण किया जाता है।

शिशुओं के लिए

उम्र/अवस्था	टीका	खुराक	मात्रा	माध्यम	स्थान
जन्म के तुरन्त बाद (24 घण्टे के भीतर)	हेपेटाइटिस— बी	जन्म के समय की खुराक	0.5 मि.ली.	IM	बायीं मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में
जन्म के तुरन्त बाद (15 दिन के भीतर)	पोलियो	'O' खुराक	2 बूंद	Oral	मुंह
जन्म के तुरन्त बाद (1 वर्ष की उम्र तक)	बी.सी.जी.	जन्म के समय की खुराक	0.05 मि.ली. (यदि एक माह बाद दिया जा रहा है तो 0.1 मि.ली. दें)	ID	बायीं 'बांह' का ऊपरी भाग
6 सप्ताह पर (डेढ़ माह पर)	पोलियो, रोटा वायरस, f-IPV, पी.सी.वी., पेन्टावेलन्ट,	पहली खुराक पहली खुराक पहली खुराक पहली खुराक पहली खुराक	2 बूंद 5 बूंद 0.1 मि.ली. 0.5 मि.ली. 0.5 मि.ली.	Oral Oral ID IM IM	मुंह, मुंह, दाहिनी 'बांह' का ऊपरी भाग, दाहिनी मध्य 'जांघ' के आगे, व बाहरी हिस्से में बायीं मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में
10 सप्ताह पर (पहली खुराक के 4 सप्ताह के अंतराल पर ढाई माह पर)	पोलियो, रोटा वायरस, पेन्टावेलन्ट,	दूसरी खुराक दूसरी खुराक दूसरी खुराक	2 बूंद 5 बूंद 0.5 मि.ली	Oral Oral IM	मुंह मुंह बायीं मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में
14 सप्ताह पर (दूसरी खुराक के 4 सप्ताह के अन्तराल पर साढ़े तीन माह पर)	पोलियो, रोटा वायरस, f-ipv, पी.सी.वी., पेन्टावेलन्ट	तीसरी खुराक तीसरी खुराक दूसरी खुराक दूसरी खुराक तीसरी खुराक	2 बूंद 5 बूंद 0.1 मि.ली. 0.5 मि.ली. 0.5 मि.ली.	Oral Oral ID IM IM	मुंह मुंह दाहिनी 'बांह' का ऊपरी भाग दाहिनी मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में बायीं मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में
9 माह पर	विटामिन—ए, f-IPV* MR, पी.सी.वी.,	पहली खुराक तीसरी खुराक पहली खुराक बूस्टर	0.1 मि.ली. 0.1 मि.ली. 0.5 मि.ली. 0.5 मि.ली.	Oral ID SC IM	मुंह बायें बाजू के ऊपरी हिस्से में दाहिनी 'बांह' का ऊपरी भाग दाहिनी मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में

उम्र / अवस्था	टीका	खुराक	मात्रा	माध्यम	स्थान
16 से 24 माह	विटामिन-ए, पोलियो, MR, डी.पी.टी.,	दूसरी खुराक बूस्टर खुराक दूसरी खुराक पहला बूस्टर	2.0 मि.ली. 2 बूंद 0.5 मि.ली. 0.5 मि.ली.	Oral Oral SC IM	मुंह मुंह दाहिनी 'बांह' का ऊपरी भाग बांयी मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में
5-6 वर्ष पर	डी.पी.टी.	दूसरा बूस्टर	0.5 मि.ली.	IM	दाहिने बांह पर (Deltoid)
10 वर्ष पर	टी.डी. (Td)	पहली खुराक	0.5 मि.ली.	IM	दाहिने बांह पर (Deltoid)
16 वर्ष पर	टी.डी. (Td)	दूसरी खुराक	0.5 मि.ली.	IM	दाहिने बांह पर (Deltoid)

* दिनांक 01.01.2023 से 9-12 माह की आयु के समस्त बच्चों को एम.आर. टीके की प्रथम डोज के साथ-साथ f-IPV का अतिरिक्त डोज, बायें बाजू के ऊपरी हिस्से में Intradermal (ID) दिया जाये।

गर्भवती महिलाओं के लिए

टीका	खुराक	मात्रा	माध्यम	स्थान
टी.डी. (Td1)	गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में	0.5 मि.ली.	मांसपेशी में	ऊपरी बांह पर
टी.डी. (Td2)	टी.डी. 1 के 4 सप्ताह बाद	0.5 मि.ली.	मांसपेशी में	ऊपरी बांह पर
टी.डी. बूस्टर	यदि गर्भ पिछले टीकाकरण के 3 वर्ष के भीतर ठहर गया हो	0.5 मि.ली.	मांसपेशी में	ऊपरी बांह पर

नोट:- अधिक जानकारी के लिये आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा ए.एन.एम. से संपर्क करें।

टीकाकरण कार्यक्रम का वार्षिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

टीके	0-1 वर्ष के लक्षित शिशु		अनुपातिक उपलब्धि	अनुपातिक उपलब्धि का प्रतिशत
	वार्षिक लक्ष्य	अनुपातिक लक्ष्य		
B.C.G.	19,93,569	14,95,196	10,10,039	68%
Pentavalent (III Dose)	19,93,569	14,95,196	12,62,224	84%
Polio (III Dose)	19,93,569	14,95,196	12,63,690	85%
MR (I Dose)	19,93,569	14,95,196	13,75,126	92%
Full Immunization	19,93,569	14,95,196	12,70,530	93%

संदर्भ : HMIS हेल्थ बुलेटिन, माह अप्रैल-दिसंबर 2022-23।

प्रदेश में “दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार” उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान दिनांक 27 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया। जिसके अन्तर्गत 1.11 करोड़ (99.4%) 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की खुराक से आच्छादित किया गया इसके साथ भारत शासन द्वारा प्रदेश के चयनित 16 जिलों में 18 से 20 सितंबर 2023 तक पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण आयोजित किया जायेगा। जिसमें 37.55 लाख (98.8%) 0 से 5 वर्ष बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जायेगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत शासन नई दिल्ली द्वारा टीकाकरण सूचकांकों के आधार पर प्रदेश के कम उपलब्धि प्राप्त 10 जिलों में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के तीन चरणों का आयोजन माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2022 में किया गया। जिनमें 18 हजार से अधिक सत्र आयोजित कर, 71 हजार 0 से 2 साल के बच्चों एवं 21.3 हजार गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।

1562 रिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने हेतु माह अप्रैल, मई एवं जून 2022 में विशेष टीकाकरण केच अप चरणों का आयोजन किया गया। जिनमें 22 हजार से अधिक सत्र आयोजित कर 85.5 हजार 0 से 2 साल के बच्चों एवं 30.06 हजार गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।

माह अप्रैल से नवंबर 2022-23 तक, एच.एम.आई.एस. रिपोर्ट अनुसार प्रदेश की पूर्ण टीकाकरण अनुपातिक उपलब्धि 93 प्रतिशत है।

प्रदेश में 5 वर्ष, 10 वर्ष एवं 16 वर्ष उम्र के बच्चों को अडल्ट डिप्थीरिया एवं टिटेनस से बचाव हेतु दिनांक 16 अगस्त से 12 सितंबर 2022 तक डी.पी.टी.टी.डी. टीकाकरण अभियान आयोजित किया गया। जिसके अन्तर्गत उपरोक्त आयुवर्ग के लक्षित लगभग 55 लाख बालक बालिकाओं के विरुद्ध 35.67 लाख बालक बालिकाओं को टीकाकृत किया गया।

प्रदेश में दिनांक 23 दिसंबर 2022 तक 12 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 6.27 करोड़ नागरिकों के विरुद्ध प्रथम डोज 6.07 करोड़ (97%) एवं द्वितीय डोज 5.92 करोड़ (94%) लगाये जा चुके हैं। भारत शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 वैक्सीन के द्वितीय डोज उपरांत प्रीकॉशन डोज, 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के नागरिकों को दिया जा रहा है। दिनांक 22 दिसंबर 2022 तक कुल पात्र 5.34 करोड़ नागरिकों के विरुद्ध 1.36 करोड़ (25%) प्रीकॉशन डोज लगाये जा चुके हैं।

टीकाकरण आगामी कार्ययोजना

- **मीजल्स-रूबेला निर्मूलन दिसंबर 2023 :-** भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2023 तक मीजल्स-रूबेला निर्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में मीजल्स-रूबेला टीके से छूटे हुये 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों टीकाकृत कर, 95 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करना है।

- **जे.ई. वैक्सीनेशन अभियान :-** भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सर्वेलेन्स डाटा के आधार पर जे.ई. (Japanese Encephalitis) टीकाकरण अभियान के लिये प्रदेश के चार जिलों (इंदौर, भोपाल, विदिशा तथा रायसेन) का चयन किया है। उक्त जिलों 15 दिवसीय जे.ई. अभियान माह अप्रैल-मई 2023 में आयोजित कर, 1 से 15 वर्ष के बच्चों का जे.ई. टीकाकरण किया जायेगा।
- **एच.पी.व्ही. वैक्सीनेशन अभियान :-** भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा महिलाओं में होने वाले घातक सर्वाइकल कैंसर रोग को दृष्टिगत रखते हुये एवं Human Pappiloma Virus [HPV] से बचाव हेतु प्रदेश की 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिये एच.पी.व्ही. वैक्सीनेशन का शुभारम्भ किया जायेगा।

**मीजल्स उन्मूलन तथा रूबेला नियंत्रण 2023 तक कराना है,
हर बच्चे को मीजल्स-रूबेला के दो बार टीके लगवाना है।
बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करायें, आजन्म सुरक्षा पायें।**

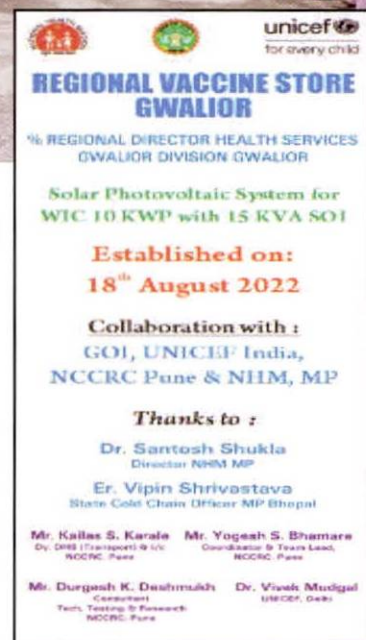
शीत-श्रृंखला

टीकाकरण कार्यक्रम के उपयोग में आने वाले शिशु रक्षक समस्त टीकों का संधारण एक निश्चित तापमान पर किया जाना अति आवश्यक है, जिससे टीकों की क्षमता एवं गुणवत्ता बनी रहे। प्रदेश में इस हेतु संभाग, जिलों, विकासखण्ड तथा सेक्टर पीएचसी स्तर पर पर्याप्त शीत श्रृंखला उपकरण उपलब्ध हैं।

समस्त शीत श्रृंखला उपकरणों के समुचित रख-रखाव हेतु संबंधित कोल्ड चैन हेन्डलर्स एवं कोल्ड चैन टेक्निशियन को समय-समय पर प्रशिक्षण तथा उनके कार्य का नियमित पर्यवेक्षण भी किया जाता है। प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में वैक्सीन व्यवस्था बनाये रखने के लिये सोलर रेफ्रिजरेटर स्थापित किये गये हैं। भारत शासन अध्ययन के सूचकांकों के आधार पर तैयार राष्ट्रीय रिपोर्ट में प्रदेश की शीत-श्रृंखला व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ आंकलित किया।

शीत श्रृंखला के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित 1279 कोल्ड चैन फोकल पाइंट में उपलब्ध उपकरण की जनकारी (25 जनवरी 2023 तक की स्थिति)		
स.क्र.	उपकरण	एन.सी.सी.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर पर आधारित संख्या
01	डब्ल्यू.आई.एफ.	09
02	डब्ल्यू.आई.सी.	15
03	डीप फ्रिजर	2417
04	आई.एल.आर..	2687
05	सोलर रेफ्रिजरेटर	16
06	कोल्ड बाक्स	6088
07	वेक्सीन कैरियर	91805
08	आईस पैक्स	560000
09	वोल्टेज स्टेबलाइजर	4029

भारत शासन द्वारा वर्तमान में प्रदेश को 30 नग सोलर कोल्ड चैन उपकरणों का आवंटन प्राप्त हुआ है, उपकरण प्राप्त होते ही प्रदेश के छः क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें के 16 जिले के 30 स्वास्थ्य संस्था में स्थापित किये जा सकेंगे। जिनका उपयोग राष्ट्रीय रूटीन टीकाकरण एवं समय-समय पर अन्य टीकाकरण अभियान में किया जा जाएगा। साथ ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार और युनिसेफ के सहयोग से क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर में राज्य स्तरीय वैक्सीन भण्डार में स्थापित वाकिंग कोल्ड रूम एवं वाकिंग फ्रिजर (WIC & WIF) के लिये सोलर पैनल लगाई है। जिससे बिजली की खपत कम हो गई है।



ग्वालियर में ग्रीन एनर्जी के अर्न्तगत सोलर पैनल स्थापित की गई

प्रदेश के समस्त कोल्ड चैन फोकल पाइंट को बेस लाईन डाटा वेब साईट (एन.सी.सी.एम.आई.एस.) पर अंकित किये जाने का प्रशिक्षण संपूर्ण जिला एवं संभाग स्तरीय कोल्ड चैन टेक्निशियन एवं वैक्सीन स्टोर कीपर, वैक्सीन कोल्ड चैन मैनेजर, टीकाकरण डाटा मैनेजर को राज्य स्तर से दिया जा चुका है।

प्रदेश की कोल्ड चैन प्रणाली को अधिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य टीकाकरण एवं उप संचालक, कोल्ड चैन के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में कोल्ड चैन उपकरणों एवं वैक्सीन वैन को समय-समय पर प्रिवेन्टिवनेंस मेंटनेंस कार्य का निरीक्षण किया जाता है। जिसके फलस्वरूप प्रदेश का सिकनेस दर निर्धारित से कम ही बना रहता है।

वर्तमान में प्रदेश के कोल्ड चैन उपकरणों के रख-रखाव मरम्मत का कार्य आउट सोर्स एजेन्सी मेसर्स ए.ओ.व्ही इन्टरनेशनल कम्पनी को दिया है। कम्पनी के द्वारा किये जा रहे समस्त कोल्ड चैन उपकरण के कार्य का सुपरविजन राज्य, संभाग, जिला स्तर पर कार्यरत टीकाकरण प्रकोष्ठ की टीम के माध्यम से किया जा रहा है।

भारत सरकार की पार्लियामेंट समिति की रिपोर्ट माह अक्टूबर 2022 में भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के अर्न्तगत भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट में राज्यों से आग्रह किया है कि जिस तरह मध्य प्रदेश राज्य द्वारा वैक्सीन सप्लाई का प्रबंधन किया है उसी तरह अन्य राज्य भी अमल करे।

वैक्सीन की सतत मॉनीटरिंग के लिए ई-विन सॉफ्टवेयर में वैक्सीन की समस्त जानकारी ऑनलाईन की जाती है, जिसका प्रशिक्षण प्रदेश के 1271 वैक्सीन कोल्ड चैन हैंडलर्स एवं 51 संभागीय एवं जिला स्तरीय वैक्सीन स्टोर कीपर, वैक्सीन कोल्ड चैन मैनेजर तथा कोल्ड चैन टेक्निशियन को दिया जा चुका है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक की उपलब्धता/एक्सपायरी तथा आर्डर मैनेजमेंट से समस्त कोल्ड चैन पाइंट पर उपलब्ध सभी वैक्सीन की बैच नं. की जानकारी एवं कोल्ड चैन उपकरणों का तापमान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिसकी मॉनीटरिंग राज्य टीकाकरण सेल द्वारा सतत् की जा रही है।

वर्तमान में प्रदेश में कुल 55 कोल्ड चैन टेक्निशियन कार्यरत एवं सात जिले अशोकनगर, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, बैतूल, बड़वानी में पद रिक्त है। प्रदेश के समस्त कोल्ड चैन टेक्निशियन को कोल्ड चैन स्पेयर पार्ट्स के संबंध में प्रशिक्षण राज्य स्तरीय प्रशिक्षण राज्य कोल्ड चैन अधिकारी के मार्गदर्शन में दिया जा चुका है।

मध्य प्रदेश में जी.आई.एस. पद्धति का प्रयोग कर प्रदेश में नये कोल्ड चैन फोकल पाइंट बनाये जा रहे हैं। जिससे प्रदेश के कोल्ड चैन फोकल पाइंट से टीकाकरण स्थल तक वैक्सीन एक निश्चित तापमान में मात्र एक घंटे के अन्दर टीकाकरण स्थल पर वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। जिसके अर्न्तगत 10 नये कोल्ड चैन फोकल पाइंट के लिये नई बिल्डिंग एवं पूर्व से संचालित कोल्ड चैन फोकल पाइंट 105 में आवश्यक मरम्मत कार्य तथा 125 को नये कक्ष की आवश्यकता है जिसके लिये बजट राशि स्वीकृति की जा कर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

साथ ही टीकाकरण के अर्न्तगत कार्यरत राज्य स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अर्न्तगत अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते हैं। जिसके फलस्वरूप उपलब्धियाँ प्राप्त की जा रही हैं।

उपरोक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन की पद्धति के मध्य नजर रखते हुए प्रदेश के इंजीनियर, उप संचालक, कोल्ड चैन को भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी बाडी ऑन कोल्ड चैन लॉजिस्टिक समिति में गत वर्ष से निरन्तर तकनीकी सदस्य के रूप में मनोनीत है।

प्रदेश को कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अर्न्तगत की उपलब्धि निम्नानुसार है :-

COVID - 19 Vaccination Summary, Madhya Pradesh

Particulars	Quantity (In doses)
Total Covishield Received	97,251,050 (From 13th Jan to till date)
Total Covaxin Received	23,581,840 (From 23rd Jan, 2021 to till date)
Total CorBEvax Received	71,12,300 (From 27th Feb, 2022 to till date)
Data Source : Evin portal and State RI Cell as on 23.01.2023	

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

प्रदेश के सभी 52 जिलों में राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन जिला मलेरिया कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मलेरिया नियंत्रण कार्य को विभाग हेतु निर्धारित प्राथमिकता में लिया है। मलेरिया के नियंत्रण हेतु बुखार सर्वेलेन्स कार्य, कीटनाशक दवा छिड़काव कार्य, हाईरिस्क उप.स्वा.केन्द्र में मलेरिया सर्वेलेन्स कैंप, सी.एच.व्ही के माध्यम से हाईरिस्क क्षेत्रों में संक्रमण काल के दौरान नियमित सर्वेलेन्स, आरोग्य केन्द्र की स्थापना एवं जैविक मच्छर नियंत्रण गतिविधि लार्वाभक्षी मछली का जलस्रोतों में संचय करने के कार्य को प्राथमिकता दी गई है। ये कार्य निम्नानुसार हैं :-

सर्वेलेन्स कार्य

बुखार के रोगियों के रक्त की जांच हेतु रक्तपट्टी बनाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। वर्ष 2022 हेतु माह जनवरी से दिसंबर तक 106.66 लाख बुखार के रोगियों की मलेरिया रोग की जांच के लक्ष्य के विरुद्ध 110.30 लाख बुखार के रोगियों की रेपिड डायग्नोस्टिक किट द्वारा अथवा रक्तपट्टी बनाकर मलेरिया रोग की जांच की गई है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 103 प्रतिशत है। इनकी जांच में 3,825 मलेरिया के रोगी पाये गये हैं, जिन्हें उपचार दिया गया। प्रदेश में वर्ष 2018 से 2022 तक बुखार सर्वेलेन्स एवं पाये गये मलेरिया रोगियों की संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष	कुल बुखार के रोगियों की मलेरिया की जांच	कुल प्राप्त मलेरिया रोगियों की संख्या	कुल प्राप्त फेलसीपेरम मलेरिया रोगियों की संख्या	मलेरिया से मृत्यु
2018	9817411	22279	6332	1
2019	9968281	14147	3627	3
2020	9056958	6760	3971	1
2021	9864546	3181	1688	2
2022	11030825	3825	2448	0

मलेरिया रोग का आंकलन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाता है। इसी मापदण्ड में एनुअल पैरासिटिक इन्सिडेंस (ए.पी.आई.) एक मापदण्ड है। प्रति 1000 की जनसंख्या पर पाये गये मलेरिया के प्रकरणों की संख्या को ए.पी.आई. कहा जाता है। प्रदेश में वर्ष 2022 में 0.04 ए.पी.आई. है।

किसी क्षेत्र में मलेरिया के प्रकरण (ए.पी.आई. के आधार पर) राष्ट्रीय फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-30 में निर्धारित दिशा-निर्देशानुसार जिले, विकासखण्ड एवं अन्य क्षेत्रों को 0 से 3 तक की कटेगरी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है तथा उसी अनुसार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत कार्य किया जा रहा है।

आरोग्य केन्द्र पर बुखार के उपचार की व्यवस्था

राज्य के प्रत्येक ग्राम में शीघ्र खोज एवं त्वरित उपचार के अन्तर्गत बुखार के मरीज़ के उपचार हेतु ग्राम आरोग्य केन्द्र पर व्यवस्था की गयी है, जहां संभावित मलेरिया के मरीज़ की रैपिड किट द्वारा अथवा रक्तपट्टी बनाकर मलेरिया की निःशुल्क जाँच की जाती है तथा मलेरिया पाये जाने पर आवश्यक उपचार दिया जाता है।

जैविक नियंत्रण (पर्यावरण मित्र) उपाय

मलेरिया नियंत्रण के उपायों में जैविक नियंत्रण (पर्यावरण मित्र) पद्धति भी अपनाई गई है जिसमें लार्वाभक्षी मछलियों गम्बूसिया एवं गप्पी को अस्थायी एवं स्थायी जलस्रोतों में संचित किया जाता है। ये मछलियाँ मच्छरों के लार्वा का भक्षण करती हैं। लार्वाभक्षी मछली का संचयन जिलों में विभाग की नर्सरी एवं आवश्यकतानुसार मत्स्य विभाग से क्रय करके किया जाता है।

कीटनाशी छिड़काव कार्य

वर्ष 2022 में मलेरिया से अति प्रभावित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 22 जिलों की 2.41 लाख से अधिक जनसंख्या को कीटनाशी दवा के छिड़काव से संरक्षित किया गया है। कीटनाशी दवा अल्फासाइपरमेथ्रिन 5 प्रतिशत म.प्र. शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई, जबकि डी.डी.टी. 50 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुई। कीटनाशी दवा का छिड़काव कार्य संक्रमण काल 16 जून 2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक करवाया गया जिसका प्रभाव छिड़काव तिथि से आगामी 10-12 सप्ताह तक रहता है।

मलेरिया माह जून

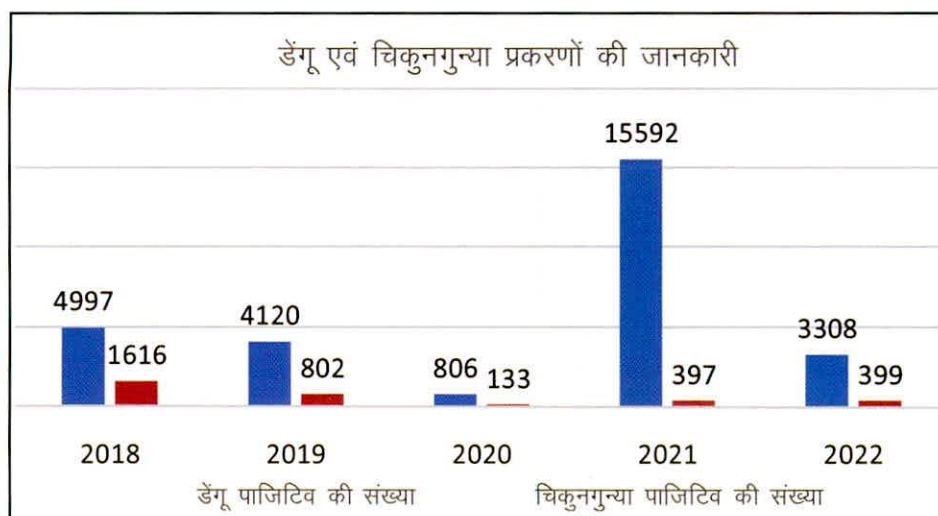
माह जून को "मलेरिया निरोधक माह" के रूप में मनाया जाता है। इस माह के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शनियों व रैली का आयोजन, मलेरिया रथ का भ्रमण, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, पंचायत स्तर पर एडवोकेसी कार्यशाला, आकाशवाणी से प्रसारण, सामाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन तथा अन्य प्रचार-प्रसार की गतिविधियाँ संचालित की गई हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

सूचना शिक्षा संचार गतिविधियां

- विश्व मलेरिया दिवस (25 अप्रैल) राष्ट्रीय डेंगू दिवस (16 मई) मलेरिया निरोधक माह जून, डेंगू निरोधक माह जुलाई, विश्व मच्छर दिवस (20 अगस्त) का आयोजन कर वैक्टर जनित बीमारियों के संबंध में विशेष रूप से प्रचार-प्रसार गतिविधि संपादित की जाती हैं।
- दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य केबल चैनलों के माध्यम से वैक्टर जनित रोगों से बचाव, उपचार एवं रोकथाम बाबत जानकारी दी गई।
- समाचार पत्रों में विभागीय संदेशों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया।
- होर्डिंग्स, बैनर, माईकिंग, आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार की गतिविधियां निरंतर की गयी।
- विद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वाहक जनित बीमारियों एवं उसके नियंत्रण हेतु जानकारी प्रदान की गई एवं इन छात्र-छात्राओं के सहयोग से जन समुदाय को जागरूक कर बीमारी के नियंत्रण में सहयोग प्राप्त किया गया।

डेंगू/चिकुनगुन्या नियंत्रण के लिये किये गये उपाय

डेंगू/चिकुनगुन्या प्रकरणों की जांच की व्यवस्था :- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 9 मेडिकल कॉलेज, 51 जिला चिकित्सालय, 1 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल, 1 भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, भोपाल एवं 1 सिविल अस्पताल बैरागढ़, भोपाल सहित 63 सेंटीनल साइट्स एवं 1 अपेक्स रेफरल लैब, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की स्थापना डेंगू की मेक एलाइजा किट द्वारा जांच हेतु की गयी है। इन साइट्स को आवश्यकता अनुसार मेक-एलाइजा किट भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है एवं डेंगू एन.एस.-1 एन्टीजन एलाइजा किट की व्यवस्था राज्य/जिले स्तर से की जाती है।



डेंगू एवं चिकुनगुन्या बीमारी के नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाही

- राज्य स्तर से डेंगू एवं चिकुनगुन्या बीमारी के नियंत्रण हेतु समस्त दिशा निर्देश एवं प्रोटोकॉल जिलों को जारी किये गये हैं एवं सतत निगरानी रखते हुए दैनिक समीक्षा एवं आवश्यक कार्यवाही करायी जाती है।
- ग्राम स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला स्तर तक बुखार की जानकारी भेजने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अन्तर्गत 500 से 1000 की आबादी में एक सप्ताह की अवधि में बुखार के 5 से अधिक मरीज पाये जाने पर ग्राम स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर सूचना दी जावेगी व आवश्यकतानुसार प्रतिबंधात्मक उपाय किये जावेंगे। प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव हेतु कीटनाशी टेमोफॉस एवं फॉगिंग कार्य हेतु पायरेथ्रम की उपलब्धता जिलों पर कराई गई है।
- जिलास्तर से राज्य स्तर पर कॉल सेंटर के माध्यम से सभी बीमारियों की आउटब्रेक की रिपोर्ट प्रतिदिन प्राप्त होती है एवं त्वरित रूप से नियंत्रण की कार्यवाही की जाती है।
- जिलों में त्वरित नियंत्रण की कार्यवाही हेतु रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया।

- मलेरिया तथा मच्छरों से उत्पन्न अन्य बीमारियों के नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत नगर पालिका परिसर/नगर पंचायत उपविधियाँ 1999 के क्रियान्वयन हेतु जिलों के जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया है। इसके अन्तर्गत घरों में मच्छरों की उत्पत्ति पाये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को रुपये 500/- अर्थदंड देने के अधिकार हैं।

फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी तारतम्य में प्रत्येक वर्ष चिन्हित जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाता है जिसे राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कार्य वर्ष 2004 से प्रारंभ किया गया है। जिसके अन्तर्गत 2 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को डी.ई.सी. एवं एलबेन्डाजोल गोली का सेवन आयु के अनुसार निर्धारित मात्रा में कराया जाता है। इस अभियान में दो वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एवं अतिवृद्ध को छोड़कर शेष जनसंख्या को दवा का सेवन कराया जाता है।

प्रदेश में फाइलेरिया से प्रभावित 12 विशेष जिलों के फाइलेरिया बीमारी के उन्मूलन की प्रक्रिया की जाती है। जिनमें से 08 जिलों – कटनी, उमरिया, पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़, रीवा, छतरपुर, दतिया में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाता है इसके अंतर्गत माह जनवरी 2022 से माह मार्च 2022 में 05 जिले (कटनी, उमरिया, पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़) में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (सामूहिक दवा सेवन) की गतिविधि की गई है। इसके अंतर्गत 48.38 लाख लक्षित जनसंख्या को एम.डी.ए. के अन्तर्गत डी.ई.सी. व एलबेन्डाजोल गोली का सेवन कराने हेतु गतिविधि की गई। जिसमें से 43.29 लाख लक्षित जनसंख्या को दवा का सेवन कराया गया जिसका लक्ष्य पूर्ति प्रतिशत 89 रहा।

जिला छिंदवाड़ा एवं सागर में फाइलेरिया बीमारी के उन्मूलन की प्रक्रिया के आगामी चरण ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे 03 की गतिविधि एवं जिला सतना में ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे 02 की गतिविधि सफलतापूर्वक संपन्न की गई है। इस प्रकार फाइलेरिया बीमारी के उन्मूलन के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

जापानीज़ इन्सिफेलाइटिस

प्रदेश में वर्ष 2022 में जापानीज़ इन्सिफेलाइटिस के 77 प्रकरण प्रदेश के 16 जिलों में पाये गये हैं। इस बीमारी के नियंत्रण हेतु भी सतत रूप से प्रयास किये जा रहे हैं।

आशा की भूमिका :- मच्छर लार्वा सर्वे एवं विनिष्ठीकरण, कीटनाशक दवा के छिड़काव कवरेज बढ़ाने में तथा ग्राम में बुखार के रोगियों की रैपिड डायग्नोस्टिक किट/स्लाईड से मलेरिया की जाँच एवं उपचार तथा फाइलेरिया नियंत्रण सहित अन्य वाहक जनित रोग नियंत्रण में आशा का सहयोग सराहनीय रहा है।

॥ कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है बुखार आने पर खून की जांच कराये, जांच में मलेरिया पाये जाने पर पूर्ण उपचार लें।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम

क्षय रोग एक गम्भीर स्वास्थ्य समस्या है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में क्षय मरीजों के उपचार एवं निदान हेतु वर्तमान में 443 टी.बी. यूनिट, 902 डी.एम.सी. (माईक्रोस्कोपिक सेन्टर) तथा कुल 30595 डॉट सेंटर स्थापित हैं। माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है को निर्धारित Sustainable Development Goals 2030 से 05 वर्ष पूर्व 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत टी.बी. उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक रखा है।

TB Notification :			
Year	Annual Target	Achievement	Percentage
2020	240100	137965	57.5%
2021	240100	167019	70%
2022	245000	1831970	74.80%

* Data is taken from NIKSHAY Software.

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत DBT के माध्यम से क्षय रोगियों को भुगतान किया गया है :-

Year	Total Beneficiaries	Paid Atleast Once	Percentage
2022			
(January to December)	180613	141896	79%

* Data is taken from NIKSHAY Software.

NTEP कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों में प्राइवेट प्रोवाइडर्स को नोटीफिकेशन (TB Case Notification) कराने के लिये राशि रु. 500/- प्रति टी.बी. मरीज के नोटीफिकेशन एवं रु. 500/- प्रति टी.बी. मरीज के Out come देने पर राशि 01 अप्रैल, 2018 से DBT के माध्यम से दी जा रही है।

प्रदेश के टी.बी. मरीजों हेतु रु. 500/- प्रतिमाह (मरीज के उपचार से निदान तक) पोषण आहार हेतु राशि 01 अप्रैल, 2018 से दी जा रही है। आदिवासी विकास खण्डों के क्षय रोगियों को उपचार की समाप्ति के बाद, कार्यक्रम में दिये गये वित्तीय प्रावधान के अनुसार राशि रु.750/- अतिरिक्त राशि डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में क्षय रोगियों की जाँच एवं आधुनिक उपचार प्रणाली "डॉट्स" (Daily DOTS) द्वारा उपचार की निःशुल्क सुविधा ग्रामीण स्तर तक सभी शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में एक IRL, 4 C&DST Lab संचालित है। वर्ष 2021 में प्रदेश में संचालित IRL, Bhopal को LPA Facility Ist – IInd Line – Liquid Culture DST for Ist Line Certification, Central TB Division, New Delhi द्वारा प्रदाय किया गया है। STDC Bhopal को Centre of Excellence बनाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में Sub National Certification के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में बैतूल जिले को Bronze मेडल, वर्ष 2021-22 में 10 जिलों को Sub National Certification हेतु नामांकित किया गया था। भारत के 8 Gold Category के जिलों में से एक म.प्र. के खरगौन जिले को Gold Category एवं उज्जैन जिले को Bronze Category का अवार्ड प्राप्त हुआ है एवं वर्ष 2022-23 में Sub National Certification हेतु प्रदेश के 30 जिलों को नामांकित किया गया है।

वर्ष 2024 तक टी.बी. उन्मूलन करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मध्यप्रदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, टी.बी. की पहचान एवं उपचार की सुविधा राज्य के समस्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र) के माध्यम से दी जाये, जिससे क्षय रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध हो सके।

टी.बी. कार्यक्रम को उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु एक माह का TB MukT Bharat Campaign@AB-HWC किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक माह तक सभी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के माध्यम से टी.बी. की स्क्रीनिंग की सुविधा दी गयी। समस्त 52 जिलों में यह Campaign 24 मार्च, 2022 से 14 अप्रैल, 2022 तक संचालित किया गया, जिसके अंतर्गत तीन मुख्य गतिविधियाँ, टी.बी. नोटिफिकेशन, स्पुटम कलेक्शन, परिवहन, TB MukT Bharat Campaign के माध्यम से राज्य में कुल 2.42 लाख जनसमुदाय की स्क्रीनिंग की गयी और सर्वाधिक स्क्रीनिंग करने हेतु 05 करोड़ से अधिक जनसंख्या की कैटेगरी में मध्यप्रदेश द्वारा Campaign में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया।



राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत राशि का आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

Year	RoP	Expenditure	Percentage
2020-21	180.40	60.01	33.26
2021-22	254.39	90.41	35.54
2022-23 (Upto 31 December, 2022)	273.80	85.28	31.15

॥ डॉट्स अपनायें, टीबी को दूर भगायें ॥

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1983-84 में की गई थी। कार्यक्रम में बहु-औषधि उपचार (एम.डी.टी.) 1994-95 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के शुरुआत में कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य 10 हजार की जनसंख्या में 1 से कम कुष्ठ रोगी रखा गया था जिस लक्ष्य को 2005 में प्राप्त कर लिया गया था। पुनः 2012 में कार्यक्रम में निर्धारित परिवर्तन करते हुये कुष्ठ उन्मूलन का नया लक्ष्य ग्रेड 2 विकृति एक प्रति 10 लाख जनसंख्या में एवं कुष्ठ प्रभाव दर (PR) 1 प्रति 10000 से कम तथा बच्चों में ग्रेड-2 विकृति शून्य करना रखा गया जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 2020 तक की समय सीमा तय की गई थी।

उपलब्धियां वर्ष 2022-23 (31 दिसंबर 2022 तक)

- प्रदेश में कुष्ठ प्रभाव दर 0.86 प्रति 10,000 जनसंख्या एवं नये रोगी खोज दर 7.7 प्रति 1 लाख जनसंख्या।
- कुल नये खोजे गये 6,498 कुष्ठ रोगी उपचाररत हैं।
- कुल नये कुष्ठ रोगियों में 191 विकृति ग्रेड-2 के कुष्ठ रोगी उपचाररत हैं।
- कुल नये बाल कुष्ठ रोगियों में 207 उपचाररत हैं एवं ग्रेड-2 विकृति के 6 बाल कुष्ठ रोगी उपचाररत हैं।
- कुल उपचार मुक्त कुष्ठ रोगी - 4,204
- कुल उपचाररत कुष्ठ रोगी - 7,256
- कुल 2,303 एम.सी.आर फुटवेयर कुष्ठ रोगियों को वितरित किये गये।
- कुल 1,219 सेल्फ केयर किट कुष्ठ रोगियों को वितरित किये गये।
- प्रदेश में 95 विकृति ग्रेड-2 रोगियों की आर.सी.एस. (पुनर्शल्यक्रिया) की गई।
- कार्यक्रम के अंतर्गत माह जून 2022 में जिला कुष्ठ अधिकारियों एवं माह नवम्बर 2022 में फिजियोथेरापिस्ट का प्रशिक्षण आर.एल.टी.आर.आई रायपुर में करवाया गया।
- मार्च 2022 में जिला कुष्ठ अधिकारियों, जिला कुष्ठ सलाहकारों एवं फिजियोथेरापिस्टों का दो दिवसीय प्रशिक्षण किया गया।
- 12 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2022 तक कुष्ठ रोगी खोज अभियान प्रदेश के 35 जिलों में किया गया जिसमें 1,877 नये कुष्ठ रोगी खोजे गये।
- बाल रोगियों में कुष्ठ की पहचान करने के लिए राज्य के समस्त RBSK Team को प्रशिक्षण दिया गया।
- कुष्ठ रोग से बचाव हेतु नये कुष्ठ रोगियों के संपर्क में आये स्वस्थ व्यक्तियों में से SDR हेतु योग्य व्यक्तियों का चिन्हांकन कर Post Exposure Prophylaxis (Single Dose & Rifampicin) दिया जा रहा है।
- पुनर्शल्यक्रिया से विकृति ठीक हो रही है जिससे रोगी अपने रोजमर्रा के कार्यों को आसानी से कर पाते हैं एवं अपने रोजगार की तरफ पुनः लौट रहे हैं जिससे इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सरल एवं सुगम हो रही है।
- पुनर्शल्यक्रिया के पश्चात रोगियों को रु. 8000/- प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किये जाते हैं।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश में दृष्टिहीनता की दर कम कर 0.3% तक लाना है, इस दिशा में राज्य निरंतर प्रयासरत है।

मध्यप्रदेश में नेत्र चिकित्सा कार्य विभिन्न स्तरों पर संचालित हो रहा है, इनमें प्रमुख रूप से जिला चिकित्सालयों की नेत्र चिकित्सा इकाई, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नेत्र विभाग के माध्यम से नेत्र-चिकित्सा सुविधा सुदूर ग्रामीण अंचलों तक उपलब्ध करवाई जा रही है।

मध्यप्रदेश के जिला तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुसज्जित नेत्र शल्यक्रिया कक्ष तथा नेत्र रोगियों के उपचार के लिये 600 शैयाओं की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में रिफ्रेक्शन व प्रारंभिक नेत्र परीक्षण के लिये विकासखण्ड स्तर पर रिफ्रेक्शन कक्ष कार्यरत है।

पूर्व 10 वर्षों में 52 जिलों में आथेल्मिक आपरेटिंग माईक्रोस्कोप उपलब्ध कराये गये तथा 14 जिलों भोपाल, हरदा, रीवा, शाजापुर, मंडला, उज्जैन, शहडोल, रायसेन, इंदौर, ग्वालियर, दतिया, जबलपुर, सतना, सीधी में फेको मशीन उपलब्ध कराई गई है, तथा प्रशिक्षण उपरांत उपरोक्त जिलों में फेको पद्धति से शासकीय चिकित्सालयों में मोतियाबिंद के आपरेशन प्रारंभ कर दिये गये हैं।

मध्यप्रदेश शासकीय नेत्र-चिकित्सा संस्थायें

क.	संस्था का नाम	संख्या	स्थान
1	नेत्र विभाग, मेडिकल कॉलेज	14	इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, विदिशा, दतिया, शिवपुरी, खंडवा, रतलाम, शहडोल, छिंदवाड़ा
2	नेत्र चिकित्सा इकाई जिला चिकित्सालय	52	जिला मुख्यालय
3	सिविल अस्पताल	102	जिला स्तर पर
4	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों	333	ब्लाक स्तर पर

वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक मोतियाबिंद ऑपरेशन, लक्ष्य एवं उपलब्धियां की भौतिक जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
2013-14	455000	458086	100.7
2014-15	500000	505343	101.01
2015-16	500000	515207	103.03
2016-17	500000	508083	101.06

2017-18	500000	538175	107.63
2018-19	500000	618200	123.64
2019-20	500000	601411	100.2
2020-21	500000	397957	66.3
2021-22	500000	645538	129.10
2022-23	500000 (360000)	475334	132.03

पिछले 10 वर्षों में प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में लेंस प्रत्यारोपण के मोतियाबिंद ऑपरेशन प्रारंभ हो गये हैं साथ ही अन्य नेत्र रोग ग्लूकोमा, मेडिकल रेटिना की सेवाएँ भी प्रारम्भ कर दी गयी है, चिकित्सकों के शल्य क्रिया में गुणवत्ता हेतु राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्रदाय किये जा रहे हैं।

प्रदेश के नेत्र चिकित्सकों एवं नेत्र सहायकों ने स्कूली छात्र-छात्राओं का नेत्र परीक्षण कर आवश्यकतानुसार निःशुल्क चश्मे वितरित किये गये जिसकी जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	लक्ष्य	परीक्षण किये गये स्कूलों की संख्या	नेत्र परीक्षण किये गये छात्रों की संख्या	दृष्टि दोष पाये गये छात्रों की संख्या	दृष्टि दोष पाये गये छात्रों की संख्या जिन्हें निःशुल्क चश्मा प्रदाय किये गये
2013-14	41,00,000	31456	3041967	100580	71374
2014-15	41,00,000	32038	2947177	94580	80032
2015-16	41,00,000	31124	3202478	117554	76579
2016-17	41,00,000	30959	2595013	141463	113596
2017-18	41,00,000	35672	3046525	128349	102102
2018-19	41,00,000	31434	2604870	135057	107709
2019-20	41,00,000	40575	3257782	146899	101547
2020-21	41,00,000	1573	84978	5965	4893
2021-22	41,00,000	14456	1324214	152928	39154
202-23 (Up to December)	41,00,000	14225	1366843	62250	18044

प्रदेश में वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक वरिष्ठ नागरिकों का नेत्र परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क चश्मे प्रदाय किये गये जो निम्नानुसार है:-

वर्ष	लक्ष्य	वरिष्ठ नागरिकों को प्रदाय निःशुल्क चश्मे
2015-16	100000	108826
2016-17	100000	102311
2017-18	100000	132141
2018-19	100000	174607
2019-20	100000	184113
2020-21	100000	46408
2021-22	100000	152485
2022-23 (Up to December)	100000	104312

सामाजिक गुणवत्ता

सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के मोतियाबिंद ऑपरेशन प्राथमिकता के आधार पर किये जाते हैं, जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल योग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	कुल योग
2014-15	263018	242325	505343	152698	98818	76830	176997	505343
2015-16	256108	259099	515207	140032	109362	73115	192698	515207
2016-17	248254	259829	508083	136165	104375	82915	184628	508083
2017-18	266236	271939	538175	142914	114441	82632	198188	538175
2018-19	305306	312894	618200	166308	127494	106393	218005	618200
2019-20	296792	304619	601411	170087	128097	100685	202542	601411
2020-21	190763	207194	397957	107713	87139	80887	122218	397957
2021-22	331243	314295	645538	230451	112752	131468	170867	645538
2022-23 (Up to December)	245156	230178	475334	123459	108765	119656	123454	475334

॥ नेत्रदान कीजिये, ताकि आपकी आँखों से कोई देख सके ॥

“राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम”

तम्बाकू उत्पादों का बढ़ता उपयोग विश्व में लोगों की असमय मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है। तम्बाकू के सेवन से व्यक्ति के शरीर पर अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं जैसे— फेफड़ों का कैंसर, मुँह का कैंसर, श्वसन तंत्र की बीमारी, गर्भावस्था के समय धूम्रपान अथवा धूम्ररहित तम्बाकू के सेवन से शिशु को होने वाले दुष्प्रभाव, अस्थमा, निमोनिया ब्रोंकाइटिस, बार-बार श्वसन तंत्र का संक्रमण एवं क्षयरोग इत्यादि। इसके सेवन से हृदय और रक्त संबंधी बीमारियाँ, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में प्रजनन क्षमता में कमी आना, बांझपन जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। बीमारियों की रोकथाम एवं इलाज में होने वाले खर्च में से अधिकांश राशि तम्बाकू सेवन के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज में खर्च होती है।

वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण-2 के अनुसार भारत में तम्बाकू के उत्पाद से प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। मध्य प्रदेश में कुल 50.2 प्रतिशत पुरुष एवं 17.3 प्रतिशत महिलाएँ तम्बाकू सेवन करते हैं एवं 24.7 प्रतिशत वयस्क सार्वजनिक जगहों पर अप्रत्यक्षित धूम्रपान के संपर्क में आते हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे-2009 के अनुसार 36.4% बच्चे घर में अप्रत्यक्षित धूम्रपान के शिकार होते हैं तथा 48.7% बच्चे घर के बाहर इसका शिकार होते हैं। इनके अतिरिक्त 55 हजार बच्चे हर वर्ष नियमित रूप से तम्बाकू सेवन करने वालों की सूची में जुड़ रहे हैं। धूम्रपान करने वालों में से 80% पहली सिगरेट 8 से 13 वर्ष की आयु में पीते हैं। परोक्ष धूम्रपान के शिकार होने वालों में भी बच्चे ही सबसे अधिक हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और बच्चे धूम्ररहित तम्बाकू सेवन से होने वाली हानियों की जानकारी के अभाव में मुँह साफ करने के लिए तम्बाकू का सेवन करते हैं। महिलाएं गर्भावस्था या प्रसव के समय पीड़ा कम करने के लिए तम्बाकू का उपयोग करती हैं, जिससे होने वाले शिशु पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि बच्चों के आस-पास धूम्रपान के दुष्परिणाम से नवजात शिशु की अकस्मात मृत्यु का संकट, निमोनिया, काली खाँसी एवं फेफड़ों से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। ज्यादातर सम्भावना यही रहती है कि जो बच्चे कम आयु में तम्बाकू सेवन शुरू करते हैं वे फिर सारी जिंदगी इसे जारी रखते हैं एवं तम्बाकू से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होने का खतरा उनके लिए काफी ज्यादा होता है।

वर्ष 2016-17 में किये गये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS 2) के अनुसार मध्यप्रदेश में तम्बाकू का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है—

तम्बाकू उपयोग	पुरुष %	महिलाएं %	शहरी %	ग्रामीण %	कुल % GATS-2	कुल % GATS-1
धूम्रपान						
वर्तमान में धूम्रपान करने वाले	19.0	0.8	6.8	11.6	10.2	16.9
रोजाना धूम्रपान करने वाले	15.6	0.7	5.1	9.8	8.4	11.5

वर्तमान में सिगरेट पीने वाले	2.4	0.1	2.4	0.8	1.3	5.1
वर्तमान में बीड़ी पीने वाले	17.2	0.4	5.4	10.7	9.1	13.4
धूम्ररहित तम्बाकू सेवन करने वाले						
वर्तमान में धूम्ररहित तम्बाकू सेवन करने वाले	38.7	16.8	20.2	31.5	28.1	31.4
रोजाना में धूम्ररहित तम्बाकू सेवन करने वाले	32.3	15.7	17.8	27.1	24.3	25.9
वर्तमान में पान के साथ तम्बाकू सेवन करने वाले	5.0	3.2	3.6	4.4	4.1	6.8
वर्तमान में खैनी का सेवन करने वाले	15.0	8.2	5.4	14.4	11.7	14.0
वर्तमान में गुटखा का सेवन करने वाले	21.8	5.0	12.7	14.1	13.7	17.0
वर्तमान में मुंह में लगाने वाले तम्बाकू का उपयोग करने वाले	1.9	6.0	1.7	4.8	3.8	4.5
वर्तमान में पान मसाला के साथ तम्बाकू सेवन करने वाले	7.6	1.0	3.9	4.6	4.4	छ।
तम्बाकू का सेवन करने वाले						
वर्तमान में तम्बाकू सेवन करने वाले (धूम्रपान या धूम्ररहित)	50.2	17.3	24.3	38.5	34.2	39.5
वर्तमान में दोनों प्रकार का तम्बाकू सेवन करने वाले (धूम्रपान या धूम्ररहित)	7.5	0.3	2.8	4.6	4.1	8.8
छोड़ने का प्रयास	पुरुष %	महिलाएं %	शहरी %	ग्रामीण %	कुल % GATS-2	कुल % GATS-1
धूम्रपान करने वाले जिन्होंने पिछले 12 महीनों में धूम्रपान छोड़ने का प्रयास किया	42.2	41.9	44.5	41.6	42.2	51.3

वर्तमान में धूम्रपान करने वाले जिन्होंने धूम्रपान छोड़ने की योजना बनायी या फिर छोड़ने के बारे में सोचा	49.7	12.4	51.8	47.3	48.2	53.6
धूम्ररहित तम्बाकू सेवन करने वाले जिन्होंने पिछले 12 महीनों में धूम्ररहित तम्बाकू छोड़ने का प्रयास किया	38.8	30.5	42.2	34.8	36.4	53.7
वर्तमान में धूम्ररहित तम्बाकू सेवन करने वाले जिन्होंने धूम्रपान छोड़ने की योजना बनायी या फिर छोड़ने के बारे में सोचा	53.9	48.9	56.0	51.5	52.4	53.1

भारत शासन द्वारा 2003 में तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करने हेतु “COTPA/ सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के विज्ञापन एवं विनियमन निषेध) अधिनियम” लागू किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस अधिनियम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें तम्बाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न धाराएँ बनाई गई हैं, जिसमें मुख्यतः धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध), धारा 6 (अ) (18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू बेचना निषेध), धारा 6 (ब) (शिक्षण संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित) एवं धारा 7 (तम्बाकू उत्पादों पर निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी) की निगरानी का अधिकार प्रदाय किया गया है।

सरकार द्वारा तम्बाकू उत्पादों पर नियंत्रण हेतु अधिनियम बनाया है, जिसमें टार एवं निकोटिन का न्यूनतम स्तर रखने के प्रावधान हैं। किन्तु उपयुक्त क्षमता तथा संसाधनों के अभाव में राज्य में तम्बाकू नियंत्रण के अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो सके हैं। इसके अतिरिक्त कई तम्बाकू उत्पादों मुख्यतः सिगरेट व बीड़ी में टार की मात्रा की जांच के लिये हमारे पास व्यवस्थित प्रयोगशाला नहीं है।

भारत FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) से प्रतिबद्ध देश है, जहाँ तम्बाकू नियंत्रण के लिये प्रशासनिक, विधायी मापदण्ड स्थापित किये गये हैं जिसमें प्रभावी कानूनी विधियाँ बनाना शामिल है। तम्बाकू नियंत्रण की प्रभावी विधियाँ, कानून के प्रावधानों का क्रियान्वयन तथा साथ ही तम्बाकू के विपरीत प्रभावों के प्रति जागरूकता के क्रम में एक विस्तृत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की आवश्यकता है। तम्बाकू उपयोग की आदतों को कम करके कई लोगों की जिन्दगी बचाने की जरूरत है तथा स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण पर हो रहे हानिकारक प्रभावों को कम करना है जो तम्बाकू के कारण राष्ट्र पर पड़ रहे हैं।

राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय टास्क फोर्स की बैठक में हुई चर्चा में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के घटक निर्धारित किये गये एवं मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं :-

1. केंद्र व राज्य स्तर पर कड़े निगरानी तकनीकों के साथ जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम लागू करना।
2. सूचना, शिक्षा व संचार (IEC)
3. नेशनल टोबैको रेगुलेटरी अथॉरिटी गठित करना जो तम्बाकू परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने, टार व निकोटिन की मात्रा के संदर्भ में उत्पाद कानून बनाने के साथ ही तंबाकू नियंत्रण कानून एवं नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिये भी जिम्मेदार हो।
4. शोध एवं प्रशिक्षण किया।

उक्त राष्ट्रीय टास्क फोर्स के निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 (तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध) को लागू करवाने एवं उसकी निगरानी हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में एवं सभी 51 जिलों में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग समिति का गठन किया गया है।

राज्य तम्बाकू नियंत्रण सेल का गठन

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कानून के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जिला स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी के लिये राज्य तम्बाकू नियंत्रण सेल का गठन संचालक, लोक स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में किया गया है। यह सेल कार्यक्रम के लिये मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, जिला तम्बाकू नियंत्रण केंद्र की स्थापना, तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी परिपालन तथा सार्वजनिक स्थलों को धूम्रपान मुक्त करने हेतु समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करने के लिये उत्तरदायी है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन, समन्वयन, निगरानी तथा जिलास्तर पर कार्यक्रम के मूल्यांकन की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर नियुक्त नोडल ऑफिसर की है। तम्बाकू नियंत्रण के प्रति जनसमुदाय को जागरूक करने के लिये प्रदेश स्तर पर कार्यशालाएँ, सेमिनार व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसमें सूचना, शिक्षा एवं संचार माध्यमों का प्रयोग कर सघन जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

तम्बाकू उपयोग के दुष्परिणामों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी जन समुदाय में जागरूकता लाने के लिये प्रदेश के सभी जिलों में समुदाय स्तर पर जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है तथा गाँवों एवं शहरों को तम्बाकू मुक्त व धूम्रपान मुक्त करने हेतु प्रयास किये गए हैं। इसमें तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों व नियमों के प्रभावी परिपालन के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है—

- | | |
|--|--------------|
| 1. जिला दण्डाधिकारी/जिलाध्यक्ष | — अध्यक्ष |
| 2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | — सदस्य सचिव |
| 3. जिला पुलिस अधीक्षक | — सदस्य |
| 4. जिला जनसंपर्क अधिकारी | — सदस्य |
| 5. जिला खाद्य एवं औषधि निरीक्षक म.प्र. | — सदस्य |
| 6. स्वास्थ्य/तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि | — सदस्य |
| 7. जिले के मुख्य महाविद्यालय के प्राचार्य | — सदस्य |
| 8. अकादमीशियन/मनोविज्ञानिक/समाजशास्त्री | — सदस्य |

COTPA 2003 के प्रभावी अनुपालन एवं निगरानी के लिये अंतर्विभागीय निगरानी/जांच दल (Enforcement squad) का गठन निम्नानुसार किया गया है—

जिला स्तरीय निगरानी/जाँच दल —

- | | |
|--|-----------|
| 1. जिला नोडल अधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) | — समन्वयक |
| 2. पुलिस उपनिरीक्षक या निरीक्षक | — सदस्य |
| 3. खाद्य निरीक्षक | — सदस्य |
| 4. सहायक संचालक, शिक्षा (योजना/खेलकूद) | — सदस्य |
| 5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत | — सदस्य |

अनुभाग स्तरीय समिति

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| अनु-विभागी अधिकारी (राजस्व) | — अध्यक्ष |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत | — सदस्य |
| तहसीलदार | — सदस्य |
| मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी | — सदस्य |
| पुलिस उपनिरीक्षक | — सदस्य |
| विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी | — सदस्य |
| विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी | — सदस्य |

जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में निम्न घटकों को शामिल किया गया है—

1. तम्बाकू नियंत्रण कानून की निगरानी
2. सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC)
3. स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियाँ

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश में मुख्य रूप से निम्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही है :-

- सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन और वितरण का विनियमन) अधिनियम/COTPA 2003 के तहत प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन समस्त 51 जिलों में किया जा रहा है एवं इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना एवं अन्य नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2022 में लगभग 3810 लोगों पर कार्यवाही की गई।
- तम्बाकू के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में समाज में जागरूकता लाने के लिए व्यापक आई.ई.सी. गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं, जिन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किए जाने की योजना है।
- प्रदेश के समस्त शालाओं एवं महाविद्यालयों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के रूप में तैयार किया जा रहा है एवं प्रत्येक जिले समस्त शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शालाओं में तम्बाकू नियंत्रण से सम्बन्धित विशेष गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले के चिन्हित स्कूल एवं कॉलेज में तम्बाकू नियंत्रण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है एवं स्कूल के 100 गज के दायरे में कोई भी तम्बाकू विक्रेता की दुकान न हो इस हेतु यलोलाइन कैम्पेन भी चलाया जा रहा है।

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत पुलिस विभाग, नगरीय निकाय, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है एवं COTPA 2003 का पालन करवाया जा रहा है।

माह अक्टूबर 2022 में प्रदेश के 51 जिलों के विभिन्न विभाग के 240 प्रतिभागियों को COTPA 2003 अन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया।



॥ जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं ॥

राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. मौखिक स्वास्थ्य के निर्धारकों में सुधार करने के लिये कार्य करना।
2. मौखिक रोगों से रुग्णता को कम करने के लिये कार्य करना।
3. सामान्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ मुख के स्वास्थ्य संवर्धन और निवारक सेवाओं को एकीकृत करना।
4. बेहतर मौखिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को बढ़ावा देने के लिये कार्य करना।

बेहतर मौखिक स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्तर पर मौखिक स्वास्थ्य संवर्धन को प्राथमिकता देना प्रमुख है। व्यक्ति के जीवन की समग्र गुणवत्ता के लिए उसका ओरल (मुख संबंधी) स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है यह मानव की बुनियादी आवश्यकता है इसे सुधारने के लिए राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम (NOHP) भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया।

प्रदेश में वर्तमान में 131 दन्त चिकित्सा ईकाईयों का संचालन शासकीय अस्पताल में किया जा रहा है। जिसमें लगभग 2.8 लाख क्लाइन्ट को सेवाएं प्रदान की गई हैं एवं लगभग समस्त शासकीय शालाओं में दन्त चेकअप कैंप लगाए गए हैं एवं आवश्यकतानुसार उन्हें रेफर किया गया है। गाँव स्तर पर भी ओरल हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए हैं।



॥ स्वस्थ मुँह— सेहत का आधार,
ब्रश दिन में दो बार, दो मिनट हर बार ॥

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 14 जिले चिन्हांकित हैं जिनमें आयोडीन युक्त नमक की खपत हेतु आवश्यक जांच एवं प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग उक्त जिलों को आयोडीन अल्पता विकार से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम अंतर्गत अभी तक कुल 1.51 करोड़ जांच सम्पादित की जा चुकी हैं।

कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य आईडीडी मॉनिटरिंग लैब का संचालन किया जा रहा है, जिसमें नमक तथा यूरिन नमूनों में आयोडीन की मात्रा की जांच की जाती है। कार्यक्रम अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत जिला अलीराजपुर एवं झाबुआ में आयोडीन सर्वेक्षण प्रक्रियारत है।

॥ आयोडीन युक्त नमक ही खाना,
बुद्धि और स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाना ॥

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम अंतर्गत 15 जिले चिन्हांकित हैं जिनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों को स्वच्छ पेय जल प्रदाय किया जा रहा है। कार्यक्रम अंतर्गत फ्लोरोसिस लैब के सुचारु संचालन हेतु 15 लैब टेक्नीशियन को पदस्थ कर अभी तक 47,616 डेन्टल फ्लोरोसिस एवं 239 स्केलेटल फ्लोरोसिस के मरीज उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

पीले दांत हड्डी जाम यही है पानी में फ्लोराइड ज्यादा होने की पहचान शुद्ध पानी, दूध दही हरी सब्जियाँ खायेँ फ्लोरोसिस से मुक्ति पायें।

राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम

भारत में प्रति वर्ष श्वान द्वारा काटे जाने के 1.7 प्रतिशत प्रकरण शहरी क्षेत्र से एवं 1.8 प्रतिशत प्रकरण ग्रामीण क्षेत्र से रिपोर्ट होते हैं। विदित हो कि रेबीज एक घातक रोग है जिसमें उपचार की संभावना नहीं होते हुये सुरक्षा ही एकमात्र उपाय है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक रेबीज से होने वाली मृत्यु को शून्य करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसी अनुक्रम में स्वास्थ्य संस्थाओं में रेबीज वेक्सीन की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये पीड़ित व्यक्तियों को टीकाकरण प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम अंतर्गत अभी तक कुल 5.73 लाख पीड़ित व्यक्तियों को उपचार प्रदाय किया जा चुका है।

॥ रेबीज रोग से बचने के लिये टीके लगवाएं ॥

राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था-चिकित्सा के क्षेत्र में निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का संचालन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत एन.सी.डी. क्लीनिक के माध्यम से चिकित्सकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क परामर्श, दवाओं की उपलब्धता, पैथोलोजिकल जाँचे एवं रैफरल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर की जाने वाली गतिविधियाँ

- 'एन.सी.डी. एवं वृद्धजन स्वास्थ्य क्लीनिक' के माध्यम से चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्स द्वारा वृद्धजनों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक जिला अस्पताल में 12 बिस्तर आरक्षित किये गये हैं।
- कार्यक्रम अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- समस्त जिला चिकित्सालयों में वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिकों हेतु रैम्प एवं व्हीलचेयर की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए रैफरल सुविधा की उपलब्धता है।
- जिलों के वृद्धाश्रमों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन वर्ष में चार बार किया जा रहा है। इन शिविरों में एन.सी.डी. क्लीनिक के प्रभारी चिकित्सक, मेडिसिन विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित स्टाफ नर्स द्वारा निःशुल्क परामर्श, दवाएँ, जाँचे एवं रैफरल सुविधा प्रदान की जाती हैं।
- ओ.पी.डी पंजीयन कक्ष में वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पंक्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।
- दवाई वितरण केन्द्र में वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता अथवा पृथक पंक्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।
- "एन.सी.डी. एवं वृद्धजन स्वास्थ्य क्लीनिक" के बाहर वेटिंग एरिया में वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठक हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।
- समस्त जिला चिकित्सालयों में संचालित एन.सी.डी एवं वृद्धजन स्वास्थ्य क्लीनिक में बुजुर्ग मरीजों की स्क्रीनिंग कर आवश्यक उपचार प्रदान किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (01 अक्टूबर) के उपलक्ष्य में जिला स्तर, विकास खण्ड स्तर (सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों) पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दिन वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, परामर्श एवं फिजियोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

फिजियोथैरेपी यूनिट

- राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर समस्त जिला चिकित्सालय में फिजियोथैरेपी यूनिट स्थापित की गयी है एवं इनके माध्यम से फिजियोथैरेपी सेवाएँ प्रदान की जा रही है।

॥ स्वस्थ नियम अपनाएं, संतुलित भोजन खाएं ॥

राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह एवं स्ट्रोक नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम अंतर्गत मध्य प्रदेश में मधुमेह की वर्तमान में प्रचलित दर 13.5 प्रतिशत एवं रक्तचाप की प्रचलित दर 23.5 प्रतिशत है। जिसमें हृदयजनित रोगों से होने वाली मृत्यु का अनुपात 57% और हृदय आघात हृदय का दौरा से होने वाली मृत्यु का अनुपात 24% होकर समस्त मृत्यु में 81% का अनुपात है। कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 52 जिला नोडल अधिकारी एवं 52 सहायक नोडल अधिकारी नामांकित हैं।

असंचारी रोग के अंतर्गत मधुमेह एवं रक्तचाप के नियंत्रण मात्र से संभावित जटिलताएं हृदयाघात, हृदय का दौरा, दीर्घकालिक गुर्दा विघात, दीर्घकालिक फेफड़ा विघात, दीर्घकालिक श्वसन प्रतिरोधी रोग, अंधत्व, शारीरिक अक्षमता, अंग-विच्छेद इत्यादि की सफलतापूर्वक रोकथाम संभव है। इस दृष्टिकोण के साथ मध्य प्रदेश कार्यक्रम अंतर्गत संचालित भारत रक्तचाप नियंत्रण पहल परियोजना के सहयोग से रोगियों के बी. पी. एवं शुगर नियंत्रण के मापदंड पर सतत प्रयासरत हैं। कार्यक्रम अंतर्गत चिन्हांकित जिलों में रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीजों की प्राथमिक स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिये असंचारी बूथ की स्थापना की गई है। जिससे मरीजों को संस्था के प्रवेश द्वार पर ही जांच का लाभ प्राप्त हो रहा है।

मध्यप्रदेश के इस प्रयास को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सितम्बर 2022 में 55 प्रतिशत रक्तचाप के मरीजों को सफलतापूर्वक नियंत्रण में पाए जाने पर मान्यता देकर पुरुस्कृत किया गया है।

मध्य प्रदेश में कार्यक्रम अंतर्गत 1.76 करोड़ व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया है। जिसमें रक्तचाप के 7.84 लाख एवं मधुमेह के 4.84 लाख मरीजों का निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश के समस्त 52 जिला चिकित्सालय 119 सिविल अस्पताल 356 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में असंचारी रोग नियंत्रण क्लीनिक इस आशय से संचालित किया जा रहे हैं कि रक्तचाप एवं मधुमेह जनित संभावित निर्मम जटिलताओं की दरों को भी प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके। मध्यप्रदेश में मधुमेह एवं रक्तचाप के चिकित्सीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिये उपचार संलेख (ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल) भी जारी किये गए हैं। कार्यक्रम अंतर्गत मरीजों को निःशुल्क उपचार, जांच एवं औषधियों का वितरण प्रदान किया जा रहा है।

कैंसर

- मध्यप्रदेश में डे-केयर कैंसर कार्यक्रम 2014 से प्रारंभ हुआ है।
- इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के 51 जिलों में डे-केयर कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की गयी है।
- 51 जिला कैंसर नोडल अधिकारियों तथा 30 सिविल अस्पताल कैंसर नोडल अधिकारियों को डे-केयर कैंसर कीमोथेरेपी मॉड्यूल अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है।
- इस वर्ष एंटी कैंसर औषधियों की सूची में विस्तार कर, 24 नवीन एंटी कैंसर औषधियों को सम्मिलित किया गया है।

- पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कार्यक्रम अंतर्गत तीनों कॉमन कैंसर (ब्रेस्ट, सरवाइकल एवं ओरल कैंसर) की जाँच की जा रही है।

	ओरल कैंसर	ब्रेस्ट कैंसर	सरवाइकल कैंसर
स्क्रीनिंग	2944459	1310614	355905

- 502 स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तथा 94 मास्टर ट्रेनर को कॉमन कैंसर स्क्रीनिंग एवं सरवाइकल कैंसर के उपचार संबंधित मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया है।
- जिला चिकित्सालय में जटिल रोगियों को आवश्यकतानुसार उपचार, सर्जरी एवं रेडियो थेरेपी हेतु उचित टरशरी कैंसर चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जाता है।
- जिला चिकित्सालयों में कैंसर मरीजों को आवश्यकतानुसार जांचें, औषधियाँ एवं उपचार भी निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है।
- समस्त संभागों के संभागीय मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में 02 थर्मोबलेशन डिवाइस उपलब्ध कराये गये हैं। समस्त संभागीय मुख्यालयों के जिला चिकित्सालयों में प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है।

हेल्थ आईडी (राष्ट्रीय डिजिटलहेल्थ मिशन) –

आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत राज्य में सीपीएससी एनसीडी पोर्टल के माध्यम से माह दिसम्बर 2022 तक कुल 5,59,298 हितग्राहियों की हेल्थ आईडी बनाई गई है। उक्त अभियान हेतु भारत सरकार के द्वारा निर्धारित दिवसों में लक्ष्यों की पूर्ति में देश में राज्य द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

टेली मेडिसिन

आमजन मानस तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की दृष्टि से टेली मेडिसिन सेवा की स्थापना की गई है। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य विशेषज्ञों से चिकित्सा परामर्श लेकर उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाओं को ग्रामीण जन-मानस तक सुगमता से पहुंचाना है। इस तारतम्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा हब एवं स्पोक मॉडल के अनुसार टेली मेडिसीन की सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।

ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन की अद्यतन स्थिति

- राज्य में टेलीमेडिसिन की सुविधा भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये पोर्टल ई-संजीवनी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। ई-संजीवनी पोर्टल पर कुल 52 हब तथा 8,946 सक्रिय एचडब्ल्यूसी-सबसेन्टर/शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्पोक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दिनांक 01.04.2022 से आज दिनांक तक मध्यप्रदेश द्वारा ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से कुल 34,02,750 टेलीकंसल्टेशन कॉल पूर्ण कर लिये गये हैं।
- डे-केयर कैंसर कीमोथेरेपी हेतु ई-संजीवनी-टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के क्रम में जिला चिकित्सालय उज्जैन को हब एवं राज्य के शेष 50 जिलों के जिला चिकित्सालयों को स्पोक के रूप में स्थापित किया गया है।

- मनसिक स्वास्थ्य हेतु ई-संजीवनी-टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने के क्रम में 24 चिन्हित जिला चिकित्सालयों (जहाँ पर मानसिक रोग विशेषज्ञ पदस्थ हैं) को हब एवं 24 जिले के समस्त यू.पी.एच.सी./एस.एच.सी.- एच.डब्ल्यू.सी को स्पोक के रूप में स्थापित किया गया है।

विशेषज्ञ टेली मेडिसिन सुविधा

- राज्य की समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टेली मेडिसिन की सुविधा प्रारंभ करने हेतु राज्य द्वारा निविदा जारी की गयी थी। सफल निविदाकार द्वारा प्रथम चरण में-रीवा, सागर एवं जबलपुर संभाग के 20 जिलों के संबंधित 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 3 प्रकार के विशेषज्ञों के माध्यम से टेली मेडिसिन की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदाय की जा रही हैं। दिनांक 01.04.2022 से आज दिनांक तक गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एवं जनरल मेडिसिन विधाओं में कुल 15,39,018 टेली कंसलटेशन पूर्ण कर लिये गये हैं।
- द्वितीय चरण में संभाग भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं ग्वालियर अंतर्गत 31 जिलों के शेष 652 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रारंभ की गई है। समस्त 652 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एवं जनरल मेडिसिन के विशेषज्ञों द्वारा हितग्राहियों को विशेषज्ञ टेलीकंसलटेशन सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। दिनांक 01.04.2022 से आज दिनांक तक गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एवं जनरल मेडिसिन विधाओं में कुल 2,68,193 टेलीकंसलटेशन पूर्ण कर लिये गये हैं।
- दिनांक 01.04.2022 से आज दिनांक तक मध्यप्रदेश द्वारा कुल 52,09,961 टेली कंसलटेशन कॉल पूर्ण कर लिये गये हैं। (ई-संजीवनी-3402750 टेली कंसलटेशन एवं विशेषज्ञ टेली कंसलटेशन- 1807211)

पेलियेटिव केयर

- असंचारी रोगों जैसे कैंसर, एड्स, एम.डी.आरटी.बी वृद्धावस्था, सी.ओ.पी.डी, सी.वी.डी, स्ट्रोक जैसे समस्याओं के साथ-साथ समुदाय में दुर्लभ मानसिक बीमारियों की निरंतर बढ़ोतरी राज्य के लिए एक व्यापक समस्या है। इस हेतु गंभीर मरीजों की देखभाल हेतु पोलियेटिवकेयर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- वर्तमान में प्रदेश के समस्त 51 जिला चिकित्सालयों में पेलियेटिव केयर यूनिट स्थापित है।
- प्रदेश के कुल 51 चिकित्सा अधिकारियों (नोडल अधिकारियों) को पेलियेटिवकेयर की देखभाल का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- सभी जिला अस्पतालों में 04 बिस्तर पेलियेटिव रोगीयों की देखभाल हेतु आरक्षित किये गये हैं एवं उन्हें स्वास्थ्य लाभ की सुविधाएँ दी जा रही हैं।
- पेलियेटिवकेयर हेतु निर्धारित औषधियाँ समस्त जिलों की स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध करायी गयी है।

॥ टेली कंसलटेशन द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श का लाभ उठाये ॥

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की जनसंख्या 7.2 करोड़ है। जो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में 5 वे नम्बर पर है। वर्तमान आधुनिक जीवन शैली में मानसिक रोगियों की जनसंख्या में काफी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 10 प्रतिशत आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त है। प्रति चार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार किसी मानसिक बीमारी से प्रभावित होता है।

कार्यक्रम अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियाँ

- इस कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला चिकित्सालय के अंतर्गत स्थापित मन कक्ष के माध्यम से मनोरोग विशेषज्ञ/प्रशिक्षित चिकित्सक एवं प्रशिक्षित स्टाफ नर्स द्वारा मानसिक रोगियों की स्क्रीनिंग, उपचार एवं काउंसिलिंग की जाती है। गम्भीर मानसिक रोगियों को मानसिक चिकित्सालय इन्दौर, ग्वालियर अथवा मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में रेफर किया जाता है।
- माह अप्रैल 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर चिन्हितकर 1,82,649 लोगों की स्क्रीनिंग की गयी 1,09,464 मरीजों को काउंसिलिंग, परामर्श एवं उपचार चिकित्सकों द्वारा प्रदान किया गया।
- इस कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर कुल 10 सेमिनार के माध्यम से (स्कूल/कॉलेज/ओल्ड एज होम/केयरगिवर्स/जिला जेल/पुलिस विभाग) मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार एवं व्याख्यानो का आयोजन किया जाता है।
- जिला स्तर के चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों को मानसिक स्वास्थ्य हेतु प्रशिक्षण दिया गया ताकि ओ.पी.डी. में आने वाले व्यक्तियों/रोगियों का परीक्षण कर उपचार एवं परामर्श दिया जा सके।
- प्रत्येक जिले में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शिविर का आयोजन किया जाता है, शिविर में मनकक्ष प्रभारी चिकित्सक एवं प्रशिक्षित स्टाफ नर्स द्वारा मानसिक रोगियों की स्क्रीनिंग उपचार एवं काउंसिलिंग अथवा मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों में जागरूकता लाने हेतु गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जाता है इस दिन जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, रैलियों का आयोजन, व्याख्यान एवं समुदाय में जागरूकता फैलाने हेतु नाटकों का मंचन किया जाता है एवं इस वर्ष से प्रत्येक जिले में 10 सितम्बर को आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। जिसके के माध्यम से आत्महत्या के कारणों और उसकी रोकथाम विषयक जागरूकता आधारित कार्यक्रम आयोजित किये गए।

- इस कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित दवाइयाँ मानसिक रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
- प्रदेश के 24 जिलों के चिकित्सालय में मनोरोग विशेषज्ञ के माध्यम से टेलीकंसल्टेशन की सुविधा फरवरी 2022 से प्रारंभ की गई है। मानसिक टेलीकंसल्टेशन प्रत्येक शनिवार को प्रातः 9 से 11 बजे तक प्रदाय की जा रही है। माह अप्रैल 2022 से माह दिसंबर 2022 तक मानसिक टेलीकंसल्टेशन 45,177 हितग्राहियों को परामर्श सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जनमानस में जागरूकता एवं सेवा प्रदाय करने हेतु प्रदेश में दो टेलीमानस केन्द्र मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं ग्वालियर मानसिक आरोग्य शाला में प्रारम्भ किये गये हैं तथा मेनटोरिंग संस्थान एम्स भोपाल में स्थापित की गई है। इस सुविधा के माध्यम से मानसिक एवं भावनात्मक समस्याएं हेतु परामर्श सुविधा 24x7 उपलब्ध है।
- मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जनजागरूकता हेतु 2 वीडियो का निर्माण किया गया है। 01—मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवायें। 02—अवसाद एवं आत्महत्या रोकथाम। उक्त विडियो का सोशल मिडिया प्लेटफार्म के माध्यम से प्रचार—प्रसार किया गया।

॥ आयोडीन नमक का करें प्रयोग, बच्चे होंगे स्वस्थ निरोग ॥

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 28 जुलाई 2018 से प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य में Sustainable development goal (SDG) 3.3 प्राप्त करने के लिये वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम एवं नियंत्रण है। जिसका उद्देश्य 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस-सी को समाप्त करना है, एवं हेपेटाइटिस ए, बी, सी एवं ई के रोकथाम, जांच एवं उपचार करना है।

मध्यप्रदेश के 51 जिलों में ट्रीटमेंट सेंटर सहित नोडल अधिकारी एवं 4 मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर मेडिकल कॉलेज (इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर) में स्थापित किये जा चुके हैं।

इस कार्यक्रम के मुख्य घटक

- नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी का जीरो डोज टीकाकरण करना।
- समस्त गर्भवती महिलाओं का हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग करना।
- स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पायी गयी गर्भवती महिलाओं के नवजात शिशुओं को 24 घंटे के भीतर HBIG का टीकाकरण करना।
- हेपेटाइटिस बी एवं सी की स्क्रीनिंग एवं उपचार करना।
- हाई रिस्क ग्रुप एवं उनके साथ रहने वालों की स्क्रीनिंग एवं उपचार करना।
- स्वास्थ्य कर्मियों का हेपेटाइटिस बी का शतप्रतिशत टीकाकरण करना।

उपलब्धियां

- **गर्भवती महिलाओं की जाँच** – प्रदेश में 10,25,023 गर्भवती महिलाओं में हेपेटाइटिस बी की जाँच की गयी। जिसमें 5,249 महिलायें हेपेटाइटिस बी की जाँच में पॉजिटिव पाई गयी एवं 2,371 पॉजिटिव महिलाओं का संस्थागत प्रसव हुआ एवं 2,508 नवजात शिशुओं को HBIG का टीका 24 घंटे के अंदर लगाया गया।
- **हेपेटाइटिस बी** – 9,82,536 व्यक्ति की हेपेटाइटिस बी की जाँच की गयी, जाँच में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के वायरल लोड टेस्ट पश्चात 1,892 व्यक्ति उपचार योग्य पाए गए, जिसमें 1,738 व्यक्तियों का हेपेटाइटिस का उपचार प्रदान किया गया।
- **हेपेटाइटिस सी** – 8,46,837 व्यक्तियों की हेपेटाइटिस सी की जाँच की गयी, जाँच में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के वायरल लोड टेस्ट पश्चात 569 व्यक्ति उपचार योग्य पाए गए, जिसमें 524 व्यक्तियों को हेपेटाइटिस का उपचार प्रदान किया गया।
- प्रदेश की समस्त जेलों में 22,421 कैदियों की हेपेटाइटिस बी एवं 18,236 की हेपेटाइटिस सी की जाँच की गयी, जिसमें से पॉजिटिव कैदियों के वायरल लोड पश्चात उपचार योग्य पाए गए व्यक्तियों में 85 हेपेटाइटिस बी के एवं हेपेटाइटिस सी के 47 व्यक्तियों का उपचार प्रदान किया गया।
- स्वास्थ्य कर्मचारियों का हेपेटाइटिस बी की तीनों डोज़ से टीकाकरण किया जा रहा है।
- PLHIV (पेशेंट लिविंग विथ HIV पॉजिटिव), Drug अडिक्ट, गोदना वाले (Tattoo), Dialysis Thalassemia वाले रोगियों की स्क्रीनिंग एवं उपचार प्रदान किया जा रहा है।

॥ हेपेटाइटिस रोग से बचने के लिये टीके लगवाएँ ॥

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम

जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले विभिन्न प्रभाव/दुष्प्रभाव की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु विभागीय एवं अंतर्विभागीय रणनीति तैयार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्टेट एक्शन प्लान तैयार किया गया है। कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किये जाने हेतु राज्य स्तरीय गवर्निंग बॉडी, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स एवं जिला स्तरीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है।

- प्रत्येक जिले में कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों के सफल एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन के लिये जिला नोडल अधिकारी नामांकित किये गये हैं। सभी 52 नोडल आधिकारियों का कार्यक्रम के संचालन हेतु ऑनलाइन उन्मुखीकरण किया गया।
- प्रत्येक त्रैमास में समस्त जिला नोडल आधिकारियों एवं जिला ऐपिडेमियोलॉजिस्ट की वायु प्रदूषण, शीतघात, तापघात, लू, मौसमी बीमारियाँ आदि विषय पर ऑनलाइन उन्मुखीकरण किया गया।
- कार्यक्रम अंतर्गत गतिविधियाँ एवं वायु प्रदूषण विषय पर 379 मेडिकल ऑफिसर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष में वायु प्रदूषण, शीतघात, तापघात, लू, मौसमी बीमारियाँ कुल 501 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- कार्यक्रम अंतर्गत जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, शीतघात, तापघात, मौसमी बीमारियाँ बाढ़, सूखा आदि से होने वाले रोगों से बचाव एवं नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रचार-प्रसार की गतिविधियाँ हेतु वर्ष 2022 में राशि रुपये 86 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। उक्त अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न अभियान जैसे-विश्व अर्थ दिवस 5 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, 7 सितम्बर 2022 को 3rd International -Clean Air for Blue skies का आयोजन किया गया। वर्तमान में राशि रु. 36 लाख विभिन्न प्रचार-प्रसार गतिविधियों हेतु व्यय की गई।
- इन अभियानों के अंतर्गत 1 जून 2022 से 8 जून 2022 तक पर्यावरण सप्ताह, दिनांक 07 सितम्बर से 10 सितम्बर 2022 तक तृतीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस Clean Air for Blue skies सप्ताह मनाया गया। इन अभियानों अंतर्गत जिला अस्पताल से लेकर उप स्वास्थ्य केन्द्र तक स्वास्थ्य संस्थाओं पर संबंधित गतिविधियाँ संपन्न की गई।



अभियान के अंतर्गत राज्य तथा जिला स्तर से विभिन्न संचार माध्यमों (टी.वी, रेडियो) एवं सोशल मीडिया के माध्यम से वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम एवं इसको कम करने के संबंध में जानकारी दी गई तथा चिन्हित रेडियो स्टेशनों से सजीव फोन इन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। स्कूल एवं कॉलेजों में संबंधित विषयों पर गतिविधियाँ आयोजित की गई। स्वास्थ्य संस्थाओं में रंगोली प्रतियोगिता/वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियाँ संपादित की गई। स्वास्थ्य कर्मियों का पर्यावरण संरक्षण एवं वायु प्रदूषण विषय पर उन्मुखीकरण किया गया।



- भारत शासन से राशि रुपये 50 लाख की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य में 10 स्वास्थ्य संस्थाओं को Green and Climate Resilient Health centre के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्यप्रदेश उर्जा निगम के समन्वय से कार्य प्रचलन में है।
- कार्यक्रम अंतर्गत जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण आदि से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्परिणामों पर रिसर्च हेतु राशि रुपये 5 लाख स्वीकृत किये गये हैं। उक्त गतिविधि प्रचलन में है।

दिनांक 07 सितम्बर 2021 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस – Clean Air for Blue skies बनाया गया साथ ही 07 सितम्बर से 12 सितम्बर 2021 तक Clean Air for All सप्ताह में वायु प्रदूषण के विपरीत प्रभावों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जनजागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।

अभियान के अंतर्गत राज्य तथा जिला स्तर से विभिन्न संचार माध्यमों (टी.वी., रेडियो) एवं सोशल मीडिया के माध्यम से वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम एवं इसको कम करने के संबंध में जानकारी दी गई, तथा चिन्हित रेडियो स्टेशनों से सजीव फोन इन प्रोग्राम का आयोजन किया गया।

अभियान में आशाओं तथा विभिन्न महिला दलों को आंगनवाड़ी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्परिणाम एवं बचाव विषय पर उन्मुखीकरण किया गया ताकि ग्रामों में रहने वाली जनता को भी इस विषय पर जागरूक किया जा सके।

॥ पर्यावरण प्रदूषण को रोकें ॥

आयुष्मान भारत “निरामयम्” मध्यप्रदेश

भारत शासन द्वारा केन्द्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई थी, जिसके दो मुख्य स्तंभ हैं, देश में डेढ़ लाख हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना एवं 10 करोड़ परिवारों को रुपये 5 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना मध्यप्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन 23 सितम्बर 2018 से प्रारम्भ किया गया।

आयुष्मान भारत योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. प्रत्येक पात्र परिवार को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार की सुविधा।

आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु पात्रता

- योजना में सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना (SECC) में चिन्हित D-1 से D-7(D-6 को छोड़कर) वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार सम्मिलित होंगे एवं चिन्हित व्यवसाय आधारित शहरी परिवार सम्मिलित हैं। साथ ही कुछ श्रेणियों के परिवार स्वतः ही समावेशित हैं।
 - संबल योजना कार्ड धारक परिवार।
 - खाद्यान्न पात्रता पर्ची (ई-राशन कार्ड) धारक परिवार
 - भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल म.प्र. अन्तर्गत पंजीयक श्रमिक एवं उनके परिवार जन।
 - भोपाल गैस पीड़ित (भोपाल गैस राहत विभाग द्वारा प्रदत्त डाटा अनुसार)।
2. आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजनान्तर्गत कुल पात्र परिवारों की संख्या 1,08,61,653 एवं पात्र हितग्राहियों की संख्या 4,70,191,64 है। इनमें से सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना (SECC) में चिन्हित हितग्राही परिवारों की संख्या 93,27,963 है।
 3. आयुष्मान कार्ड निम्न स्थानों पर बनाये जा सकते हैं
 - कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) कियोस्क पर निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकते हैं।
 - लोक सेवा केन्द्र (LSK) पर शुल्क रु. 30/- प्रति कार्ड।
 - पंचायतों में चिन्हित ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा भी आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाते हैं।
 - चिकित्सालय में भर्ती होने वाले पात्र हितग्राहियों का कार्ड न होने की स्थिति में, हितग्राही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना कार्ड सम्बद्ध चिकित्सालय में ही निःशुल्क बनवा सकते हैं।
 - समय-समय पर कार्ड बनाने के विशेष अभियानों में आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाते हैं।
 4. पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज
 1. परिवार समग्र आईडी/राशन कार्ड।

2. फोटो आई-डी जैसे:- आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्रायविंग लाईसेंस, पासपोर्ट एवं सरकार द्वारा मान्य पहचान-पत्र इत्यादि।
5. **सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना (SECC)** में चिन्हांकित लाभार्थियों के उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत तथा राज्य शासन द्वारा 40 प्रतिशत व्यय भार वहन किया जाता है तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा उक्त योजना में जोड़े गये अन्य लाभार्थियों के उपचार पर होने वाले व्यय राशि का 100 प्रतिशत का वहन किया जाता है।
6. **इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट ऐजेंसी (ISA)**
 - योजनान्तर्गत राज्य में प्रभावशाली क्रियान्वयन की दृष्टि से राज्य को दो Cluster में बांटते हुये पृथक से 2 IRDA iath—r Third Party Administrator (Vidal health and FHPL) dks ISA के रूप में संबद्ध किया है।
 - उक्त ऐजेंसी द्वारा अपने-अपने Cluster में राज्य के 26-26 जिलों में योजना के क्रियान्वयन हेतु जिले में District Coordinator पदस्थ किया है।
 - उक्त ऐजेंसी द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त उपचारों का परीक्षण किया जाकर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
7. **Beneficiary Facilitation Agency (BFA)**
 - आयुष्मान भारत की जनहितकारी गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से माह दिसम्बर 2021 में Beneficiary Facilitation Agency (BFA) MD India को योजना के क्रियान्वयन हेतु लाया गया।
 - BFA द्वारा हितग्राहियों को सुविधा सहयोग प्रदान करने के लिये सम्बद्ध शासकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान मित्रों को नियुक्त किया गया है। आयुष्मान मित्र पात्र हितग्राहियों को सही उपचार प्रदाय कराने में सहयोग प्रदान करते हैं तथा ऐसे हितग्राहियों का आयुष्मान कियोस्क में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। आयुष्मान मित्र चिकित्सालयों को Bio Auth मरीज का पंजीयन Pre Auth o Claim तैयार करने में भी सहयोग प्रदान करते हैं तथा किसी हितग्राही को उपचार के दौरान कोई भी परेशानी होती है तो उसका समाधान उपलब्ध कराते हैं। इस हेतु आवश्यक संरक्षण कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं उसका रखरखाव भी BFA द्वारा किया जाता है। —
8. **सम्बद्धता प्रक्रिया**
 - आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजनान्तर्गत निजी चिकित्सालयों को सम्बद्ध करने हेतु अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इम्पेनलमेन्ट समिति का गठन किया गया है।

- योजनान्तर्गत सम्बद्धता हेतु शासकीय/निजी चिकित्सालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों को ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।
- समस्त शासकीय चिकित्सालयों, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को स्वतः ही योजनान्तर्गत सम्बद्ध किया गया है।
- आयुष्मान भारत “निरामयम्” के पात्र हितग्राहियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की योजनान्तर्गत सम्बद्धता हेतु पूर्व में निर्धारित NABH प्रमाणपत्र की वैधता को शिथिल करते हुये सम्बद्धता हेतु नये दिशा निर्देश लागू किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत ऑनलाईन संपादित Non-NABH निजी चिकित्सालयों का भौतिक सत्यापन संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जाता है, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर राज्य स्तरीय इम्पेनलमेन्ट समिति द्वारा चिकित्सालयों को योजनान्तर्गत सम्बद्धता हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है। प्रथम चरण में सभी जिला अस्पतालों और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को सम्बद्ध किया गया। द्वितीय चरण में 69 सिविल अस्पतालों एवं 308 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को योजनान्तर्गत सम्बद्ध किया गया है, शेष चिकित्सालयों को सम्बद्ध करने की कार्यवाही प्रचलन में है।
- चिकित्सालयों को सम्बद्ध करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयुष्मान भारत “निरामयम्” की आधिकारिक वेबसाइट www.ayushmanbharat.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
- आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजनान्तर्गत सम्बद्ध चिकित्सालयों की दिनांक 01.02.2023 तक की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	चिकित्सालयों का प्रकार	इम्पेनल हॉस्पिटल की संख्या
शासकीय चिकित्सालय		
1.	जिला चिकित्सालय	51
2.	सिविल अस्पताल	69
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	308
4.	मेडिकल कॉलेज	13
5.	सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल	03
6.	गैस राहत अस्पताल	05
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	09
भारत सरकार से सम्बद्ध शासकीय चिकित्सालय		32
शासकीय चिकित्सालय का योग		490
निजी चिकित्सालय का योग		540
महायोग		1030

9. प्रगति – आयुष्मान कार्ड

- योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31 जनवरी 2023 तक लगभग 3.50 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाये गये। कुल पात्र हितग्राहियों में से लगभग 74.50% आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।
- योजनान्तर्गत लगभग 99.84% पात्र हितग्राही परिवारों में कम से कम 01 सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है।
- उपरोक्तानुसार जारी किये गये कुल कार्ड में से 99% कार्ड आधार सत्यापित हैं।
- सुविधा की दृष्टि से अब BIS 2.0 अन्तर्गत Mobile App के माध्यम से भी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाना प्रारम्भ हो चुके हैं।

10. उपचार हेतु नियत पैकेज

- आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजनान्तर्गत HBP 2.2 हेल्थ बनेफिट पैकेज को लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत 23 विषय विशेषज्ञताओं में विभिन्न बीमारियों के उपचार हेतु लगभग 2176 पैकेजेस उपलब्ध हैं। कुल 191 पैकेजेस को शासकीय चिकित्सालयों हेतु आरक्षित किया गया है।
11. योजना अन्तर्गत गंभीर बीमारियाँ जैसे कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण एवं कूल्हा प्रत्यारोपण, जच्चा-बच्चा संबंधित रोगों, निसंतानता (IVF), उच्च जोखिम गर्भावस्था (Risk Pregnancy), डायलेसिस एवं कीमोथेरेपी का उपचार संभव है।
12. इलाज पर अस्पताल मनमाने तरीके से वसूली न कर सकें और लागत नियंत्रण रखी जा सके इसके लिए इलाज संबंधी Package Rate सरकार ने पहले ही तय कर दिये हैं, जिसमें योजना अन्तर्गत भर्ती पात्र हितग्राहियों के उपचार संबंधी सभी तरह की दवाईयाँ, कन्ज्यूमेबल्स, जांचे, भोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भर्ती दिनांक से 07 दिवस पूर्व होने वाली सम्पूर्ण जांचे एवं डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का फालोअप दवाईयाँ भी पैकेज राशि में सम्मिलित हैं।

13. अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही

- विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर, परीक्षण उपरांत कार्यवाही करते हुये सम्बद्ध संबंधित चिकित्सालयों पर कुल राशि रु. 2.46 करोड़ का अर्थदण्ड लगाया गया।
- स्टेट एन्टी फ्रॉड यूनिट का गठन किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त धोखाधड़ी के प्रकरणों का परीक्षण किया जाता है एवं नियमानुसार अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। इस प्रकार विभिन्न जिलों के कुल 3 निजी चिकित्सालयों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये उन्हें योजना से असम्बद्ध किया जा चुका है। योजनान्तर्गत निरीक्षण/अंकेक्षण सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है। जिसमें नवम्बर 2022 तक 26 निजी चिकित्सालयों को योजना से असंबद्ध किया है एवं 113 चिकित्सालयों के विरुद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

14. विशेष उपलब्धियां

- आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश पूरे देश में 3.50 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रथम स्थान पर है।
- प्रदेश को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 25 सितम्बर 2022 को सम्मानित किया है।
- लगभग 21 लाख पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है।
- आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजनान्तर्गत हेल्थ बनेफिट पैकेज HBP 2.2 को लागू किया गया।
- मध्य प्रदेश राज्य को आयुष्मान भारत अंतर्गत नवाचार और सर्वोत्तम विधियों को अपनाने के लिए सितम्बर 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया गया है।

15. आयुष्मान कियोस्क

- आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत सम्बद्ध समस्त शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कियोस्क (आयुष्मान कियोस्क) बनाया गया है, जहां पदस्थ आयुष्मान मित्र से सम्पर्क कर योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त समस्त जानकारीयां आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाईट www.ayushmanbharat.mp.gov.in/ www.pmjay.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

16. **कॉल सेंटर की स्थापना**— हितग्राहियों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से Inbond Outbound- Call Center स्थापित किया गया है, जो 24x7 आधार पर सातों दिन कार्यरत रहता है, कॉल सेंटर के माध्यम से हितग्राहियों से सम्पर्क कर उनके Feed Back भी प्राप्त किये जाते हैं। हितग्राही 24x7 कॉल सेंटर के टोल फ्री नम्बर 14555/18002332085 पर निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

॥ स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान ॥

हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर मध्यप्रदेश “आरोग्यम”

जनसमुदाय को उनके निवास के समीप बेहतर एवं व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में विकसित किया गया है जिन्हें “आरोग्यम” नाम दिया गया है। “आरोग्यम” स्वास्थ्य केन्द्रों में न सिर्फ वर्तमान में प्रदाय की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा रहा है बल्कि तेजी से बढ़ रहे हाई ब्लडप्रेसर, डायबिटीज तथा कैंसर के अतिरिक्त अन्य रोगों से संबंधित सेवायें भी बीमारियों की समय पूर्व पहचान एवं उपचार भी उपलब्ध करायी जा रही है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर बेहतर सेवा प्रदायगी हेतु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को पदस्थ किया गया है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स पर निम्नानुसार आवश्यक जांचें तथा औषधियों की निःशुल्क उपलब्धता कराई जा रही हैं—

- **लैबोरेटरी जांचे** — प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 45 तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र पर 11 प्रकार की।
- **आवश्यक औषधियां** — प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 299 तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र पर 126 प्रकार की।

“आरोग्यम” हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्रों पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने से नागरिकों को अनावश्यक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी तथा उनके जेब खर्च को कम किया जा सकेगा, साथ ही उच्च स्तरीय संस्थाओं पर पड़ने वाले मरीजों के दबाव को भी कम किया जा सकेगा। वर्ष 2022-23 में लक्षित एवं क्रियाशील संस्थाओं की स्थिति निम्नानुसार है:—

संस्था	लक्ष्य	क्रियाशील	क्रियाशील संस्थाओं का प्रतिशत
PHCs	1171	1125	96%
UPHCs	313	280	89%
SHCs	10629	10036	94%
Total	12113	11441	94%

मार्च-2023 तक सभी लक्षित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स को कार्यशील किया जायेगा। “आरोग्यम” प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर निम्नानुसार 12 सेवाएं उपलब्ध रहेंगी:—

1. गर्भावस्था में देखभाल एवं प्रसव सेवाएं।
2. नवजात शिशु की देखभाल।
3. बाल्य व किशोर स्वास्थ्य सेवाएं।
4. परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं।
5. संक्रामक रोगों का इलाज।
6. सामान्यत होने वाली संक्रामक बीमारियों हेतु ओपीडी सेवाएं तथा इलाज।

7. असंचारी रोगों (उच्चरक्तचाप, मधुमेह तथा कैंसर) की स्क्रीनिंग, रोकथाम, नियंत्रण व प्रबंधन।
8. आंख नाक, कान एवं गले से संबंधित प्राथमिक सेवाएं।
9. मुख स्वास्थ्य हेतु प्राथमिक सेवायें।
10. वृद्धावस्था में देखभाल।
11. आपातकालीन मेडिकल सेवाएं।
12. मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रारंभिक परामर्श एवं रेफरल सेवायें।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर कार्यक्रम अंतर्गत आरोग्यम स्वास्थ्य केन्द्रों पर बेहतर स्वास्थ्य एवं रोगों से बचाव के लिये निम्नलिखित गतिविधियां के संचालित की जा रही हैं—

- योग एवं वेलनेस गतिविधियां
- राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन
- फिट हेल्थ वर्कर अभियान
- फिट इंडिया अभियान



प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लीनिक का शुभारंभ

गैरसंचारी रोगों की जाँच परीक्षण एवं उपचार हेतु सभी आरोग्यम हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में नियमित रूप से सप्ताह के प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को 30 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों की गैर संचारी रोग पहचान हेतु निःशुल्क जाँच एवं स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में निम्नानुसार उपलब्धि प्राप्त की गई—

- कुल 1.44 करोड़ व्यक्तियों को पंजीबद्ध किया गया।
- कुल 6,353 लाख व्यक्तियों की गैर संचारी रोगों की जाँच की गई।

दिनांक 12 दिसम्बर 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर वाराणसी में आयोजित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को हेल्थ एण्ड वैलनेस सेण्टर के ऑपरेशनल करने में प्रथम पुरस्कार एवं प्रदेश द्वारा सर्वाधिक हितग्राहियों की आभा आईडी बनाने में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को हेल्थ एण्ड वैलनेस सेण्टर के ऑपरेशनल करने में प्रथम पुरस्कार

॥ मध्यप्रदेश ने ठाना है हर नागरिक को स्वस्थ बनाना ॥

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

प्रदेश में एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम के लिये 14 जुलाई 1998 को म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति का रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अधीन हुआ था। समिति लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली के नीति निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करती है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

समिति के उद्देश्य

समिति मुख्यतः राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को मध्यप्रदेश में संचालित करने हेतु गठित की गई है। यह शासन के अधीन कार्यरत संस्था है तथा शत प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। समिति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- एच.आई.वी. संक्रमण के प्रसार की रोकथाम तथा उससे होने वाली मृत्यु को घटाना।
- जन सामान्य में सूचना, शिक्षा एवं संचार द्वारा एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरूकता एवं उच्च जोखिम समूहों के लिए लक्ष्य उद्देशित मध्यस्थता द्वारा व्यवहार परिवर्तन करना।
- रक्त एवं रक्त उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रक्तदान प्रणाली को मजबूत करना एवं स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करना।
- यौन संचारित संक्रमणों का नियंत्रण एवं यौन मार्ग से होने वाले एच.आई.वी. संक्रमण की रोकथाम हेतु कण्डोम के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन कर निःशुल्क एच.आई.वी.परामर्श एवं जांच सेवा उपलब्ध कराना।
- एच.आई.वी. जैसे वायरल संक्रमण को दवाई द्वारा नियंत्रित करने के लिये ए0आर0टी0 केन्द्रों की स्थापना कर उपचार उपलब्ध कराना।
- एच.आई.वी. संक्रमित एवं प्रभावित व्यक्तियों के प्रति होने वाले भेदभाव एवं कलंक को समाप्त करने हेतु आवश्यक प्रयास करना।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः निम्नानुसार घटक निर्धारित हैं:-

क्र.	घटक/उपघटक
1	रोकथाम
1.1	लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना
1.2	यौन संचारित संक्रमण
1.3	रक्त सुरक्षा
1.4	सूचना शिक्षा एवं संचार तथा मुख्यधारा
1.5	आईसीटीसी/पीपीटीसीटी/एचआईवी-टीबी
1.6	लिंक वर्कर स्कीम

1.7	लैब सर्विसेज
2	देखभाल, सहायता और उपचार ;एआरटी, लिंक एआरटी सर्विसेस
3	संस्थागत सुदृढ़ीकरण
4	स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम / एम एण्ड ई और एचएसएस

एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र (आईसीटीसी)

मध्यप्रदेश में एच.आई.व्ही. जांच एवं परामर्श की सुविधा जन सामान्य के साथ ही उच्च जोखिम समूहों, गर्भवती महिलाओं, यौन रोगियों एवं क्षय रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 246 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र (आई.सी.टी.सी.) में से 238 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 7 जेल आई.सी.टी.सी. एवं 8 पी.पी.पी. आई.सी.टी.सी. भी संचालित हैं।

एच.आई.व्ही. जांच सुविधाओं के विस्तार हेतु पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप स्कीम के अंतर्गत भी एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र संचालित हैं। एन.एच.एम. के समन्वय से फेसिलिटी इंटिग्रेटेड काउंसलिंग एवं टेस्टिंग सेंटर (एफ.आई.सी.टी.सी.) अन्य शासकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 तक इन आई.सी.टी.सी. एवं एफ.आई.सी.टी.सी. केन्द्रों के माध्यम से निम्नानुसार जांचें हुई :-

- जनसामान्य की कुल जांच — 10,86,433
- कुल प्रतिवेदित एच.आई.व्ही. संक्रमित (जनसामान्य) — 3,616

पीपीटीसीटी कार्यक्रम —

एच.आई.व्ही. संक्रमित माता-पिता से उनके गर्भस्थ शिशु में होने वाले एच.आई.व्ही. संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन (पी.पी.टी.सी.टी.) कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एच.आई.व्ही. संक्रमित गर्भवती महिलाओं को एच.आई.व्ही. परामर्श, जांच, सुरक्षित प्रसव के साथ ही आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रदेश के 238 शासकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित आई.सी.टी.सी./पी.पी.टी.सी.टी. केन्द्रों पर एच.आई.व्ही. संक्रमित महिला से जन्मे बच्चों की एच.आई.व्ही. जांच के लिए अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस (ई.आई.डी.) की सुविधा भी उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 तक इन आई.सी.टी.सी. एवं एफ.आई.सी.टी.सी. केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की निम्नानुसार जांचें हुई :-

- गर्भवती महिलाओं की कुल जांच — 13,57,451
- कुल प्रतिवेदित एच.आई.व्ही. संक्रमित (गर्भवती महिलाएं/प्रसव पश्चात/धात्री महिलाएं सहित) — 341

एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी केन्द्र (ए.आर.टी.)

मध्यप्रदेश में एच.आई.वी. संक्रमित पात्र व्यक्तियों के उपचार एवं उन्हें निःशुल्क दवायें उपलब्ध कराने के लिए 27 ए.आर.टी. केन्द्र एवं 01 एफ.आई.ए.आर.टी. केन्द्र कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. इनमें से 07 ए.आर.टी. केन्द्र, चिकित्सा महाविद्यालय-इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर एवं शहडोल में कार्यरत हैं।
2. 01 ए.आर.टी. केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल में कार्यरत है।
3. 15 ए.आर.टी. केन्द्र, जिला चिकित्सालय-खण्डवा, मंदसौर, सिवनी, नीमच, धार, बुरहानपुर, रतलाम, बड़वानी, बालाघाट, शिवपुरी, देवास, छिंदवाड़ा, मुरैना, सतना, सीधी में कार्यरत हैं।
4. 04 प्रायवेट ए.आर.टी. केन्द्र, आर.गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय-उज्जैन, अमलतास मेडिकल कॉलेज-देवास, एल.एन. मेडिकल कॉलेज-भोपाल एवं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज-इन्दौर में कार्यरत हैं।
5. इसके साथ ही 01 एफ.आई.ए.आर.टी. केन्द्र, जिला चिकित्सालय, खरगौन में कार्यरत है।
6. 01 ए.आर.टी. केन्द्र, जिला चिकित्सालय, बैतूल में शीघ्र ही आरंभ किया जा रहा है।

इसके साथ ही राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा स्वीकृत 04 ए.आर.टी. केन्द्र-होशंगाबाद, भिण्ड, गुना एवं मण्डला में आरंभ किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

माह दिसम्बर 2022 की स्थिति में ए.आर.टी. केन्द्रों में 35,153 पी.एल.एच.आई.वी. उपचाररत हैं।

लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं

प्रदेश में एचआईवी/एड्स के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं संचालित की जाती हैं। प्रदेश में दिसम्बर 2021 तक की स्थिति में 68 अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

लिंक वर्कर स्कीम

ग्रामीण क्षेत्रों में एचआईवी/एड्स से बचाव एवं संक्रमण की रोकथाम के उपायों की जानकारी, उपलब्ध सुविधाओं से ग्रामीण अंचल के उच्च जोखिम समूहों एवं ब्रिज पापुलेशन के समुदायों को जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश के 09 जिलों क्रमशः बड़वानी, बालाघाट, टीकमगढ़, पन्ना, जबलपुर, मंदसौर, उज्जैन, भिण्ड एवं छिन्दवाड़ा में अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से लिंक व क्रर स्कीम का संचालन किया जा रहा है।

ओएसटी केन्द्र

प्रदेश में सुई से नशा करने वाले उच्च जोखिम समूह को एचआईवी/एड्स से बचाव एवं रोकथाम हेतु नाको के निर्देशों के अनुसार ओएसटी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 12 ओएसटी केन्द्र भोपाल, रीवा, जबलपुर, इटारसी, सीधी, सीहोर, नरसिंहपुर, छतरपुर, पन्ना, सतना,

होशंगाबाद एवं उज्जैन जिलों में एवं 04 एन.जी.ओ. ओ.एस.टी. केन्द्र अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं। साथ ही 01 सेटेलाईट ओ.एस.टी. केन्द्र सेंट्रल जेल भोपाल में संचालित है।

जेल इंटरवेंशन

सुभिक्षा प्लस एचआईवी-टीबी जेल इंटरवेंशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की सभी जेलों में प्रवेशरत एवं निवासरत समस्त बंदियों हेतु एचआईवी-टीबी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई एवं बंदियों की एचआईवी जांच कराई गई। वित्तीय वर्ष अप्रैल से दिसम्बर 2022 तक प्रदेश की प्रत्येक केन्द्रीय जेल, जिला जेल, उप जेलों में कुल प्रवेशित बंदियों की संख्या 1,47,973 जिनमें से 1,22,130 बंदियों की एचआईवी जांच कराई गई, जिसमें से 151 एचआईवी संक्रमित पाए गए जिनमें से 136 (90 प्रतिशत) का एआरटी केन्द्रों पर उपचार हेतु पंजीयन कराया गया। कुल 1,25,216 (85 प्रतिशत) बंदियों की टीबी हेतु स्क्रीनिंग कराई गई जिसमें 165 टी.बी. के मरीज पाए गए तथा 165 का उपचार प्रारंभ किया गया।

यौन एवं प्रजनन संक्रमणों का प्रबंधन

एस.टी.आई. घटक के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 66 एस.टी.डी. क्लीनिक जिला स्तर के अस्पताल एवं बड़े सिविल अस्पताल तथा मेडिकल कालेज स्तर के अस्पतालों में संचालित हैं, जिन्हें सुरक्षा क्लीनिक के नाम से जाना जाता है। चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर एवं भोपाल में एस.टी.आई. स्टेट रेफरेंस सेंटर स्थापित हैं।

एस.टी.डी. केन्द्रों में यौनजनित रोगों की निःशुल्क जांच, परामर्श एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इन केन्द्रों में यौन रोगों को लाक्षणिक आधार पर उपचार प्रदान किया जाता है। इसके लिये लक्षणों के आधार पर अलग-अलग बीमारियों के लिये 7 प्रकार की कलर कोडेड मेडिसिन किट्स एस.टी.डी. केन्द्रों में उपलब्ध कराई गई हैं। सभी एस.टी.आई. रोगियों एवं गर्भवती महिलाओं की सिफलिस स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित हैं, जिसके लिये निःशुल्क आर.पी.आर. टेस्ट किट्स केन्द्रों को उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षित चिकित्सकों के माध्यम से उपचार किया जा रहा है। उपलब्ध कराई गई मेडिसिन किट्स की संपूर्ण जानकारी के चार्ट्स सुलभ संदर्भ हेतु चिकित्सकों को उपलब्ध कराये गये हैं। प्रत्येक केन्द्र पर एस.टी.आई. परामर्शदाता नियुक्त है, जिसके सहयोग से रोगी सुरक्षा क्लीनिक के माध्यम से प्रदाय की जा रही सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। खण्ड स्तर पर भी प्रशिक्षित चिकित्सकों के माध्यम से एस.टी.आई. सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिसके लिये जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कर चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

वर्ष 2022-23 में (अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक) एस.टी.डी. केन्द्रों के माध्यम से कुल यौन रोग उपचारित मरीजों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	संख्या
1.	एस.टी.आई. फुटफॉल	3,53,317
2.	यौन रोग उपचार	2,41,199
3.	गर्भवती महिलाओं की सिफलिस जांच	2,35,986

एस.टी.आई. गतिविधियों के अंतर्गत चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, लेब टेक्नीशियन एवं परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

एस.टी.डी. केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता के आंकलन एवं आवश्यक सुधार हेतु समिति के अधिकारियों द्वारा सुपरवाइजरी विजिट की जाती है।

सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम (आई.ई.सी.)

सूचना, शिक्षा एवं संचार का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी) में बहुत महत्व है। नये संक्रमणों की रोकथाम के लिए जनसामान्य को जागरूक करना, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध परामर्श, जांच एवं उपचार सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना ताकि अधिक से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ ले सकें तथा जो लोग एच.आई.वी संक्रमित हैं उनके प्रति समाज में कलंक और भेदभाव की भावना को समाप्त कर सकारात्मक वातावरण का निर्माण सूचना शिक्षा संचार के माध्यम से किया जाता है।

रेड रिबन क्लब :- युवाओं के बीच एच.आई.वी-एड्स जागरूकता एवं स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग की एनएसएस इकाई के समन्वय से प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में 700 रेड रिबन क्लब संचालित किये जा रहे हैं। इन क्लबों में एच.आई.वी-एड्स जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां एवं रक्तदान शिविरों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास किये जाते हैं। सभी महाविद्यालयों में क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय, विश्वविद्यालय स्तरीय एवं प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में युवाओं ने सहभागिता की।

सोशल मीडिया के माध्यम से समिति की गतिविधियों एवं एचआईवी/एड्स से बचाव, उपचार संबंधी संदेश प्रसारित किये गये।

लैब सर्विसेस

प्रदेश में एचआईवी जांच की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए चार स्टेट रेफरेंस लैब, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर व ग्वालियर एवं एन.आई.आर.टी.एच. जबलपुर में स्थापित हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से वर्ष में चार बार एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस के माध्यम से एच.आई.वी. जांच की गुणवत्ता को जांचा जाता है। साथ ही लैब टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

• कुल स्टेट रेफरेंस लैब	—	04
• एन.ए.बी.एल. एक्रीडेटेड लैब	—	01
• वायरल लोड लैब (इंदौर)	—	01

॥ जानकारी ही बचाव है ॥

भाग-चार

1. मानव संसाधन
2. मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना, 2020
3. स्वास्थ्य संस्थाओं की अधोसंरचना (भवन)
4. नर्सिंग प्रशिक्षण
5. विभागीय प्रशिक्षण
6. उपकरण रखरखाव एवं मॉनिटरिंग तंत्र
7. सीटी स्कैन जांच सुविधा
8. चिकित्सा प्रतिपूर्ति
9. राज्य रक्ताधान परिषद
10. खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश

मानव संसाधन

प्रदेश में चिकित्सक संवर्ग की वर्तमान स्थिति 31.01.2023

संवर्ग	नियुक्ति का प्रकार	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
विशेषज्ञ	नियमित	3618	1147	2471
चिकित्सा अधिकारी	नियमित	5097	3378	1719
दंत चिकित्सक	नियमित	561	119	442

- 193 दंत चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 14.03.2022 को विज्ञापन जारी किया गया है। चयन सूची अप्राप्त है।
- विगत 02 चयन सूची में माननीय न्यायालयीन निर्णय के अधीन 29+234 कुल 263 पद ओ.बी.सी. संवर्ग हेतु रिजर्व हैं। 1456 रिक्त पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी।

॥ जीवन है सबका अनमोल, दस्त में दें ओ.आर.एस. का घोल ॥

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2020

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष रूप से स्टेन्ड-अलोन हेल्थ केयर केन्द्रों की स्थापना करना राज्य के अल्पविकसित जिलों में, मल्टी स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को विकसित करना है। मध्यप्रदेश में चिकित्सा और नर्सिंग स्टॉफ की संख्या एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना को बढ़ावा देकर और नर्सिंग को प्रोत्साहित करके कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और स्पेशलिटी नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू करना है। 2019 को सापेक्ष में "नई नीति" कहा गया है और इसका शीर्षक होगा। "मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2020"

संचालन — यह योजना 27 नवम्बर 2019 से प्रभावी है एवं इसका संचालन कम से कम 05 वर्ष की अवधि तक बना रहेगा अथवा जब तक कि यह योजना या पॉलिसी सरकार द्वारा वापस नहीं ली जाती या प्रतिस्थापित नहीं की जाती।

पात्र चिकित्सा संस्थान

क्र.	संस्था का प्रकार	बिस्तरों की क्षमता	न्यूनतम पूंजी निवेश
1.	मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय ग्रेड-1 2 या 2 से अधिक स्पेशलिटी केयर	30	05 करोड़
2.	मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय ग्रेड-2 2 या 2 से अधिक स्पेशलिटी केयर	100	15 करोड़
3.	सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान स्पेशलिटी केयर हेतु न्यूनतम 25 प्रतिशत बिस्तर सुपर स्पेशलिटी केयर के लिए आरक्षित	50	12 करोड़
4.	मेडिकल कॉलेज/नर्सिंग कॉलेज	—	150 करोड़
5.	स्टेन्ड अलोन हेल्थ केयर सेंटर		50 लाख

कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं—

- मौजूदा चिकित्सा प्रतिष्ठान की क्षमता का विस्तार या उन्नयन टर्सरी हेल्थ केयर के रूप में नैदानिक और उपचार सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये पात्र होगा।
- मौजूदा चिकित्सा संस्थान मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-1) या मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-2) अपनी बिस्तर संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं। (50 प्रतिशत वृद्धि)
- मौजूदा सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान जो अपनी बिस्तर क्षमता का विस्तार करना चाहते हैं। (50 प्रतिशत वृद्धि)

- मौजूदा चिकित्सा संस्थान या मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-1) अपनी क्षमता का विस्तार सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान में करना चाहते हैं। (50 प्रतिशत वृद्धि)
- मौजूदा चिकित्सा संस्थान या मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-1) टर्सरी हेल्थ केयर समकक्ष सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान के रूप में करना चाहते हैं, नैदानिक एवं उपचार सुविधाओं का उन्नयन करना होगा। (बेड क्षमता का विस्तार किये बिना)
- मौजूदा चिकित्सा संस्थान या मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-2) वर्तमान बिस्तर की क्षमता का विस्तार मौजूदा अस्पताल के बिस्तर की क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत बिस्तर की वृद्धि करना होगी एवं कुल बिस्तरों की संख्या कम से कम 150 होगी।
- विस्तार एवं उन्नयन करने वाले चिकित्सा संस्थान को न्यूनतम निवेश करने की शर्त प्रचलित नहीं होगी।

पात्र आवेदक

- निवेशक निम्नलिखित श्रेणी के निवेशक इस योजना के तहत लाभ या प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-1), मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-2), सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान एवं स्टेन्ड-अलोन हेल्थ केयर केन्द्र
 - चिकित्सा स्नातक जो सक्षम प्राधिकार में पंजीकृत हो या
 - साझेदारी या संबंधित भारतीय नियम के अंतर्गत पंजीकृत कॉर्पोरेट
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रचलित नियमों के अधीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मौजूदा नर्सिंग कॉलेज जिनके स्वयं के अस्पताल बेड और नये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम या सुपर स्पेशलिटी नर्सिंग कोर्सेस जिनकी अवधि कम से कम एक वर्ष हो तथा जो म.प्र. नर्सिंग कॉउंसिल से मान्यता प्राप्त हो।

पूँजीगत अनुदान

- **किस्त-1** 25% निवेश प्रोत्साहन समिति की सैद्धांतिक मंजूरी।
- **किस्त-2** 25% NABH मान्यता प्राप्त/NABL मान्यता प्राप्त/AERB का प्रमाणन जहां लागू हो।
- **किस्त-3** 50% राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (SLEC)
- **टीप** — स्टेन्ड-अलोन हेल्थ केयर केन्द्र की श्रेणी के लिये NABH मान्यता/NABL मान्यता/AERB का प्रमाणन लागू नहीं होती है, वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर पहली किस्त के रूप में 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त की जावेगी।

मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज

माईलस्टोन	दस्तावेज
शैक्षणिक बैच का पहला शैक्षणिक सत्र	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा शिक्षा विभाग की निवेश प्रोत्साहन समिति द्वारा सिद्धांतिक रूप से अनुमोदन। प्रवेश रिकार्ड परीक्षा के परिणाम
बाद के शैक्षणिक बैच के शैक्षणिक सत्र	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा शिक्षा विभाग की निवेश प्रोत्साहन समिति द्वारा सिद्धांतिक रूप से अनुमोदन। प्रवेश रिकार्ड परीक्षा के परिणाम

नोट— पचास हजार प्रति सीट की वित्त सहायता का भुगतान नर्सिंग कॉलेजों को वार्षिक रूप से किया जायेगा।

विस्तार/उन्नयन अनुदान

- टर्सरी हेल्थ केयर केन्द्र के नैदानिक एवं उपचार सुविधाओं के विस्तार के लिय अनुसूची-सी के अनुरूप
- मल्टी स्पेशलिटी (ग्रेड-1) क्षमता का विस्तार ग्रेड-2 में करता है।
- सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान बिस्तर की क्षमता का विस्तार 50 प्रतिशत करता है।
- मल्टी स्पेशलिटी (ग्रेड-1) अपनी क्षमता का विस्तार सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान में करता है।
- स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-1) या मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-2) टर्सरी केयर केन्द्र के रूप में करता है।
- मल्टी स्पेशलिटी (ग्रेड-2) बिस्तर की क्षमता का विस्तार 50 प्रतिशत करता है। कुल बिस्तर की संख्या 150 तक
- मौजूदा ईमारत को चिकित्सा संस्थान में बदलने या संचालन के मामले में एक अक्रियाशील चिकित्सालय उसको नया चिकित्सा संस्थान माना जायेगा।
- स्टेन्ड-अलोन हेल्थ केयर केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन एवं विस्तार के मामलों में पूंजीगत अनुदान का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

भूमि का आवंटन

- प्रोत्साहन का संवितरण भूमि के मूल्य पर रियायती दर के रूप में होगा, चिकित्सा संस्थान के नाम पर भूमि आवंटन की जावेगी, आवेदक द्वारा अवशिष्ट राशि (रियायत के बाद) और

दिशानिर्देशों के अधीन भूमि आवंटन के लिये नीति में निर्धारित दिनांक 30 मई 2013 (के रूप में समय-समय पर संशोधित नीति जो कि राजस्व विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी किया जाता है।)

- नये पात्र चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के लिये भूमि आवंटित की जायेगी। मौजूदा चिकित्सा संस्थानों के विस्तार के लिये कोई भूमि आवंटित नहीं की जायेगी।
- श्रेणी-ए जिलों में भूमि का आवंटन नगरीय क्षेत्र के बाहर किया जावेगा।
- म.प्र. शासन उन आवेदकों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता देगी जोकि, श्रेणी- बी एवं सी जिलों में चिकित्सा संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव रखते हैं।
- भूमि के आवंटन पर मिलने वाली कुल रियायत की दर 25 प्रतिशत कुल पूंजी निवेश की राशि से अधिक नहीं होगी।

॥ एक ही माँ की हैं संतान, बेटा-बेटी एक समान ॥

स्वास्थ्य संस्थाओं की अधोसंरचना (भवन)

जिला चिकित्सालयों में निम्नानुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये

- जिला चिकित्सालय रायसेन का 200 से 300 बिस्तरीय अस्पताल भवन में उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया।
- जिला चिकित्सालय कटनी का 200 से 300 बिस्तरीय अस्पताल भवन में उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया।
- जिला चिकित्सालय सतना में 2 मॉड्यूलर एवं 2 नॉन मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में 2 मॉड्यूलर एवं 1 नॉन मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- जिला चिकित्सालय मुरार में मेटरनिटी विंग का निर्माण/उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया।
- 8 जिला चिकित्सालयों में वैक्सीन स्टोर/ड्रग स्टोर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- 4 जिला चिकित्सालयों में डीईआईसी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- 2 जिला चिकित्सालयों में लाण्ड्री का निर्माण/उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया।

सिविल अस्पतालों में निम्नानुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये

- I. सिविल अस्पताल आमला जिला बैतूल का 30 बिस्तर से 60 बिस्तरीय अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- II. सिविल अस्पताल बैहर जिला बालाघाट का 30 बिस्तर से 50 बिस्तरीय अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- III. सिविल अस्पताल बरघाट जिला सिवनी का 30 बिस्तर से 50 बिस्तरीय अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- IV. सिविल अस्पताल हटा जिला दमोह का 60 बिस्तरीय अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- V. सिविल अस्पताल जावरा जिला रतलाम एम.सी.एच. विंग का उन्नयन/निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- VI. सिविल अस्पताल बडनगर जिला खरगौन का 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- VII. सिविल अस्पताल बामौर जिला मुरैना का 50 बिस्तरीय अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

VIII. सिविल अस्पताल सिरमौर जिला रीवा का 50 बिस्तरीय अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

नवीन 18 सिविल अस्पताल भवन का निर्माण/उन्नयन कार्य निम्नानुसार स्वीकृत किये हैं

- I. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन सुमावली विकासखण्ड जौरा जिला मुरैना का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में निर्माण/उन्नयन कार्य।
- II. 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन जतारा विकासखण्ड जतारा जिला टीकमगढ़ का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में निर्माण/उन्नयन कार्य।
- III. 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन उचेहरा विकासखण्ड उचेहरा जिला सतना का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में निर्माण/उन्नयन कार्य।
- IV. 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन रामनगर विकासखण्ड रामनगर जिला सतना का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में निर्माण/उन्नयन कार्य।
- V. 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन रामपुर बघेलान विकासखण्ड रामपुर बघेलान जिला सतना का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में निर्माण/उन्नयन कार्य।
- VI. 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन जवा विकासखण्ड जवा जिला रीवा का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में निर्माण/उन्नयन कार्य।
- VII. 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन सेमरिया विकासखण्ड सिरमौर जिला रीवा का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में निर्माण/उन्नयन कार्य।
- VIII. 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बरही विकासखण्ड विजयराघवगढ़ जिला कटनी का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में निर्माण/उन्नयन कार्य।
- IX. 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन रांझी विकासखण्ड जबलपुर जिला जबलपुर का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में निर्माण/उन्नयन कार्य।
- X. 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बाबई विकासखण्ड बाबई जिला होशंगाबाद का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में निर्माण/उन्नयन कार्य।
- XI. 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन लटेरी विकासखण्ड लटेरी जिला विदिशा का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में निर्माण/उन्नयन कार्य।
- XII. 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन बैरसिया विकासखण्ड बैरसिया जिला भोपाल का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में निर्माण/उन्नयन कार्य।
- XIII. 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन भीकनगांव विकासखण्ड भीकनगांव जिला खरगोन का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- XIV. 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन जोबट विकासखण्ड जोबट जिला अलीराजपुर का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।

- XV. 58 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन अम्बाह विकासखण्ड अम्बाह जिला मुरैना का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- XVI. 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन पृथ्वीपुर विकासखण्ड पृथ्वीपुर जिला निवाडी का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- XVII. 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन नौगांव विकासखण्ड नौगांव जिला छतरपुर का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- XVIII. 76 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन शुजालपुर सिटी विकासखण्ड शजालपुर जिला शाजापुर का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।

निम्नानुसार 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन उन्नयन/निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये

(1) फूप जिला भिण्ड (2) खडियार जिला मुरैना, (3) उमरवन जिला धार, (4) खातेगांव जिला देवास (5) जामई जिला छिंदवाडा (6) बिछुआ जिला छिंदवाडा, में भवन निर्माण कार्य पूर्ण।

नवीन 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण/उन्नयन कार्य निम्नानुसार स्वीकृत किये हैं

- I. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहनगढ़ विकासखण्ड जतारा जिला टीकमगढ़ का नवीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उन्नयन/निर्माण कार्य।
- II. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहट विकासखण्ड रीवा जिला रीवा का नवीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- III. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लामटा विकासखण्ड बालाघाट जिला बालाघाट का नवीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- IV. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहगंज विकासखण्ड बुधनी जिला सीहोर का नवीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- V. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरईडोंगरी विकासखण्ड नैनपुर जिला मण्डला का नवीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- VI. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोसर विकासखण्ड पाटी जिला बडवानी का नवीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- VII. उप स्वास्थ्य केन्द्र ढोढर विकासखण्ड श्योपुर जिला श्योपुर का नवीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- VIII. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर विकासखण्ड अशोकनगर जिला अशोकनगर का नवीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- IX. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जेरोन विकासखण्ड पृथ्वीपुर जिला निवाडी का नवीन 30 बिस्तरीय

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन/निर्माण कार्य।

- X. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ओरछा विकासखण्ड निवाडी जिला निवाडी का नवीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उन्नयन/निर्माण कार्य।
- XI. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसो विकासखण्ड नागौद जिला सतना का नवीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उन्नयन/निर्माण कार्य।
- XII. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कम्पेल विकासखण्ड सांवेर जिला इंदौर का नवीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उन्नयन/निर्माण कार्य।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

- 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों भवन निर्माण/उन्नयन कार्य पूर्ण।
- नवीन 186 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण/उन्नयन कार्य स्वीकृत किये गये है।

नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र

- 286 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण।

प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में आवासीय भवनों के निम्नानुसार कार्य पूर्ण कराये गये

- 9 जिला चिकित्सालयों में 154 आवासीय भवनों (50 एफ ए 52 जी ए 52 एच टाईप) का निर्माण कार्य पूर्ण किये गये।
- 7 सिविल अस्पताल भवनों में 98 आवासीय भवनों (20 एफ ए 40 जीए 38 एच टाईप) का निर्माण कार्य पूर्ण किये गये।
- 35 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 210 आवासीय भवनों (70 एफए 70 जीए 70 एच टाईप) का निर्माण कार्य पूर्ण किये गये।

पोस्ट मार्टम भवनों का निर्माण कार्य

- 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पोस्ट मार्टम भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण।

नर्सिंग प्रशिक्षण

1. मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधीन 18 नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है। जिसमें दो पूर्व से संचालित उज्जैन/जबलपुर तथा 2019 में 15 जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों का बी.एस.सी नर्सिंग महाविद्यालय में उन्नयन क्रमशः छिंदवाड़ा, खंडवा रतलाम, सतना, रायसेन, झाबुआ, सीधी, राजगढ़, विदिशा, दतिया, देवास, मंदसौर, नरसिंहपुर सिवनी एवं बालाघाट व माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा उपरान्त एक नवीन बी.एस.सी नर्सिंग महाविद्यालय अनूपपुर इस प्रकार कुल 18 नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है।
2. **प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया** — कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा पी.एन.एस.टी. चयन परीक्षा आयोजित की जाती है। जिसमें प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेश में संचालित सी.बी.एस.ई. मान्यता प्राप्त स्कूलों से 10 + 2 प्रणाली से 12 वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 05 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी। चयन परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं की मैरिट क्रमानुसार जातिवार प्राप्त सूची के आधार पर एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से काउंसलिंग के द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन कर प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश दिया जाता है।
3. **आयु सीमा** — सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) वर्ग के लिये अभ्यर्थी की 01 जुलाई 2018 को आयु न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश हेतु) होना चाहिये। आशा कार्यकर्ता को 35 वर्ष तक का आरक्षण है, व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) परित्यक्ता तथा विधवा के लिये आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।
4. **संचालित पाठ्य क्रम** — नर्सिंग महाविद्यालय में बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्य क्रम, वर्ष — 04 वर्षीय
5. **शिष्य वृत्ति** — बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्य क्रम — राशि रु 3500/- प्रतिमाह
6. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पूर्व से संचालित— शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सीटों का विवरण:—

क्र.	कॉलेज का नाम	कुल स्थान	अनारक्षित	अनुसूचित जाति (16%)	अनुसूचित जन जाति (20%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (14%)
1	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जबलपुर	60	30	10	12	8
2	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उज्जैन	60	30	10	12	8

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अन्तर्गत इनसर्विस एज्युकेशन (पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग) के लिए पूर्व से संचालित— शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में सीटों का विवरण:—

क्रमांक	कॉलेज का नाम	पूर्व सीटें	वर्तमान सीटें	कुल सीटें
1	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जबलपुर	25	25	50
2	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उज्जैन	25	25	50
कुल		50	50	100

8. लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अन्तर्गत इनसर्विस एज्युकेशन (एम.एस.सी नर्सिंग) के लिए – शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में सीटों का विवरण:—

क्रमांक	कॉलेज का नाम	स्वीकृत सीटें
1	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जबलपुर	50
2	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उज्जैन	50
कुल		100

9. विभाग के अन्तर्गत संचालित नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन/जबलपुर में 100 सीट एम.एस.सी. नर्सिंग/100 सीट पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश वर्ष 2022-23 में दिया जाना है।
10. नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन/जबलपुर में पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग प्रवेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनुसंधित कर वरिष्ठता के अनुसार जिले से दो नामांकन पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/दो नामांकन एम.एस.सी. नर्सिंग के लिये विभाग को प्रेषित किये जाने उपरान्त प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की जावेगी।
11. लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित – शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में स्वीकृत सीटों का विवरण :—

क्रमांक	कॉलेज का नाम	स्वीकृत सीटें
1	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जबलपुर	60
2	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उज्जैन	60
3	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देवास	60
4	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सतना	60
5	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायसेन	60
6	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दतिया	60
7	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, विदिशा	60
8	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, झाबुआ	60

क्रमांक	कॉलेज का नाम	स्वीकृत सीटें
9	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मन्दसौर	60
10	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अनूपपुर	30
11	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, छिन्दवाडा	60
12	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिवनी	60
13	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बालाघाट	60
14	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नरसिंहपुर	60
15	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजगढ़	60
16	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सीधी	60
17	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रतलाम	60
18	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, खण्डवा	60
कुल		1050

12. लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित – शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सीटों का विवरण (शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश)

क्रमांक	कॉलेज का नाम	स्वीकृत सीटें
1	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जबलपुर	60
2	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उज्जैन	60
3	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देवास	60
4	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सतना	60
5	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायसेन	60
6	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दतिया	60
7	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, विदिशा	60
8	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, झाबुआ	60
9	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मन्दसौर	60
10	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अनूपपुर	30
कुल		570

13. लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित – शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सीटों का विवरण (शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल को मांग पत्र प्रेषित किया गया।)

क्रमांक	कॉलेज का नाम	स्वीकृत सीटें
1	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जबलपुर	60
2	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उज्जैन	60
3	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देवास	60
4	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सतना	60
5	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायसेन	60
6	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दतिया	60
7	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, विदिशा	60
8	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, झाबुआ	60
9	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मन्दसौर	60
10	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अनूपपुर	30
11	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, छिन्दवाड़ा	60
12	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिवनी	60
13	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बालाघाट	60
14	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नरसिंहपुर	60
15	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजगढ़	60
16	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सीधी	60
17	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रतलाम	60
18	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, खण्डवा	60
कुल		1050

14. शासकीय एएनएम प्रशिक्षण केन्द्रों में स्वीकृत सीटों का विवरण :-

क्रमांक	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल सीटें
1	बैतूल	60
2	सीहोर	60
3	धार	60
4	बुरहानपुर	40
5	शिवपुरी	60
6	मण्डला	60
7	शहडोल	60
8	पन्ना	40
9	अशोकनगर	40

10	होशंगाबाद	60
11	बड़वानी	60
12	छिन्दवाडा	40
13	सागर	60
14	उज्जैन	40
15	टीकमगढ़	60
16	मुरैना	60
17	गुना	60
18	उमरिया	40
19	भिण्ड	40
20	डिंडौरी	40
21	छतरपुर	60
22	अनूपपुर	40
कुल		1140

15. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित 22 ए. एन. एम प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं जिसमें सत्र 2020-21 में 9 प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्राओं को प्रवेश दिया गया है

ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र

क्र.	केन्द्र का नाम	कुल सीटों
1	बैतूल	30
2	सीहोर	30
3	धार	30
4	बुरहानपुर	20
5	शिवपुरी	30
6	मण्डला	30
7	शहडोल	30
8	पन्ना	20
9	अशोकनगर	40
योग		260

मिडवाईफरी प्रोग्राम

Sub Activity	Last Status
<ul style="list-style-type: none"> भारत सरकार की गाईडलाईन 2018 के अनुसार मध्यप्रदेश में एन.एम.टी.आई. रानी दुर्गावती सिविल अस्पताल जबलपुर में नेशनल मिडवाईफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण हो चुका है। एम.एल.सी.यू. (मिडवाईफरी लेड केयर यूनिट) का निर्माण प्रगति पर है। एस.एम.टी.आई. (स्टेट मिडवाईफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) के लिये 06 जिलों को चिन्हांकित किया गया है। दतिया, सतना, उज्जैन, विदिशा, नरसिंहपुर एवं सीधी। सतना और दतिया में एस.एम.टी.आई. का कार्य प्रगति पर है। 	<ul style="list-style-type: none"> लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत 12 नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों का (भारत सरकार की गाईडलाईन 2018 के अनुसार) मिडवाईफरी एज्यूकेटर के पाठ्य क्रम में प्रवेश हेतु चयन किया गया था। 12 नर्सिंग ऑफिसर में से 10 नर्सिंग ऑफिसर (04 प्रशिक्षणार्थी फर्नाडिस स्कूल ऑफ नर्सिंग तेलंगाना एवं 06 कस्तूरबा हेल्थ सोसाईटी वर्धा महाराष्ट्र) 06 माह के सफल मिडवाईफरी एज्यूकेटर प्रशिक्षण उपरान्त 12 माह के मेन्टोरशिप के लिये एन.एम.टी.आई. जबलपुर में पदस्थ पदस्थ किये गये हैं। एन.एम.टी.आई. जबलपुर में मिडवाईफरी एज्यूकेटर प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों द्वारा एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये गये हैं, चयनित अभ्यर्थियों को नेशनल एवं इन्टरनेशनल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया जावेगा। एन.एम.टी.आई. जबलपुर में पदस्थ 10 मिडवाईफरी एज्यूकेटर 12 माह की मेन्टोरशिप के साथ नवीन एन.पी.एम.ई. प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। विभाग द्वारा एन.एम.टी.आई. जबलपुर में नवीन मिडवाईफरी एज्यूकेटर के कोर्स प्ररम्भ करने के लिये मिडवाईफरी एज्यूकेटर के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नवीन विज्ञापित प्रकाशित की जा चुकी है।

॥ स्वस्थ नियम अपनाएं, संतुलित भोजन खाएं ॥

विभागीय प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश शासन प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु संकल्पित है। विभिन्न शासकीय अस्पतालों में प्राटोकॉल्स अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदाय करने हेतु कुशल एवं दक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ताओं की आवश्यकता होती है। विभाग द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संवर्ग के कौशल वृद्धि हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं में मुख्यतः विशेषज्ञ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, दंत चिकित्सक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला लेखा अधिकारी, सलाहकार, नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय सदस्य, स्टाफ नर्स आदि को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

1. प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान निम्नानुसार हैं:-

क्र.	प्रशिक्षण स्थान का नाम	प्रशिक्षण क्षमता
1	राज्य स्वास्थ्य एवं प्रबंधन संचार संस्थान, ग्वालियर	60
2	क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर	76
3	क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर	90
4	क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर	90

उक्त प्रशिक्षण संस्थाओं में स्किल लैब, दृश्य-श्रवण सुविधायुक्त व्याख्यान कक्ष तथा आवासीय व्यवस्था हेतु छात्रावास उपलब्ध हैं।

• राज्य स्वास्थ्य एवं प्रबंधन संचार संस्थान, ग्वालियर

विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य एवं प्रबंधन संचार संस्थान, ग्वालियर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित है जिसमें आधुनिक व्याख्यान कक्ष एवं कॉन्फ्रेंस हॉल्स की व्यवस्था के साथ-साथ उन्नत स्किल लैब, सर्व सुविधायुक्त छात्रावास एवं परिसर में आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है।



• क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में विभिन्न संवर्गों हेतु स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। इंदौर में 40 प्रशिक्षणार्थियों के लिए नवीन हॉस्टल के निर्माण संबंधी कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत

किया जा रहा है। जबलपुर में डायनिंग हॉल एवं रिक्रियेशन रूम निर्मित किया गया तथा टॉयलेट्स का पुनर्निर्माण किया गया है।

2. आधारभूत सह परिचयात्मक प्रशिक्षण

लोक सेवा आयोग से चयनित नवनियुक्त नियमित एवं संविदा चिकित्सा अधिकारियों को 04 सप्ताह का आधारभूत सह परिचयात्मक प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण के **प्रथमचरण** में प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रशासकीय, वित्तीय एवं वैधानिक नियम तथा प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम, मेडिकोलीगल कार्य, सॉफ्ट स्किल्स, मोटिवेशन आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा सत्र लिये गए हैं। प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में जिला चिकित्सालय, एम्स, भोपाल तथा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में विभिन्न विशिष्ट विषयों पर हेण्ड्स ऑन तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष 2022-23 में 03 प्रशिक्षण सत्रों में कुल 103 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।



3. सी.पी.एस.,पी.जी. डिप्लोमा कोर्स, मुंबई

प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता हेतु 19 संस्थाओं में कॉलेज ऑफ फिजीशियन एण्ड सर्जन, मुंबई के साथ संबद्धता की गई है ताकि एम.बी.बी.एस के पश्चात् सेवारत (नियमित/संविदा) तथा ओपन श्रेणी के चिकित्सकों के द्वारा 07 विधाओं में विषय विशेषज्ञता 2 वर्षीय सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम अंतर्गत प्राप्त की जा सके। वर्तमान में प्रदेश के 19 स्वास्थ्य संस्थानों में प्रथम वर्ष के 42 चिकित्सक अध्ययनरत हैं। सी.पी.एस. पी.जी.डिप्लोमा हेतु अभिप्रमाणित संस्थाएं जिला चिकित्सालय भोपाल, सागर, सतना, होशंगाबाद, सीहोर विदिशा, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, छिन्दवाड़ा, शहडोल, शिवपुरी, बड़वानी, खण्डवा, सिविल अस्पताल रानी दुर्गावती चित्सालय जबलपुर, पी.सी. सेठी चिकित्सालय, इंदौर, मानसिक अरोग्यशाला ग्वालियर तथा कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल, भोपाल हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2022-24 के लिए विभाग द्वारा स्नातकोत्तर विषयों में कुल 92 सीटों हेतु काउंसलिंग एवं सीट आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है। स्त्री एवं प्रसूति रोग, शिशु रोग, निश्चेतना, पैथॉलॉजी एवं बैक्टीरियॉलॉजी, मानसिक रोग/साइकेट्रिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन एवं जनरल सर्जरी विषयों में

पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित होने से इन अस्पतालों में उन्नत चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता होगी।



4. एन.बी.ई. पोस्ट एम.बी.बी.एस. पी.जी. डिप्लोमा कोर्स

प्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सकों की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित करने हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित पोस्ट एम.बी.बी.एस. पी.जी. डिप्लोमा कोर्स के संचालन एवं अभिप्रमाणीकरण की कार्यवाही निम्नलिखित जिला चिकित्सालयों के लिए वर्ष 2022-24 एवं 2023-25 में किया गया है :-

S.N.	NBEMS Accredited Institution/Hospital	Specialty	No. of Seats accredited by NBEMS
Post MBBS PG Diploma course (Session 2022-24)			
1.	DH, Gwalior	OBGY	2
2.	DH, Sagar	Family Medicine	2
3.	DH, Sagar	Ophthalmology	2
4.	DH, Sagar	Pediatrics	2
5.	DH, Jabalpur	Ophthalmology	1
6.	DH, Jabalpur	Pediatrics	1
7.	DH, Satna	OBGY	2
8.	DH, Vidisha	OBGY	2
9.	DH Ujjain	ENT	1
10.	DH Ujjain	OBGY	2
11.	DH Ujjain	Ophthalmology	2
12.	DH Sehore	Anesthesiology	2
Total Seats (Session 2022-24)			21

Post MBBS PG Diploma course (Session 2023-25)			
13	DH Sehore	OBGY	2
14	DH Guna	Pediatrics	2
15	DH Morena	OBGY	2
16	DH Rewa	Pediatrics	2
Total Post MBBS PG Diploma course Seats			29

शैक्षणिक वर्ष 2022-24 के लिए विभागद्वारा स्नातकोत्तर विषयों में कुल 21 सीटों में राज्य स्तरीय कोटे की 10 सीटों हेतु काउंसलिंग एवं सीट आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है एवं अखिल भारतीय कोटे से 11 अभ्यर्थियों द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया।

5. पोस्ट एम.बी.बी.एस. डी.एन.बी. पी.जी. कोर्स

प्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सकों की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित करने हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित पोस्ट एम.बी.बी.एस. डी.एन.बी. पी.जी. कोर्स जिला चिकित्सालय भोपाल में फैमिली मेडिसिन विधा में संचालित किया जा रहा है। उक्त पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2022-25 के लिए विभाग द्वारा स्नातकोत्तर विषय में कुल 02 सीटों में राज्य स्तरीय कोटे से 01 सीट हेतु काउंसलिंग एवं सीट आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है तथा अखिल भारतीय कोटे से 01 अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।

6. नर्सिंग ऑफिसर्स हेतु विशिष्ट नर्सिंग विधाओं में प्रशिक्षण

विभाग द्वारा नर्सिंग क्षेत्र में विशिष्ट एवं उन्नत संस्थान श्री अरविन्दो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंदौर एवं मेसर्स स्प्रींगर हेल्थकेयर सिस्टम प्र.लि., गुरुग्राम,, के साथ अनुबंध किया गया। जिसमें नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स को **Critical Care including Ventilator Management** का 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2022-23 में दोनों संस्थाओं में 08-08 बैचों में कुल 520 नर्सिंग ऑफिसर्स का क्रिटिकल केयर नर्सिंग विषय पर प्रशिक्षण दिया गया है।



राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान, ग्वालियर (SIHMC, Gwalior) में आयोजित “Patient Safety & Communication” विषय पर 03 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के 02 बैचों में 60 विभागीय नर्सिंग ऑफिसरस् को प्रशिक्षित किया गया।



7. Ventilator and Critical Care Training for Doctors and Staff Nurses

एम्स भोपाल में वेंटीलेटर एवं क्रिटिकल केयर विषय पर 02 दिवसीय आवासीय हेण्डस्-ऑन प्रशिक्षण के 05 बैच में 65 चिकित्सा अधिकारियों एवं नर्सिंग ऑफिसरों को प्रशिक्षित किया गया।



8. पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ मेनेजमेंट (PGDPHM) एवं माॅस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (MPH)

प्रशासकीय क्षमताओं के विकास हेतु वर्ष 2022-23/24 में आई.आई.पी.एच. नई दिल्ली द्वारा संचालित 01 वर्षीय PGDPHM पाठ्य क्रम हेतु 04 चिकित्सकों के एवं 02 वर्षीय MPH पाठ्य क्रम हेतु 10 चिकित्सक एवं नर्सिंग ऑफिसर के नामांकन किये गये हैं।



9. डिप्लोमा इन हेल्थ प्रमोशन एजुकेशन (DHPE) एवं पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ केयर (PGDCHC)

प्रशासकीय क्षमताओं के विकास हेतु एन.आई.पी.एच.टी.आर मुम्बई द्वारा संचालित 01 वर्षीय DHPE & PGDCHC पाठ्यक्रम हेतु प्रदेश से 20 नर्सिंग ऑफिसर/ए.एन.एम. को नामांकित किया गया है।

10. PG Diploma in Management (Executive)- Health & Family Welfare Management

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित पी.जी.डी.एम. (हेल्थ एण्ड फैमली वेलफेयर) पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 01 सलाहकार को नामांकित किया गया है।

11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों हेतु प्रशासनिक प्रशिक्षण

जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों के प्रशासकीय कार्यों में दक्षता हेतु 5 दिवसीय प्रशासनिक प्रशिक्षण का आयोजन प्रशासन अकादमी भोपाल में किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय बैच में क्रमशः 26 एवं 20 अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की गई है।

12. Fundamentals in Abdominopelvic Ultrasonography Training Level-1 for MBBS Doctors

छः मासिक प्रशिक्षण दिनांक 5 दिसम्बर 2022 से प्रदेश के 06 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में प्रारंभ किया गया, जिसमें कुल 58 चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण लिया जा रहा है।

13. District Residency Programme (DRP)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों / संस्थानों में एम.डी. / एम.एस. में अध्ययनरत सभी स्नातकोत्तर छात्र पाठ्यक्रम कॅरिक्यूलम के एक भाग के रूप में जिला चिकित्सालय / जिला स्वास्थ्य प्रणाली में 3 महीने का एक अनिवार्य रोटेशन जिला रेसिडेंसी कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। यह रोटेशन स्नातकोत्तर कार्यक्रम के तीसरे या चौथे या पांचवे सेमेस्टर में होगा। वर्ष 2022 में जिला रेसिडेंसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग से समन्वय कर रूपरेखा बनाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

14. ECHO (Extension for Community Health Outcomes) के साथ अनुबंध

एक ही समय पर बहुतायत में प्रतिभागियों को ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निःशुल्क प्लेटफार्म ईको इंडिया के द्वारा उपलब्ध कराने हेतु उनके साथ अनुबंध किया गया है।

15. State Center of Excellence for Training

प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मियों की गुणवत्ता एवं दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से भोपाल में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (State Center of Excellence for Training) का निर्माण किया जाना है, जिसकी स्वीकृती वार्षिक कार्ययोजना (PIP) वर्ष 2022-23 में ली गई है।

॥ मध्यप्रदेश ने ठाना है, हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है ॥

उपकरण रखरखाव एवं मॉनिटरिंग तंत्र (E.M.M.S - Equipment Management& Maintenance System)

मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगियों की जाँच हेतु उपलब्ध जैव चिकित्सकीय उपकरणों का रख-रखाव अनुबंधित एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश स्तरीय ई.एम.एस. (Equipment Management Monitoring Services) सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुबंधित एजेन्सी द्वारा किए जा रहे कार्य का निरंतर पर्यवेक्षण कर निर्बाध सेवा सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में लगभग 72,356 जैव चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध हैं। संबंधित एजेन्सी के साथ CMC (Comprehensive Maintenance Contract) संपादित कर, उपकरणों का नियमित रख-रखाव व यथा शीघ्र सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है।

उक्त योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक की जिलेवार उपलब्धि निम्नानुसार है:-

EMMS Equipment Management& Maintenance System

क्र	जिले का नाम	TOTAL EQUIPMENT	COMPLAINT CALL IN	TOTAL CLOSE COMPLAINT	PENDING CALL	NOT REPAIRABLE	CLOSE COMPLAINT %	NOT REPAIRABLE %
1	आगर	702	29	28	1	7	97	1
2	अलीराजपुर	836	75	69	6	1	92	0
3	अनूपपुर	759	16	15	1	1	94	0
4	अशोकनगर	1236	102	95	7	3	93	0
5	बालाघाट	1927	238	221	17	29	93	2
6	बड़वानी	1472	118	114	4	2	97	0
7	बैतूल	1694	132	122	10	24	92	1
8	भिंड	1484	189	189	0	4	100	0
9	भोपाल	2125	291	266	25	34	91	2
10	बुरहानपुर	645	128	120	8	10	94	2
11	छतरपुर	1717	174	164	10	3	94	0
12	छिंदवाड़ा	1965	187	177	10	53	95	3
13	दमोह	1628	112	104	8	2	93	0
14	दतिया	965	117	111	6	1	95	0
15	देवास	1610	182	166	16	7	91	0
16	धार	3018	201	192	9	34	96	1
17	डिंडोरी	813	74	68	6	4	92	0
18	गुना	1372	56	55	1	61	98	4

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

19	ग्वालियर	1598	196	186	10	4	95	0
20	हरदा	939	63	60	3	10	95	1
21	होशंगाबाद	1248	157	151	6	22	96	2
22	इंदौर	2702	235	225	10	29	96	1
23	जबलपुर	1515	283	261	22	12	92	1
24	झाबुआ	939	108	100	8	33	93	4
25	कटनी	1160	154	145	9	9	94	1
26	खंडवा	1387	127	117	10	22	92	2
27	खरगोन	1463	147	137	10	14	93	1
28	मंडला	931	125	120	5	9	96	1
29	मन्दसौर	1315	117	108	9	1	92	0
30	मुरैना	1550	109	108	1	5	99	0
31	नरसिंहपुर	1194	221	212	9	4	96	0
32	नीमच	1285	72	68	4	19	94	1
33	पन्ना	936	102	93	9	1	91	0
34	रायसेन	1945	144	132	12	77	92	4
35	राजगढ़	2117	231	220	11	126	95	6
36	रतलाम	1313	217	205	12	4	94	0
37	रीवा	2408	26	25	1	5	96	0
38	सागर	1880	175	161	14	1	92	0
39	सतना	1615	44	41	3	15	93	1
40	सीहोर	1891	193	181	12	57	94	3
41	सिवनी	1625	262	249	13	27	95	2
42	शाहडोल	1185	67	62	5	4	93	0
43	शाजापुर	825	98	91	7	1	93	0
44	श्योपुर	992	95	92	3	0	97	0
45	शिवपुरी	1563	135	125	10	1	93	0
46	सीधी	884	14	13	1	33	93	4
47	सिंगरौली	882	33	31	2	13	94	1
48	टीकमगढ़	1517	199	185	14	2	93	0
49	उज्जैन	1829	120	111	9	14	93	1
50	उमरिया	689	57	54	3	1	95	0
51	विदिशा	1532	110	105	5	4	95	0
TOTAL		72822	6857	6450	407	859	94	1

सी.टी.स्कैन जांच सुविधा

विभाग द्वारा जनमानस को नवीनतम व उच्च रेडियोग्राफिक नैदानिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु वर्ष 2018 से पी.पी.पी. मॉडल अंतर्गत निजी एजेन्सी के माध्यम से सी.टी. स्कैन सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। संचालित सेवा कि अद्यतन जानकारी अनुसार 50 शासकीय जिला चिकित्सालयों व 4 चिन्हित सिविल अस्पतालों में निरंतर सी.टी. स्कैन सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। उक्त सेवा बी.पी.एल, दीन दयाल योजना एवं आयुष्मान अंतर्गत पात्र हितग्राहियों हेतु निःशुल्क तथा ए.पी.ल (गरीबी रेखा से ऊपर) रोगियों हेतु न्यूनतम अनुबंधित दरों पर निर्बाध उपलब्ध करायी जा रही है। प्रतिमाह औसतन 700 सी. टी.स्कैन प्रति संस्था किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक किए गए कुल सी.टी.स्कैन की जिलेवार अद्यतन जानकारी –

सी.टी स्कैन रिपोर्ट (अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022)

क्र	जिला चिकित्सालय / सिविल हॉस्पिटल का नाम	सी.टी स्कैन की संख्या		कुल स्कैन संख्या
		बी.पी.एल./दीनदयाल/ आयुष्मान	ए.पी.एल.	
1	आगर	5031	1934	6965
2	अलीराजपुर	4769	633	5402
3	अनूपपुर	6128	1563	7691
4	अशोकनगर	12234	2637	14871
5	आष्टा - CH (सीहोर)	1900	496	2396
6	बड़वानी	8334	776	9110
7	बालाघाट	4817	1138	5955
8	बैतूल	2822	1303	4125
9	भिंड	10026	888	10914
10	भोपाल	2437	767	3204
11	बुरहानपुर	7242	1223	8465
12	छतरपुर	9628	1081	10709
13	छिंदवाड़ा	11597	1166	12763
14	दमोह	4111	1141	5252
15	दतिया	1265	270	1535
16	देवास	8552	1726	10278
17	धार	1518	1275	2793
18	डिंडोरी	3896	863	4759
19	गुना	5787	1339	7126
20	ग्वालियर	2545	983	3528
21	हरदा	2855	1194	4049

22	होशंगाबाद	8554	1705	10259
23	पीसी सेठी - CH (इंदौर)	47	83	130
24	जबलपुर	1455	1968	3423
25	झाबुआ	3115	862	3977
26	कटनी	6854	654	7508
27	खंडवा	222	164	386
28	खरगोन	3754	2106	5860
29	मंडला	409	93	502
30	मन्दसौर	6637	574	7211
31	मुरैना	4875	1867	6742
32	नरसिंहपुर	7017	1247	8264
33	नसरुल्लागंज - CH (सीहोर)	2698	785	3483
34	नीमच	3624	1089	4713
35	पन्ना	4718	1125	5843
36	रायसेन	14457	1363	15820
37	राजगढ़	8512	996	9508
38	रतलाम	8441	1462	9903
39	रीवा	450	290	740
40	सागर	925	1396	2321
41	सतना	8798	2517	11315
42	सीहोर	3710	1079	4789
43	सिवनी	8188	2216	10404
44	शहडोल	9905	2123	12028
45	शाजापुर	92	331	423
46	शयोपुर	4471	1042	5513
47	शिवपुरी	8174	651	8825
48	सीधी	1485	785	2270
49	सिंगरौली	3685	3474	7159
50	टीकमगढ़	2713	1513	4226
51	उज्जैन	5589	1281	6870
52	उमरिया	7819	1332	9151
कुल स्कैन संख्या		268887	62569	331456

चिकित्सा प्रतिपूर्ति

- विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी प्रक्रियाओं का सरलीकरण हेतु दिनांक 03/08/2022 को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 को निरसित करते हुए नवीन “मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022” की गई है।
- उक्त नियमों के तहत शासकीय कर्मचारियों के हितलाभ को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सीय उपचार तथा नैदानिक सेवाओं को विस्तारित करते हुए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट हेल्थ स्कीम (CGHS) के भोपाल शहर हेतु निर्धारित पैकेज अनुसार एकरूप किया गया है।
- नवीन नियम अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों एवं उनकी आश्रितों के चिकित्सीय व्यय एवं प्रतिपूर्ति हेतु प्रासंगिक बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है जैसे चिकित्सा/शल्य चिकित्सा सुविधाओं में दंत विज्ञान (Dentistry), पैथोलॉजी विज्ञान (Pathology), जीवाणु विज्ञान (Bacteriology), विकिरण चिकित्सात्मक विज्ञान (Radiology) को सम्मिलित करने के साथ-साथ शासकीय कर्मचारियों के लिए बांझपन हेतु गर्भधारणपूर्व उपचार (Pre-conception Infertility Treatment) को सम्मिलित किया गया है।
- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 अंतर्गत बाह्य रोगी उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सीय देयकों के भुगतान हेतु विकेन्द्रीकृत अधिकार शासकीय कर्मचारी के नियंत्रणकर्ता अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक स्तर पर दी गई है एवं भुगतान की स्वीकृत सीमा में वृद्धि की गई है ताकि शासकीय कर्मचारियों के चिकित्सीय प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान संबंधी प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सके। आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में एयर एम्बुलेन्स में प्रभारित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान तय किया गया है।
- अन्तर्वासी रोगी के उपचार हेतु चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के समस्त दावों को भोपाल शहर के लिए समय-समय पर विहित की गई अधिकतम सी.जी.एच.एस. दरों की सीमा अनुसार किया गया है। साथ ही आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार होने पर राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर, रु. 5 लाख से कम के दावों पर विचार एवं अनुमोदन के अधिकार संभागीय मुख्यालयीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता के अध्यक्षता में गठित संभागीय समिति को दी गई है। इसी प्रकार, अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार होने पर राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर जहां भोपाल शहर के लिए सी.जी.एच.एस. पैकेज दरें उपलब्ध न हो, राशि रु. 5 लाख से अधिक किन्तु रु. 20 लाख से कम के दावों के निराकरण के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों पर विचार एवं अनुमोदन के अधिकार संचालक स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति को प्रदान की गई है।
- शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों हेतु राज्य के बाहर सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु रेफरल प्रक्रिया को स्थापित किया गया है।

- नवीन नियम अंतर्गत आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था को परिभाषित करते हुए आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था प्रमाण-पत्र एवं दीर्घकालीन उपचार की आवश्यकता के लिए प्रमाण-पत्र के साथ-साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रारूपों का निर्धारण किया गया है।
- शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के जांच/उपचार हेतु राज्य के भीतर वर्तमान में 20 निजी चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया गया है।

॥ छोटा परिवार, खुशियां अपार ॥

राज्य रक्ताधान परिषद

याचिका क्रमांक 51/1992 (कॉमन काज विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य) में माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश के दिनांक 04.01.1996 के पालन में स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउन्सिल का गठन दिनांक 15.10.1996 को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय (बाडी कार्पोरेट) के रूप में किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/96/55/चिशि/3 दिनांक 12.09.1996 से राज्य शासन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के परिपालन में स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउन्सिल (राज्य रक्ताधान परिषद) का गठन किया गया है। परिषद का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है।

संरचना

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 10-11/2020/सत्रह/मेडि-2 दिनांक 28.09.2020 द्वारा राज्य रक्ताधान परिषद के सुचारु संचालन हेतु साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया है :-

1. **साधारण सभा**— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में किया गया है।
2. **कार्यकारिणी समिति**—आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में किया गया है।
3. **उप समिति**—संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद्, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में किया गया है।

परिषद के मुख्य उद्देश्य

- स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा रक्त एकत्रीकरण तथा इस दिशा में जन संचार, सूचना-शिक्षा इत्यादि के माध्यम से सामाजिक प्रेरणा की दिशा में प्रयास तथा व्यावसायिक रक्त अर्जन की समाप्ति।
- प्रदेश को रक्तकोष सेवाओं का बहुमुखी/बहुउद्देशीय उन्नयन एवं सुदृढीकरण, नोडल रक्त केन्द्रों तथा ब्लड कम्पोनेंट सेप्रेशन केन्द्रों की स्थापना।
- रक्त के यथोचित उपयोग का प्रोत्साहन।
- रक्तकोष सेवाओं हेतु मानव संसाधन का विकास।
- रक्ताधान क्षेत्र में शोध एवं विस्तार।
- राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद के मार्गदर्शन/अनुशंसाओं अनुसार प्रदेश में रक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
- परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शुल्क, दान अथवा अनुदान प्राप्त करना।
- प्रदेश के समस्त ब्लड बैंक्स के लिए में प्रोसेसिंग शुल्क का निर्धारण।
- स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना जिससे कि अस्पताल में आने वाले

सभी मरीजों को बिना रिप्लेसमेंट के रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

- रक्त की सुगमता पूर्वक उपलब्धता हेतु नवीन ब्लड सेंटर एवं ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने के प्रयास करना।
- प्रदेश के समस्त स्वयंसेवी संस्था/परमार्थ संस्था के नये रक्तकोष, ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट एवं एफरेसिस सेंटर के लायसेन्स/नवीनीकरण एवं रक्तदान शिविर आयोजित के प्रकरण/आवेदनो का परीक्षण किया जाकर अनुमोदन प्रदान करना।
- प्रदेश के शासकीय ब्लड सेंटर एण्ड ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त प्लाज्मा प्रोडक्ट्स के निष्पादन की अनुमति प्रदान करना।
- केन्द्र शासन (नॉको) से प्राप्त अनुदान अनुसार— नॉको सर्पोटेड ब्लड सेंटर को स्वैच्छिक रक्तदान कैम्प, रक्तदान दिवस, स्वैच्छिक रक्तदान सम्बंधी प्रचार-प्रसार (आईईसी) एवं रक्तदाता के जलपान (Donor Refreshment) के लिए राशि का आवंटन करना।

औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम-1945 के (संशोधन 2020) के अनुसार ब्लड बैंक को ब्लड सेंटर के नाम से प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त वर्तमान में प्रदेश में कुल 159 ब्लड सेंटर स्वीकृत है, संस्थावार ब्लड सेंटर्स का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	संस्था का नाम/प्रकार	ब्लड सेंटर्स की संख्या	ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन सुविधा
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल	01	01
2.	शासकीय मेडिकल कॉलज एण्ड हॉस्पिटल— इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा एवं शिवपुरी	06	06
3.	जिला चिकित्सालय—	49	13
4.	सिविल अस्पताल— डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इटारसी जिला नर्मदापुरम (होशंगाबाद), रानी दुर्गवती, जबलपुर एवं इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल भोपाल।	03	02
5.	भारत सरकार के अस्पताल—	04	00
6.	भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, भोपाल	01	01
7.	इंडियन रेडक्रास सोसायटी—भोपाल, डबरा (ग्वालियर), कम्पू (ग्वालियर), सिंगरौली, महु (इंदौर) एवं इंदौर	06	03
8.	51—स्वैच्छिक संगठन या चैरिटेबल ट्रस्ट, 26—प्रायवेट हॉस्पिटल ब्लड सेंटर एवं 12—अन्य ब्लड सेंटर	89	59
कुल योग		159	85

नोट :- सिंगरौली एवं इंदौर जिला चिकित्सालय में नवीन ब्लड सेंटर स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

उपलब्धियां

1. प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में ब्लड सेंटर की व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला चिकित्सालय के लिए पृथक से एक अतिरिक्त पूर्णकालिक संविदा चिकित्सा अधिकारी का पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वीकृत किया गया है।
2. प्रदेश के 51 जिला चिकित्सालय में से 49 में ब्लड सेंटर की सुविधा उपलब्ध है। जिसमें से 13—ब्लड सेंटर यथा छिन्दवाड़ा, सतना, शहडोल, सागर, उज्जैन, मुरैना, मंदसौर, रतलाम, जबलपुर, खण्डवा, खरगोन, गुना एवं दतिया में ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा 2—सिविल अस्पताल रानी दुर्गावती, जबलपुर एवं इंदिरा गांधी गैस राहत चिकित्सालय भोपाल में भी यह सुविधा उपलब्ध है।
3. वर्ष 2022 में 6—जिला चिकित्सालय — रतलाम, जबलपुर, खण्डवा, खरगोन, गुना एवं दतिया में ब्लड सेंटर का लाईसेंस (होल रक्त) नवीनीकरण एवं उन्नयन किया जाकर ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट का अतिरिक्त लाईसेंस प्राप्त किया जाकर कम्पोनेंट सेपरेशन की सुविधा जिला चिकित्सालय ब्लड सेंटर में उपलब्ध कराई गई हैं।
4. वर्ष 2022 में शासकीय श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जिला शिवपुरी में ब्लड सेंटर एण्ड ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
5. वर्ष 2022—23 में प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला चिकित्सालयों, सिविल अस्पतालों एवं इंडियन रेडक्रास सोसायटी के ब्लड सेंटरों जिलों को 5,58,000 यूनिट्स रक्त संग्रहण एवं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर द्वारा 2,89,000 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है।
6. औषधि महानियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सूचना पत्र क्रमांक ब्लड बैंक/मिस./ई—रक्तकोष एडवायजरी/2022—डी दिनांक 03.06.2021 से समस्त अनुज्ञापिधारी ब्लड सेंटरों द्वारा ई—रक्तकोष बेव—पोर्टल पर पंजीकृत किया जाकर नियमित प्रतिदिन स्टॉक एण्ट्री एवं मासिक रिपोर्ट की ऑनलाईन एण्ट्री किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। समस्त ब्लड सेंटरों की समीक्षा ई—रक्तकोष पोर्टल से रक्तदान शिविर आयोजित करने, प्रतिदिन स्टॉक एण्ट्री एवं मासिक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है।
7. वर्ष 2022 में ई—रक्तकोष पोर्टल से जानकारी अनुसार 129—ब्लड सेंटरों (शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वैच्छिक/चेरिटेबल ट्रस्टसंगठन, प्रायवेट हॉस्पिटल एवं अन्य ब्लड सेंटरों) में 5,25,195 यूनिट्स रक्त का कलेक्शन किया गया है, जिसकी जानकारी निम्नानुसार है :-

Name of Blood Centres	January 2022 to December 2022							
	Total No. of Blood Units Collection	Total No. of Voluntary Blood Donation Collection	Collected via Camp BCTV Van	VBD %	Collected via Replacement	Issued to Pregnant woman	Issued to Thalassemia	Issued to Sickle patients
Govt. Medical College	92,338	58,881	13,310	78.18	20,147	32,618	10,705	2,754
Disitric & Civil Hospital	2,56,600	1,35,216	54,507	73.94	66,877	48,438	13,569	5,465
Central Govt. & IRCS	28,907	17,688	789	63.92	10,430	852	1005	59
Non Government Blood Centres (Voluntary or Charitable Organization/ Private Hospital & Private Blood Centers)	1,47,350	52,286	0	35.48	95,064	14,218	8,300	902
Total	5,25,195	2,64,071	68,606	63.34	1,92,518	96,126	33,579	9,180

8. वर्ष 2022 में प्रदेश के समस्त गर्भवती महिलाओं को 96,126 यूनिट बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के निःशुल्क एवं रिप्लेसमेंट फ्री रक्त उपलब्ध कराया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए रिप्लेसमेंट फ्री रक्त उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन कर 75% रक्त की आपूर्ति स्वैच्छिक रक्तदान से की गई है।
9. वर्ष 2022 में प्रदेश के समस्त ब्लड सेंटरों द्वारा थैलेसिमिया के मरीजों को 33,579 यूनिट रक्त एवं सिकलसेल एनीमिया के मरीजों को 9,180 यूनिट बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के निःशुल्क एवं रिप्लेसमेंट फ्री रक्त उपलब्ध कराया गया।
10. प्रत्येक जिले में ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर दूरस्थ इलाकों में आमजन में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित 52 ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन की सुविधा 4-चिकित्सा महाविद्यालयों एवं 48-जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध कराई गई। ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित कर 1 जनवरी से दिसम्बर 2022 तक 68,606 रक्त यूनिट एकत्रित किया गया है।
11. प्रदेश के समस्त शासकीय अस्पतालों में भर्ती होने वाले समस्त श्रेणी के मरीजों को बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है।
12. वर्ष 2022 में प्रदेश के समस्त शासकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड सेंटरों में रक्त की जांच की गुणवत्ता हेतु ब्लड सेंटरों को EQAS (External Quality Assurance Scheme) प्रोग्राम में पंजीकृत किया गया है।
13. प्रदेश के समस्त ब्लड बैंक अधिकारियों की समय-समय पर प्रशिक्षण एवं समीक्षा ब्लड सेंटर की सुविधाओं का सुदृढीकरण किया जा रहा है।
14. वर्तमान में ब्लॉक स्तर पर 127 ब्लड स्टोरेज यूनिट को चिन्हित कर 112 को अनुमोदन (लाईसेंस) प्राप्त किया जा चुका है। शेष 15 नवीन ब्लड स्टोरेज यूनिट को शीघ्र स्थापित कर अनुमोदन प्राप्त

करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिससे कि समस्त एनिमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं एवं सिकल सेल एनीमिया, हीमोफिलिया के मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही निःशुल्क रक्ताधान की सुविधा कराई जा रही है।

15. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने हेतु “रक्तदान अमृत महोत्सव अभियान” 17 सितम्बर, 2022 को चलाकर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जिसमें भारत सरकार के “रक्तदान अमृत महोत्सव अभियान” के रक्तदान शिविरों में प्रतिभागी डोनर्स का रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन पोर्टल से किये गये। रक्तदान अमृत महोत्सव में एक ही दिन में कुल 565 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया और 31514 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और प्रमाण पत्र प्राप्त किए। इस हेतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरुस्कृत किया गया।

लैब सुदृढीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सेंट्रल पैथोलॉजी लैब सुविधा

शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों की बीमारी के उपचार के लिए उस बीमारी से संबंधित जांचों के प्रमाण के आधार पर ही उपचार शुरू किया जाता है। बीमारी का कारण जानने के लिए विभिन्न प्रकार की पैथोलॉजी जांचें की जाती हैं।

प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में माह फरवरी 2013 से मुख्यमंत्री निःशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना के अंतर्गत निःशुल्क जांच सुविधा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2020 में नवीन मॉडल वेट लीज रिऐजेंट रेंटल स्थापित कर आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए पूर्व में की जा रही 48 प्रकार की पैथोलॉजी जांचों में बढ़ोतरी करते हुये वर्तमान में 132 प्रकार की जांचें आमजन को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

निःशुल्क पैथोलॉजी जांच व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु आधुनिक प्रकार की मशीनों का उपयोग करते हुए प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों की पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं में उप स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला चिकित्सालयों तक में निःशुल्क पैथोलॉजी जांच सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों एवं 35 सिविल अस्पतालों में वेट लीज रिऐजेंट रेंटल मॉडल के माध्यम से सेंट्रल पैथोलॉजी लैब स्थापित कर उच्च तकनीकी फुली ऑटोमेटिक यू.एस.ए.एफ.डी.ए. एप्रूड उपकरणों को स्थापित कर उच्च मानक वाली 132 प्रकार की जांचें आमजन को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। उक्त मॉडल में निम्न उच्च तकनीकी फुली ऑटोमेटिक उपकरणों को पैथोलॉजी लैब में स्थापित किया गया है—

1. Automatic Hematology Analyzer (Sysmex, Japan)
2. Automatic Biochemistry Analyzer (Biosystems, Spain)
3. Automatic Urine Analyzer (YD Diagnostic, South Korea)

4. Automatic Hormone (Immunoassay) Analyzer (Siemens, USA)
5. Automatic Coagulation Analyzer (Stago, France)
6. Automatic HPLC Analyzer (Biorad, USA)

वेट लीज रिएजेंट रेंटल मॉडल की जानकारी निम्नानुसार है :-

- जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक कुल 24,89,200 मरीजों को निःशुल्क जांच सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ एवं इन मरीजों की कुल 87,59,181 जांचें की गईं।
- वेट लीज रिएजेंट रेंटल मॉडल के माध्यम से समस्त मरीजों को उच्च शुल्क वाली विशेष प्रकार की जांचें जैसे— हार्मोन की जांचें, कैंसर, मधुमेह की जांच एवं कोविड-19 के उपचार के लिए आवश्यक जांचें, सी.आर.पी, सीरम फेरिटिन, एल.डी.एच एवं डी-डायमर इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- सर्वाधिक की गई जांचें—Complete Blood Count, Blood Sugar, Liver Function Test & Renal Functional Tests हैं।
- समस्त जिलों में सिकिल सेल एनीमिया, थैलेसिमिया एवं अन्य रक्त विकारों की जांच हेतु HPLC जांच सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
- वर्तमान में प्रदेश में मरीजों को जांच रिपोर्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में तथा मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- प्रदेश के समस्त जिलों के जिला चिकित्सालय एवं 35 सिविल अस्पतालों में की गयी जांचों की निगरानी सेंट्रल डैशबोर्ड के माध्यम से की जा रही हैं।
- वेट लीज रिएजेंट रेंटल पैथोलॉजी प्रोजेक्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या/पंजीकरण/शिकायत के लिए कॉल सेंटर टोल फ्री नं. 022-42792157 भी चलाया जा रहा है।
- माइक्रोबायोलॉजी तथा अन्य संचारी संक्रमण बीमारियों की पुष्टि करने के लिए उच्च जांचों हेतु 7 संभागीय जिला मुख्यालय चिकित्सालयों में DPHL (District Public Health Laboratory) की स्थापना की जाकर क्रियाशील किया गया है।
- समस्त जिला चिकित्सालयों में माइक्रोबायोलॉजी एवं मॉलीक्यूलर जांच सुविधायें प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पदस्थापना की जा रही है।
- प्रदेश में समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में पैथोलॉजी जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल से आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भारत शासन द्वारा निर्धारित जांचों की सुविधा आमजन को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
- प्रदेश में 02 जिला चिकित्सालयों—सिंगरौली एवं मन्दसौर में मॉलीक्यूलर लैब संचालित है, जिसमें कोविड-19, स्क्रब टाईफस, लैप्टोपायरोसिस, जापानी इनसिफेलाइटिस एवं आउटब्रेक टेस्टिंग हेतु आर.टी.पी.सी.आर. टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेट लीज रिएजेंट रेंटल मॉडल के अंतर्गत लैब सुदृढीकरण कार्यक्रम में शासन द्वारा लगभग राशि रु. 12444 लाख राशि का बजट स्वीकृत किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आयुषमान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के अंतर्गत समस्त जिला चिकित्सालय में DIPHL की स्थापना की जावेगी , जिसमें वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 17 जिला चिकित्सालय बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, दमोह, गुना, जबलपुर, झाबुआ, खण्डवा, रायसेन, सिंगरोली, सिवनी, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन एवं विदिशा में DIPHL का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

।। रक्तदान, महादान ।।

राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन

प्रदेश में राज्य की कुल आबादी में से लगभग 1.5 करोड़ जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। आई.सी.एम.आर. जबलपुर की रिसर्च अनुसार आदिवासी बाहुल्य इलाकों में सिकलसेल एनीमिया की व्यापकता अधिक है एवं सिकलसेल एनीमिया आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में एक अहम स्वास्थ्य समस्या है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन द्वारा 'राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन' का गठन जून 2021 में किया गया। मिशन का कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार है :-

- सिकल सेल एनीमिया की पहचान हेतु सामुदायिक स्तर पर स्क्रीनिंग कर प्रारंभिक पहचान एवं संस्था स्तर पर उपचार सुनिश्चित कर रूग्णता एवं मृत्यु के प्रकरणों में कमी लाना।
- आगामी पीढ़ी में हीमोग्लोबिनोपैथी के प्रसार को रोकने हेतु जेनेटिक काउंसिलिंग करना।
- हीमोग्लोबिनोपैथी के विषय में सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न कर स्वस्थ जीवन शैली हेतु प्रेरित करना।

सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग जांच, रोकथाम एवं उपचार हेतु देश में सर्वप्रथम 15 नवम्बर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के 02 आदिवासी बाहुल्य जिलों झाबुआ एवं अलीराजपुर में पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत कुल 9.17 लाख जनसंख्या की स्क्रीनिंग की गयी है। स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाए गए सैंपल की पुष्टिकरण जांच जिला अस्पताल स्थित लैब में की गयी, जिसमें कुल 18514 सिकल वाहक (1.9 प्रतिशत) एवं 1460 सिकलरोगी (0.2 प्रतिशत) पाए गए।

प्रोजेक्ट प्रारंभ से वर्तमान तक झाबुआ जिले में 557 सिकल रोगियों (264 बच्चों एवं 145 गर्भवती महिलाओं) को प्रबंधन हेतु भर्ती किया गया एवं 465 को रक्ताधान दिया गया। अलीराजपुर जिले में 903 सिकल रोगियों (266 बच्चों एवं 637 गर्भवती महिलाओं) को भर्ती किया गया एवं 197 को रक्ताधान दिया गया।

प्रथम चरण में प्राप्त जांच परिणाम एवं सिकल सेल रोग की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय चरण में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 20 जिलों के 89 जनजातीय बाहुल्य विकासखण्डों में सिकल सेल स्क्रीनिंग कार्ययोजना का विस्तार हेतु मंत्रीपरिषद म.प्र. शासन से अनुमोदन प्राप्त किया गया। इस नवीन कार्ययोजना के लिए बजट उपलब्ध कराने हेतु राज्य बजट में भी 'राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन' का नवीन मद निर्मित कर बजट की स्वीकृति प्रदान की गयी।

माननीय मंत्री परिषद म.प्र. शासन से प्राप्त अनुमोदन अनुसार निम्न कार्ययोजना बनाई गयी :-

1. सिकल सेल के प्रसार को रोकने के लिए जेनेटिक काउंसिलिंग करना।
2. समुदाय स्तर पर स्क्रीनिंग कर बीमारी की पहचान करना एवं पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर सतत निगरानी करना।
3. स्क्रीनिंग उपरांत जेनेटिक कार्ड वितरित करना।

4. पीड़ित व्यक्तियों को समय पर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करना।
5. आवश्यकता होने पर सुरक्षित रक्ताधान एवं बोनमेरो ट्रांसप्लांट उपलब्ध कराना।
6. सामुदायिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनसाधारण में रोग के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना एवं स्वस्थ जीवन शैली हेतु जनसाधारण को प्रेरित करना।
7. प्रभावित रोगियों के उपचार के लिए विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता वर्धन करना।
8. सिकलसेल मरीजों के प्रबंधन हेतु हेल्पलाइन का संचालन करना।

विभागीय प्रस्ताव अनुसार योजना का विस्तार प्रदेश के सभी 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में किया जाए। अनुसूचित जनजाति के परिवारों में सिकल सेल रोग के ज्यादा प्रचलन को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रीनिंग की पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की जाये :-

1. 40 वर्ष तक की आयु सीमा के अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्ति।
2. अनुसूचित जनजाति परिवारों की समस्त गर्भवती महिलाएं और पॉजिटिव पाये जाने पर उनके परिवार के समस्त सदस्य।
3. किसी भी आयु तथा किसी भी वर्ग के लक्षण युक्त व्यक्ति तथा पॉजिटिव पाये जाने पर उनके परिवार के समस्त सदस्य।

राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के सिकल सेल नियंत्रण की दिशा में किए गए कार्यों को सराहा गया एवं नवंबर 2022 में 'राष्ट्रीय सिकल सेल नियंत्रण कार्यक्रम' का शुभारंभ किया जाकर देश के 17 राज्यों में लागू किया गया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट में भी 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन की घोषणा की गयी है।

सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन की मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग एवं डाटा वेसट्रेकिंग हेतु राज्य स्तर पर सिकल सेल पोर्टल विकसित किया गया है। जिसे राष्ट्रीय स्तर 'राष्ट्रीय सिकल सेल नियंत्रण कार्यक्रम' के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए अन्य 17 राज्यों में भी लागू किया गया।

सिकल सेल स्क्रीनिंग को सुगम बनाने एवं त्वरित जांच परिणाम प्राप्त किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा POC किट के उपयोग की एडवाइजरी जारी किए जाने के उपरांत प्रदेश के 89 विकासखण्डों में POC तकनीक से सिकलसेल स्क्रीनिंग हेतु आउटसोर्स संस्था का चयन प्रक्रियाधीन है।

जांच उपरांत सिकल सेल रोगियों, वाहक एवं सामान्य को सिकल सेल अनुवांशिक रक्त विकार के अगली पीढ़ी में अनुवांशिक प्रसार को रोकने के लिए जेनेटिक काउंसिलिंग किए जाने हेतु विशेष प्रकार के जेनेटिक काउंसिलिंग कार्ड तैयार किए गए हैं जिससे महिला अथवा पुरुष द्वारा विवाह के पूर्व दोनों कार्ड का मिलान कर भावी संतान में सिकल सेल बीमारी की संभावना को जाना जा सकता है।

राज्य में सिकलसेल एनीमिया के रोगियों को निःशुल्क जांच, औषधियां, उपचार एवं जेनेटिक काउंसिलिंग तथा आवश्यकता होने पर सुरक्षित रक्ताधान उपलब्ध कराए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाकर निरंतर कार्यों की समीक्षा की जा रही है।

सिकलसेल एनीमिया रोग के प्रबंधन में उच्च जांचों, उपचार एवं नवजात शिशुओं में सिकल सेल एनीमिया की 72 घण्टे के अंदर की जाने वाली विशेष जांच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एम्स भोपाल में नोडल सेंटर बनाकर जांच की व्यवस्था की गयी है।

विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर सिकल सेल स्क्रीनिंग जांच एवं प्रबंधन हेतु 20 आदिवासी बाहुल्य जिलों के प्रबंधकीय कैंडर, स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सकों एवं मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा सिकल सेल प्रबंधन में तकनीकी सहयोग हेतु आई.सी.एम.आर. जबलपुर के साथ एम.ओ. यू.किया गया है एवं जिलों में सिकल सेल रोगियों की काउंसिलिंग एवं प्रबंधन के संबंध में परामर्श प्रदान करने हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन/कॉल सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है।

राज्य स्तर पर सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम, प्रबंधन एवं जेनेटिक काउंसिलिंग की कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु विषय विशेषज्ञों के तकनीकी सहयोग से ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की गयी जिसके पश्चात् ट्रीटमेंट एवं फॉलोअप गाइडलाइन तैयार किए जाकर समस्त चिन्हित सिकल सेल रोगियों के उपचार एवं प्रबंधन की निरंतर निगरानी हेतु ट्रीटमेंट एवं फॉलोअप बुकलेट तैयार की गयी है। इस ट्रीटमेंट एवं फॉलोअप बुकलेट के माध्यम से सिकल सेल रोगियों का उपचार एवं प्रबंधन नियमित रूप से संभव हो सकेगा एवं परिवार के सदस्य भी इसकी नियमित समीक्षा कर सकेंगे। इसके साथ ही मरीज के पास अपना संपूर्ण स्वास्थ्य रिकार्ड भी उपलब्ध रहेगा।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सिकल सेल रोगियों के प्रति विशेष संवेदनशीलता एवं जनजातीय वर्ग की स्वास्थ्य समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं एवं उनके द्वारा प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भ्रमण कर सिकल सेल रोगियों के लिए किए गए कार्यों की सतत समीक्षा की जा रही है, एवं विभाग को निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।

**॥ शादी से पहले लड़का-लड़की की सिकल सेल एनीमिया की जांच करायें,
और होने वाले बच्चे की वंशानुगत बीमारी से बचायें ॥**

खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपलब्धियाँ

क्र.	विवरण	01.01.2022 से 31.12.2022
1	लिये गये लीगल नमूनों की संख्या	14510
2	लिये गये सर्विलेंस नमूनों की संख्या	4534
3	विश्लेषित नमूनों की संख्या	14672
4	असुरक्षित/अवमानक/मिथ्या छाप नमूनों की संख्या	2298
5	दायर प्रकरणों की संख्या	2669
6	निर्णित प्रकरणों की संख्या	1893
7	दोषसिद्ध प्रकरणों की संख्या	1972
8	जारी किये गये लायसेंस की संख्या	20968
9	जारी किये गये रजिस्ट्रेशन की संख्या	93375
10	अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि	8,67,77,900/-
11	अर्थदण्ड की वसूली	2,93,53,200/-
12	लायसेंस/रजिस्ट्रेशन से प्राप्त राजस्व की जानकारी (01.01.2022 से 31.12.2022)	12,07,28,090/-

मिलावट से मुक्ति अभियान— राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु दिनांक 09 नवम्बर 2020 “मिलावट से मुक्ति अभियान” प्रारंभ किया गया जो निरंतर है।

चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला — भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के सौजन्य से 15 चलित खाद्य प्रयोगशाला संचालित की जा रही हैं। चलित खाद्य प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट के संबंध में जागरूक करना, प्रशिक्षित करना एवं आम नागरिकों के खाद्य पदार्थों की जांच करना है। इसके अतिरिक्त चलित प्रयोगशालाओं की सहायता से वीडियो एवं ऑडियो के माध्यम से आम नागरिकों को कोविड-19 संबंधित जागरूकता एवं उससे बचाव के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है।

चलित खाद्य प्रयोगशाला से आम नागरिकों के खाद्य पदार्थों की जांच मात्र रु 10 में करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। चलित खाद्य प्रयोगशाला से आम नागरिकों एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं के खाद्य पदार्थ मौके पर जांच किये जाते हैं। चलित खाद्य प्रयोगशाला से आम नागरिकों/खाद्य

कारोबारकर्ताओं को उनके खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट “शुद्ध एप” के माध्यम से तत्काल जारी की जा रही है।

ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता – भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आम नागरिकों में गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपभोग की संस्कृति विकसित करने, उपलब्ध कराने, प्रशिक्षित, जागरूक एवं विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए “ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता” आयोजित की गई, जिसमें मध्यप्रदेश 09 जिलों भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, शहडोल एवं सागर जिलों द्वारा प्रतियोगिता में भाग लिया गया था, जिसमें से मध्यप्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर एवं सतना विजयी हुये। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रदेश में ईट राइट कैम्पस 57, हाईजीन रेटिंग 313, भोग प्रमाणन 18, क्लीन स्ट्रीट फूड हब 08, क्लीन वेजीटेबल मार्केट 03, ईट राइट स्टेशन 18 बनाये गये।

ईट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता– भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग के साथ ईट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत जिले में सार्वजनिक क्षेत्रों में मानकों के अनुसार क्लीन वेजीटेबल मार्केट, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, फ्रेश एण्ड मीट मार्केट विकसित करना एवं आम नागरिकों में गुणवत्तापूर्ण एवं पोषक खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिये यह प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के 11 जिलों को ईट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता हेतु शार्टलिस्ट किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश के 05 जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर एवं उज्जैन का चयन किया गया था, जिसमें से मध्यप्रदेश के 04 सिटी इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन विजयी हुये।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत उपलब्धियाँ

विवरण	वर्ष (01.04.2021 से 31.03.2022 तक)
लिये गये नमूनों की संख्या	5391
विश्लेषित नमूनों की संख्या	4511
अवमानक नमूनों की संख्या	100
दायर अभियोजनों की संख्या	10
निर्णित अभियोजनों की संख्या	03
दोषसिद्ध प्रकरणों की संख्या	निरंक
अर्थदण्ड की राशि	निरंक
प्राप्त राजस्व की कुल राशि	5,53,68,666 / – करोड़ रुपये

1. प्रशासन की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की क्षमता 1500 नमूने प्रतिवर्ष जांच विश्लेषण करने की है। उक्त क्षमता का शत प्रतिशत से भी अधिक उपयोग किया गया है।
2. वर्तमान में मध्यप्रदेश की एकमात्र राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल द्वारा प्रदेश के सभी जिलों से प्राप्त औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के नमूनों की जाँच की जाती है। जिसे एनएबीएल की अधिमान्यता 12.04.2024 तक प्राप्त है। साथ ही जिला ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर में तीन नवीन औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है जो कि लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
3. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 नियमावली, 1945 के अंतर्गत जारी किये जाने वाले औषधि विक्रय एवं निर्माण अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्ति की वैधता को जारी रखने हेतु समयावधि में शुल्क जमा किये जाने की प्रक्रिया ऑन लाइन निष्पादित की जाती है।
4. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 नियमावली, 1945 के अंतर्गत औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति जारी एवं अनुज्ञप्ति की वैधता (जिसमें केन्द्रीय लायसेंस अनुमोदन प्राधिकारी का हस्तक्षेप नहीं होता है) को जारी रखने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन निष्पादित की जाती है। इसके अतिरिक्त पूर्व में प्रदत्त औषधि निर्माण अनुज्ञप्तियों में अतिरिक्त योगों के समायोजन की प्रक्रिया एवं अधिकांश प्रमाण पत्र (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चाहे जाने पर) जारी करने की प्रक्रिया भी ऑन लाइन निष्पादित की जाती है।
5. 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औषधि निरीक्षकों के कुल 36 नवीन पद स्वीकृत किये गये हैं एवं कुल 44 पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।
6. Ease of doing business की अवधारणा के अंतर्गत औषधि निर्माण एवं औषधि विक्रय अनुज्ञप्तिधारियों व अनुज्ञप्तियों के थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की सुविधा एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई।
7. औषधियों की प्राइज मॉनिटरिंग के लिये मध्यप्रदेश स्टेट प्राइज मॉनिटरिंग एवं रिसोर्स यूनिट सोसायटी का गठन कर पंजीयन किया गया है।
8. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत नवीन सृजित मेडिकल डिवाइस नियम, 2017 एवं नवीन कास्मेटिक नियम, 2020 के क्रियान्वयन हेतु समस्त औषधि निरीक्षक, मध्यप्रदेश को एवं समस्त औषधि विक्रेताओं, मध्यप्रदेश की जागरूकता हेतु वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
9. कोविड 19 महामारी के दौरान औषधि निर्माता फर्मों एवं औषधि विक्रेता फर्मों से संपर्क स्थापित करते हुये आम जन को आवश्यक दवायें उचित मूल्य उपलब्ध कराई गई।

॥ शुद्ध के लिये युद्ध ॥

नोट्स :

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

नोट्स :

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



'आयुष्मान' भारत 'निरामयम्' मध्य प्रदेश

पात्रता जाँच कराएँ, आयुष्मान कार्ड बनवाएँ

₹5 लाख तक का
निःशुल्क उपचार

प्रति वर्ष, प्रति पात्र परिवार
शासकीय एवं निजी अस्पतालों
एवं मेडिकल कॉलेजों में

पात्रता जानने के लिये

कॉमन सर्विस सेन्टर
लोक सेवा केन्द्र
या गाँव के रोजगार सहायक से सम्पर्क करें
अस्पताल में भर्ती होने पर आयुष्मान मित्र से संपर्क करें

योजना संबंधी कोई भी जानकारी/
शिकायत के लिये टोल फ्री
नं. **14555** या **18002332085**
पर फोन लगायें

आभा खुद बनाएं

QR कोड स्कैन करें >>>



www.ayushmanbharat.mp.gov.in



@ABNiramayamMP

अभूतपूर्व विस्तार... सबके लिए, सब जगह



सम्पूर्ण कायाकल्प अभियान

विशेषज्ञ
डॉक्टरों से
टेलीकंसल्टेशन
सेवा

शासकीय अस्पतालों में इलाज की
अत्याधुनिक सुविधाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से
मध्यप्रदेश सरकार का अभियान

- » प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ही विशेषज्ञ डॉक्टरों से टेलीकंसल्टेशन की निःशुल्क सुविधा।
- » शिशु रोग, स्त्री रोग तथा मेडिसिन जैसे विशेषज्ञ उपलब्ध।
- » प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ही टेलीकंसल्टेशन अनुसार पैथोलॉजी जांचें उपलब्ध।



आपकी सेहत, हमारा संकल्प

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश